

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على  
ضوء الكتاب والسنة

हज, उमरा तथा ज़ियारत के अधिकांश मसलों का शोध  
एवं व्याख्या कुरआन एवं हदीस के आलोक में



# हज, उमरा तथा ज़ियारत के अधिकांश मसलों का शोध एवं व्याख्या कुरआन एवं हदीस के आलोक में

लेखक: आदरणीय शैख अल्लामा

अब्दुल अज़ीज़ बिन अबदुल्लाह बिन बाज़

## लेखक का प्राक्कथन

समस्त प्रशंसा केवल अल्लाह के लिए है, तथा दया एवं शांति अवतरित हो उनपर जिनके पश्चात कोई नबी नहीं (आने वाला) है, स्तुतिगान के पश्चात :

यह एक संक्षिप्त पुस्तक है, जो अल्लाह की किताब एवं उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत के आलोक में, हज, उमरा और ज़ियारत से संबंधित बहुत-से मसलों का शोध एवं व्याख्या करती है। इसे मैंने अपने लिए और अन्य मुसलमानों के लिए संकलित किया है तथा इसके मसलों को प्रमाण के आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

यह पहली बार हिजरी वर्ष 1363 में महामहिम शाह अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुर्रहमान अल-फैसल के खर्च पर मुद्रित हुआ था, अल्लाह उनकी आत्मा को पवित्र करे और उनके निवास स्थान को सम्मानित करे।

फिर मैंने इसके विषयों को कुछ विस्तार दिया तथा इसमें आवश्यकतानुसार नवीन अनुसंधान सम्मिलित किए, और इसे पुनः प्रकाशित करने का निर्णय लिया ताकि अल्लाह की इच्छानुसार उसके उपासक इससे लाभान्वित हो सकें, तथा इसका नाम मैंने

(अल्लाह की किताब एवं उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत के आलोक में, हज्ज, उमरा और ज़ियारत के बहुतेरे मसलों का अनुसंधान एवं व्याख्या) रखा, तत्पश्चात मैंने इसमें अन्य महत्वपूर्ण परिवर्धन एवं उपयोगी सूचनाएं जोड़ी, ताकि लाभ पूर्ण हो सके, और इसे कई बार मुद्रित किया गया है।

तथा मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि वह इससे व्यापक लाभ प्रदान करे और इस प्रयास को विशुद्ध रूप से अपनी प्रसन्नता के लिए आरक्षित कर ले, तथा इसे स्वर्ग के उपवनों के पाने का कारण बनाए, वह हमारे लिए पर्याप्त है तथा वही उत्तम प्रतिपालक है, तथा महान एवं सर्वोच्च अल्लाह के सिवा बुराई से फिरने की कोई शक्ति नहीं दे सकता और न ही कोई उसके सिवा नेकी करने का सामर्थ्य दे सकता है।

लेखक

अब्दुल अज़ीज़ बिन अबदुल्लाह बिन बाज़

महामुफ्ती, सऊदी अरब,

अध्यक्ष वरिष्ठ विद्वान परिषद

एवं अध्यक्ष वैज्ञानिक अनुसंधान तथा फ़त्वा प्रबंधन

अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपाशील तथा दयावान है।<sup>1</sup>

समस्त प्रकार की प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जो सारे संसार का रब है, तथा परहेज़गारों के लिए अच्छा परिणाम है, एवं दूरुद व सलाम अवतरित हो उसके बंदे और रसूल मुहम्मद पर, तथा उनके परिवार वालों और उनके सभी साथियों पर।

तत्पश्चात:

यह एक संक्षिप्त पुस्तिका है जो हज्ज, उसके महत्व, उसके आदाब, एवं उन बातों के बारे में है जो हज्ज के लिए यात्रा करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं, इसमें हज्ज, उमरा और ज़ियारत से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों को संक्षेप और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया गया है, तथा इसमें मैंने वह बात कही है जो अल्लाह की किताब और मुहम्मद सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की सुन्नत से प्रमाणित है, यह मैंने मुसलमानों की नसीहत के तौर पर और अल्लाह तआला के इस कथन पर अमल करते हुए संकलित किया है :

{وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَی تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِیْنَ}

{और आप याद दिलाते रहें, इसलिए कि याद दिलाना लाभप्रद है ईमान वालों के लिए}।<sup>2</sup> तथा अल्लाह तआला के इस कथन का अनुसरण करते हुए :

{وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُنْمُوهُ}

{तथा (ऐ नबी! याद करो) जब अल्लाह ने किताब वालों से पक्का वचन लिया था कि तुम अवश्य इसे लोगों के सामने बयान करते रहोगे और इसे छुपाओगे नहीं}।<sup>3</sup> पूरी आयत देखें। तथा उच्च एवं महान अल्लाह के इस कथन को सामने रखते हुए :

{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالنَّفَقَى}

{तथा नेकी और परहेज़गारी पर एक-दूसरे का सहयोग करो}।<sup>4</sup>

<sup>1</sup> मजमू फ़तावा व मक़ालात मुतनव्विअह, शैख़ अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ (25/116-117)।

<sup>2</sup> सूरा अल-ज़ारियात : 55,

<sup>3</sup> सूरा अल-माइदा : 2,

<sup>4</sup> सूरा आल-ए-इमरान : 187 ।

तथा जैसा कि सहीह हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वर्णित है कि आप ने फ़रमाया : "धर्म तो नसीहत (सदुपदेश) का नाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा तीन बार फ़रमाया, पछा गया : हे अल्लाह के रसूल! किसके लिए? आप ने फ़रमाया : अल्लाह के लिए, उसकी किताब के लिए, उसके रसूल के लिए, मुसलमानों के इमामों (शासकों) एवं उनके आम लोगों के लिए।"<sup>5</sup>

तथा तबरानी ने हज़ैफा (रज़ियल्लाहु अन्हु) से वर्णित किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : "जो व्यक्ति मुसलमानों के मामलों की चिंता नहीं करता, वह उनमें से नहीं है, तथा जो सुबह एवं शाम अल्लाह, उसकी किताब, उसके रसूल, मुसलमानों के शासकों तथा उनके आम लोगों के लिए शुभचिंतक (नसीहत करने वाला) नहीं बनता, वह उनमें से नहीं है।"<sup>6</sup>

अल्लाह से प्रार्थना है कि वह इससे मुझे तथा मुसलमानों को लाभान्वित करे, एवं इस प्रयास को अपनी प्रसन्नता के लिए विशुद्ध बना दे, तथा इसे जन्नत के आनंद में सफलता का कारण बना दे। निःसंदेह वह सुनने वाला और दुआ स्वीकार करने वाला है, और वही हमारे लिए पर्याप्त है तथा सबसे अच्छा कार्यसाधक है।

## अध्याय

हज्ज एवं उमरा के वाजिब (अनिवार्य) होने तथा शीघ्रातिशीघ्र इसे अदा करने के प्रमाण के संबंध में

जब यह ज्ञात हो जाए, तो आप सभी को - अल्लाह मुझे और आपको सत्य जानने और उसका पालन करने की तौफ़ीक़ दे - यह पता होना चाहिए कि अल्लाह ने अपने बंदों पर अपने पवित्र घर के हज्ज को अनिवार्य कर दिया है और इसे इस्लाम के स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ करार दिया है,

उच्च एवं महान अल्लाह ने कहा है :

{وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ}

"तथा अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज्ज अनिवार्य है, जो वहाँ तक पहुँचने का सामर्थ्य रखता हो, और जिसने इनकार किया तो निःसंदेह अल्लाह (उससे, बल्कि) समस्त संसार से निस्पृह (बेनियाज़) है।"<sup>7</sup>

सहीह बुखारी एवं सहीह मुस्लिम में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का वर्णन है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : "इस्लाम पाँच बातों पर आधारित किया गया है: इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अतिरिक्त

<sup>5</sup> सहीह मुस्लिम : 55, वर्णनकर्ता तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु।

<sup>6</sup> तबरानी की अल-औसत : 7469.

<sup>7</sup> सूरा आल-ए-इमरान : 97

कोई इबादत एवं उपासना के योग्य नहीं है, और यह कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल हैं, नमाज़ स्थापित करना, ज़कात देना, रमज़ान महीने के रोज़े रखना तथा अल्लाह के पवित्र घर (काबा) का हज करना।"<sup>8</sup>

तथा सईद (बिन मनसूर) ने अपनी सुनन में उमर बिन खताब रज़ियल्लाहु से रिवायत किया है, वह कहते हैं : "मैंने इरादा किया था कि मैं कुछ लोगों को इन छेत्रों में भेजूँ, ताकि वे देखें कि जिन लोगों ने हज की क्षमता<sup>9</sup> होने पर भी हज नहीं किया, उनपर जज़िया (विशेष कर) लगाया जाए। वे मुसलमान नहीं हैं, वे मुसलमान नहीं हैं।"<sup>10</sup> तथा अली रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि : "जो व्यक्ति हज करने की क्षमता रखने के बावजूद इसको छोड़ दे, तो इसकी कोई परवाह नहीं कि वह यहूदी होकर मरे अथवा ईसाई होकर।"<sup>11</sup>

तथा जो व्यक्ति हज्ज करने में सक्षम है, किंतु उसने अभी तक हज्ज नहीं किया है, तो उसे तुरंत इस फ़र्ज को अदा करलेना चाहिए, क्योंकि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : "हज -अर्थात् फ़र्ज हज- की अदायगी में जल्दी करो, क्योंकि तुममें से कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या पेश आएगा।"<sup>12</sup> इसे इमाम अहमद ने रिवायत किया है।

और क्योंकि हज्ज का तुरंत अदा करना उन पर फ़र्ज है जो वहाँ तक जाने में सक्षम हैं, अल्लाह के इस कथन के ज़ाहिरी (स्पष्ट) अर्थ के अनुसार :

{وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ}

"तथा अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज अनिवार्य है, जो वहाँ तक पहुँचने का सामर्थ्य रखता हो, और जिसने इनकार किया तो निःसंदेह अल्लाह समस्त संसार से निस्पृह (बेनियाज़) है।"<sup>13</sup>

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अपने खुतबे (भाषण) में इस कथन के अनुसार : "हे लोगो, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर हज को फ़र्ज (अनिवार्य) किया है। अतः हज करो।"<sup>14</sup> इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

तथा ऐसी बहतेरी हदीसों वर्णित हैं जो उमरा के वाजिब होने को प्रमाणित करती हैं, जिन में से कुछ निम्नांकित हैं :

<sup>8</sup> सहीह बुखारी : 8, सहीह मुस्लिम : 16.

<sup>9</sup> जामे अल-अहादीस (28/318, हदीस संख्या : 31221) में उसे सईद बिन मंसूर के हवाले से नक़ल किया गया है, लेकिन यह हदीस उपलब्ध प्रति में नहीं मिल सकी।

<sup>10</sup> यानी आर्थिक सामर्थ्य।

<sup>11</sup> सुनन तिर्मिज़ी : 812, वर्णनकर्ता अली रज़ियल्लाहु अन्हु।

<sup>12</sup> सुनन अबू दाऊद : 1732.

<sup>13</sup> सूरा आल-ए-इमरान : 97

<sup>14</sup> सहीह मुस्लिम : 1337.

इस सिलसिले की एक हदीस में है कि जब जिबरील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इस्लाम के बारे में पूछा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उत्तर दिया : "इस्लाम यह है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य पूज्य नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और तुम नमाज़ स्थापित करो, ज़कात अदा करो, हज्ज एवं उमरा करो, जनाबत (स्वप्नदोष या सहावास के कारण होने वाली अपवित्रता) से स्नान करो, वृज्ज पूरा करो, तथा रमज़ान के रोज़े रखो।"<sup>15</sup> इब्ने खुज़ैमा एवं दारकुत्नी ने इसे उमर बिन खैतुब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है, तथा दारकुत्नी ने कहा है कि : इसकी सनद प्रमाणित सहीह है।

उन्ही में : आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है कि उन्होंने पूछा : "हे अल्लाह के रसूल! क्या महिलाओं पर भी जिहाद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : उनके ऊपर ऐसा जिहाद है जिसमें लड़ाई नहीं है : हज तथा उमरा।"<sup>16</sup> इस हदीस को अहमद एवं इब्ने माजह ने सहीह सनद से रिवायत किया है।

हज्ज एवं उमरा जीवन भर में केवल एक बार फ़र्ज़ है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहीह हदीस में फ़रमाया है : "हज केवल एक बार (फ़र्ज़) है। जो इससे अधिक करे, वह नफ़ल है।"<sup>17</sup>

नफ़ल के तौर पर अधिकाधिक हज्ज एवं उमरा करना सुन्नत है, क्योंकि सहीहैन (सहीह बुखारी एवं सहीह मुस्लिम) में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से प्रमाणित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : "एक उमरा दूसरे उमरा तक के ग़नाही का कफ़फ़ारा (प्रायश्चित) है, तथा स्वीकृत हज का प्रतिफल केवल जन्नत है।"<sup>18</sup>

## अध्याय

पापों से तौबा करने एवं अत्याचारों से मुक्त होने की अनिवार्यता के संबंध में

जब मुसलमान हज्ज या उमरा की यात्रा के लिए दृढ़ निश्चय करे, तो उसके लिए मुस्तहब (वांछनीय) है कि वह अपने परिवार वालों एवं मित्रों को अल्लाह के तक्वा की नसीहत करे, तक्वा का अर्थ है : अल्लाह के आदेशों का पालन और उसकी निषेधाज्ञाओं से बचना।

उचित यह है कि वह अपने लेन-देन को लिख कर उस पर गवाह बना ले, और उसे चाहिए कि वह सभी पापों से सच्चे दिल से तौबा करने में तत्परता दिखाए, अल्लाह तआला के इस कथन के अनुसार :

<sup>15</sup> इब्ने-ए-खुज़ैमा 1/4, हदीस संख्या : 1.

<sup>16</sup> सहीह बुखारी : 1520.

<sup>17</sup> सुनन नसई : 2620.

<sup>18</sup> सहीह बुखारी : 1773, सहीह मुस्लिम : 1349.

"ऐ मोमिनो! तुम सब अल्लाह के सामने तौबा करो, ताकि सफल हो सको।"<sup>19</sup>

तौबा की वास्तविकता है : पापों से दूर होना तथा उन्हें छोड़ देना, पिछले पापों पर लज्जा अनुभव करना, तथा पुनः उसको ने दोहराने का संकल्प लेना, तथा यदि उसने किसी पर उसकी जान, माल अथवा सम्मान के संबंध में अत्याचार किया है तो यात्रा करने के पूर्व उन्हें लौटा देना या उनसे अपने आपको मुक्ति दिलाना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सहीह हदीस में फ़रमाया है : "जिसने अपने भाई पर धन अथवा सम्मान के संबंध में कोई अन्याय किया हो, उसे आज क्षमा मांग लेना चाहिए, इससे पहले कि (जब क़यामत के दिन) कोई दीनार या दिरहम न होगा। यदि उसके पास नेक काम होगा तो उसमें से उसके अन्याय के अनुपात में ले लिया जाएगा। परंतु यदि उसके पास कोई पुण्य नहीं होगा तो उसके साथी" (जिसपर उसने अन्याय किया होगा, उस) का पाप लेकर उसपर लाद दिया जाएगा।"<sup>20</sup>

तथा उसके लिए उचित है कि अपने हज्ज और उमरा के लिए हलाल कमाई में से पवित्र धन चुने, क्योंकि सहीह हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है : "अल्लाह तआला पवित्र है तथा पवित्र को ही स्वीकार करता है।"<sup>21</sup> तथा तबरानी ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्ह से रिवायत किया है कि, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : "जब कोई व्यक्ति पवित्र धन के साथ हज के लिए निकलता है और अपनी सवारी पर पैर रखकर कहता है : लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो आसमान से एक पुकारने वाला पुकारता है : लब्बैक व सअदैक, तुम्हारा पाथेय हलाल है, तुम्हारी सवारी हलाल है, और तुम्हारा हज मबरूर (स्वीकार्य) है, तथा तुमपर कोई दोष नहीं है। तथा जब कोई व्यक्ति अवैध धन के साथ निकलता है और अपनी सवारी पर पैर रखकर कहता है : लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो आसमान से एक पुकारने वाला पुकारता है : ला लब्बैक व ला सअदैक, तुम्हारा सामान हराम है, तुम्हारा खर्च हराम है, तथा तुम्हारा हज मबरूर नहीं है।"<sup>22</sup>

तथा हज्ज करने वाले व्यक्ति के लिए उचित है कि वह लोगों के हाथों में जो है उससे बेपरवाह रहे एवं उनसे मांगने से परहेज़ करे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है : "जो मांगने से बचेगा, अल्लाह उसे मांगने से बचाएगा, जो बेनियाज़ी दिखाएगा, अल्लाह उसे बेनियाज़ रखेगा।"<sup>23</sup>

<sup>19</sup> सूरा अल-नूर : 31.

<sup>20</sup> सहीह बुखारी : 2449.

<sup>21</sup> सहीह मुस्लिम : 1015.

<sup>22</sup> तबरानी की अल-कबीर 20/40, हदीस संख्या 2989.

<sup>23</sup> सहीह बुखारी : 1427, सहीह मुस्लिम : 1035.



तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है : "आदमी लगातार लोगों से मांगता रहता है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन इस स्थिति में आएगा कि उसके चेहरे पर मांस का एक टुकड़ा भी नहीं होगा।"<sup>24</sup>

तथा हाजी के ऊपर अनिवार्य है कि वह अपने हज्ज एवं उमरा को केवल अल्लाह की प्रसन्नता एवं अंतिम घर (स्वर्ग) पाने के उद्देश्य से अंजाम दे, तथा उन पवित्र स्थानों में अल्लाह को प्रसन्न करने वाले कथनों एवं कार्यों के माध्यम से निकटता प्राप्त करे, एवं उसे अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए कि वह अपने हज्ज को संसार एवं उसकी संपत्ति के लिए, या दिखावे और प्रसिद्धि के लिए, अथवा गर्व के लिए न करे, क्योंकि यह सबसे विकृत उद्देश्यों में से है और कार्य के नष्ट होने एवं स्वीकार न होने का कारण बनता है, जैसी कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया है :

{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}

"जो लोग सांसारिक जीवन तथा उसकी शोभा चाहते हों, हम उनके कर्मों का (फल) उसी में चुका देंगे, और उनके लिए उसमें (संसार में) कोई कमी नहीं की जाएगी।

यही वो लोग हैं, जिनका आखिरत (परलोक) में अग्नि के सिवा कोई भाग नहीं होगा और उन्होंने जो कुछ किया, वह व्यर्थ हो जायेगा और वे जो कुछ कर रहे हैं, असत्य सिद्ध होने वाला है।"<sup>25</sup>

एक अन्य स्थान पर अल्लाह तआला ने कहा है :

{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا (18) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا}

"जो संसार ही चाहता हो, हम उसे यहीं दे देते हैं, जो हम चाहते हैं, जिसके लिए चाहते हैं। फिर हम उसका ठिकाना (परलोक में) जहन्नम को बना देते हैं, जिसमें वह निंदित-तिरस्कृत होकर प्रवेश करेगा।

तथा जो आखिरत (परलोक) चाहता हो और उसके लिए प्रयास करता हो और वह एकेश्वरवादी हो, तो वही हैं, जिनके प्रयास का आदर सम्मान किया जायेगा।"<sup>26</sup>

एक अन्य सहीह हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : "उच्च एवं महान अल्लाह ने फ़रमाया : मैं तमाम साझेदारों की साझेदारी से

<sup>24</sup> सहीह बुखारी : 1474, सहीह मुस्लिम : 4040.

<sup>25</sup> सूरा हूद : 15-16.

<sup>26</sup> सूरा अल-इसरा : 18-19.

अधिक निस्पृह हूँ, जिसने कोई काम किया और उसमें किसी को मेरा साझी ठहराया, मैं उसको और उसके साझी बनाने के कार्य को छोड़ देता हूँ।"<sup>27</sup>

तथा उसके लिए यह भी उचित है कि वह अपनी यात्रा में अच्छे और धार्मिक, तक्रवा वाले, एवं धर्म में गहरा ज्ञान रखने वाले लोगों की संगति अपनाए तथा मूर्ख एवं पापियों की संगति से बचे।

तथा उसके लिए उचित है कि हज्ज एवं उमरा के संबंध में जो चीज़ें उसके लिए शरई तौर पर अनिवार्य हैं, उन्हें सीखे, उसके विषय में अपने ज्ञान को बढ़ाए, तथा जो चीज़ उसे समझ में न आए उसके बारे में प्रश्न करे, ताकि वह ज्ञान और समझ प्राप्त कर सके। जब वह अपनी सवारी, जैसे कि ऊँट, गाड़ी, विमान या अन्य किसी प्रकार के सवारी के साधन पर सवार हो, तो उसके लिए यह मुस्तहब (वांछनीय) है कि वह अल्लाह का नाम ले (बिस्मिल्लाह कहे), उसकी प्रशंसा करे (अल्हम्दुलिल्लाह कहे), फिर तीन बार तकबीर (अल्लाहु अकबर) कहे, फिर यह कहे :

{سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ}

"पवित्र है वह, जिसने इसे हमारे वश में कर दिया, अन्यथा हम इसे अपने वश में नहीं कर सकते थे।

तथा हम अवश्य ही अपने रब ही की ओर फिरकर जाने वाले हैं।"<sup>28</sup>

"ऐ अल्लाह! हम अपनी इस यात्रा में तुझसे भलाई, धर्मपरायणता और ऐसा अमल माँगते हैं, जो तुझे पसंद हो। ऐ अल्लाह! हमारे लिए हमारी इस यात्रा को आसान कर दे और इसकी दूरी को समेट दे। ऐ अल्लाह! तू ही यात्रा में साथी और अनुपस्थिति में घर-परिवार की देख-भाल करने वाला है। ऐ अल्लाह! मैं तेरी शरण में आता हूँ यात्रा की कठिनाइयों, बुरी हालत और धन तथा परिवार में बुरे परिवर्तन से।"<sup>29</sup> यह बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सहीह तौर पर प्रमाणित है, जिसे मुस्लिम ने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस से वर्णित किया है।

यात्रा के दौरान अधिक से अधिक ज़िक्र, क्षमा याचना, दुआ, कुरआन की तिलावत तथा उसके अर्थों पर विचार आदि करता रहे। पाबंदी से जमात के साथ नमाज़ पढ़े और अपनी ज़बान को बुराईयों जैसे बेतुकी बातों में लिप्त होना, एवं अनावश्यक बहस में शामिल होना, तथा अत्यधिक हंसी-मज़ाक करना आदि से बचाए रखे। अपनी ज़बान को

<sup>27</sup> सहीह मुस्लिम : 2985.

<sup>28</sup> सूरा अल-जुखरूफ़ : 13-14.

<sup>29</sup> सहीह मुस्लिम : 1342.

झूठ, गीबत, नफ़रत फैलाने और अपने दोस्तों एवं अन्य मुसलमान भाईयों का मजाक उड़ाने से भी बचाए रखे।

और उसे चाहिए कि वह अपने साथियों के साथ भलाई करे, उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ न दे, तथा अपनी शक्ति के अनुसार, बुद्धिमान और अच्छे उपदेश के साथ, उन्हें अच्छे कार्यों का आदेश दे एवं बुरे कार्यों से रोकें।

## अध्याय

जब मीकात (निर्धारित सीमा) पर पहुंचे, तो हाजी कौन से कार्य करे :

और जब वह मीकात पर पहुंचे, तो उसके लिए यह मुस्तहब (वांछनीय) है कि वह गुस्ल करे और इतर लगाए; क्योंकि यह रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इहराम के समय सिले हुए कपड़े उतार दिए और गुस्ल किया, और सहीह हदीस में यह आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है : "मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उनके इहराम के लिए खुशबू लगाती थी, इससे पहले कि आप इहराम बांधते तथा आपके हलाल होने लिए काबा की तवाफ़ करने के पूर्व खुशबू लगाया करती थी।"<sup>30</sup> आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब उमरा का इहराम बांधा था तथा उन्हें माहवारी आ गई थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें आदेश दिया कि वह स्नान करने के पश्चात हज का इहराम बांध लें। तथा असमा बिनत उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब जुलहलैफ़ा (नामक स्थान पर) बच्चे को जन्म दिया था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें आदेश दिया कि वह स्नान करने के पश्चात, कपड़े का उपयोग करें और इहराम बांध लें<sup>31</sup>। इससे यह प्रमाण मिलता है कि एक महिला जब मीकात पर पहुंचती है और वह मासिक धर्म या प्रसुव की अवस्था में होती है, तो उसे स्नान करना चाहिए तथा लोगों के साथ इहराम बांधना चाहिए, और हाजी जो कार्य करते हैं, वह सब कार्य करना चाहिए सिवाय काबा के चारों ओर तवाफ़ के। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने आइशा और असमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा को इसका आदेश दिया था।

और जो व्यक्ति इहराम बांधने की इच्छा रखता है, उसके लिए यह मुस्तहब है कि वह अपनी मूंछ, नाखून, जघन बाल और बगल के बालों को देख ले तथा आवश्यकता के अनुसार उन्हें काट लें, ताकि इहराम के बाद उसे इसकी आवश्यकता न पड़े, जबकि यह उसके लिए (उस समय) वर्जित हो, तथा इसलिए भी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुसलमानों के लिए इन चीजों का हर समय अवलोकन करने का आदेश दिया है, जैसा कि सहीह बुखारी एवं सहीह मुस्लिम में वर्णित अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है : "फितरत (प्रवृत्ति) के पांच कार्य हैं : खतना करना, जघन बालों को हटाना, मूंछें काटना, नाखून काटना, तथा बगल के बालों को उखाड़ना,"<sup>32</sup> तथा सहीह मुस्लिम में अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, वह कहते हैं : "हमारे लिए मूंछ काटने, नाखून काटने, बगल के बालों

<sup>30</sup> सहीह मुस्लिम : 1218.

<sup>31</sup> सहीह बुखारी : 1539, सहीह मुस्लिम : 1189.

<sup>32</sup> सहीह बुखारी : 5891, सहीह मुस्लिम : 257.

उखाड़ने, और जघन बाल काटने की अवधि निर्धारित की गई है कि इसे हम चालीस रातों से अधिक न छोड़ें।"<sup>33</sup>

तथा नसाई ने इस हदीस को इन शब्दों के साथ रिवायत किया है : "हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अवधि निर्धारित कर दी।" इसे अहमद, अब दाऊद तथा तिर्मिजी ने नसाई के शब्दों के साथ रिवायत किया है। जहां तक सिर की बात है, तो इहराम के समय सिर के बालों को काटना शरीयत सम्मत नहीं है। चाहे वह पुरुष हो या महिला।

जहां तक दाढ़ी की बात है, तो किसी भी समय उसको मंडना अथवा उस में से कुछ काटना हाराम है, बल्कि इसे जस का तस छोड़े रखना एवं बढ़ाना अनिवार्य है, जैसा कि सहीहैन में इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से प्रमाणित है, वह कहते हैं : अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : "मुश्रीकीन का विरोध करो, दाढ़ियों को बढ़ाओ तथा मूंछों को काटो।"<sup>34</sup> तथा मुस्लिम ने अपनी सहीह में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है, वह कहते हैं : अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : "मूंछों को काटो और दाढ़ियों को बढ़ाओ, मजूसियों का विरोध करो।"<sup>35</sup>

आज के समय में यह बड़ी मुसीबत है कि बहुतेरे लोग इस सन्नत का विरोध करते हैं और दाढ़ियों को काटते हैं, तथा काफ़िरों और महिलाओं की समानता को स्वीकार करते हैं, विशेष रूप से वे लोग जो ज्ञान एवं शिक्षा से जुड़े हुए हैं। इब्ना लिल्लाहि व इब्ना इलैहि राजिऊन (हम अल्लाह के हैं तथा उसी की ओर लौटने वाले हैं), हम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें एवं सभी मुसलमानों को सन्नत का अनुसरण करने और दृढ़ता के साथ उसे थामे रहने एवं लोगों को इसकी ओर आमंत्रण देने की तरफ़ मार्गदर्शित करे, भले ही अधिकांश लोग इसे नापसंद करें, तथा अल्लाह हमारे लिए पर्याप्त है और वही सबसे अच्छा संरक्षक है, एवं सर्वोच्च और महान अल्लाह की सहायता के बिना न बुराइयों को छोड़ने की छमता है और न ही पुन्य करने का छमता है।

फिर पुरुष इज़ार (तहबंद) और रिदा (चादर) पहनें, तथा मुस्तहब (पसंदीदा) यह है कि वे दोनों सफ़ेद एवं साफ़ हो, एवं यह भी मुस्तहब है कि वह जूते पहनकर इहराम बाँधें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है : "हर व्यक्ति लुंगी, चादर और जूते पहनकर इहराम बाँधे। अगर जूते न मिल सकें, तो चमड़े के मोज़े पहन ले और उनको काटकर टखनों से नीचे तक कर ले।"<sup>36</sup> इस हदीस को इमाम अहमद रहिमहुल्लाह ने रिवायत किया है।

जहाँ तक महिलाओं की बात है, तो उन्हें इहराम बाँधने के लिए किसी भी रंग के कपड़े पहनने की अनुमति है, चाहे वह काला हो, हरा हो या अन्य कोई रंग, किंतु पुरुषों के कपड़ों की नकल करने से बचना चाहिए। इहराम के दौरान महिलाओं को नकाब और

<sup>33</sup> सहीह मुस्लिम : 258.

<sup>34</sup> सहीह बुखारी : 2892, सहीह मुस्लिम : 259.

<sup>35</sup> सहीह मुस्लिम : 260.

<sup>36</sup> सहीह मुस्लिम : 1177.

दस्ताना पहनने की अनमति नहीं है। परंतु वह नकाब एवं दस्तानों को छोड़ किसी अन्य चीज से अपने चेहरे तथा हाथों को ढकेगी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लुम ने महिलाओं को इहराम के दौरान नकाब और दस्ताना पहनने से मना किया है। जहाँ तक कुछ लोगों द्वारा महिलाओं के इहराम के लिए हरे या काले रंग को विशेष रूप से निर्धारित करने की बात है, तो इसका कोई आधार नहीं है।<sup>37</sup>

फिर स्नान, सफाई एवं इहराम के कपड़े पहनने के बाद, अपने दिल में उस इबादत की निय्यत (इरादा) करे जिसे वह अंजाम देना चाहता है, चाहे वह हज्ज हो या उमरा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है : **"सभी कार्यों का आधार नीयतों पर है और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी नीयत के अनुरूप ही परिणाम मिलेगा।"**<sup>38</sup>

तथा उस ने जो निय्यत (इरादा) किया है, उसे जुबान से भी कहना उसके लिए मशरूअ (उचित) है। यदि उसकी निय्यत उमरा की है, तो वह कहेगा : "लब्बैक उमरतन" (मैं उपस्थित हूँ उमरा के लिए) अथवा "अल्लाहुम्मा लब्बैक उमरतन" (ऐ अल्लाह मैं उपस्थित हूँ उमरा के लिए) तथा यदि उसकी निय्यत हज्ज की है, तो वह कहेगा : "लब्बैक हज्जन" (मैं उपस्थित हूँ हज्ज के लिए) अथवा "अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन" (ऐ अल्लाह मैं उपस्थित हूँ हज्ज के लिए) क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा किया था, और यदि उसने दोनों की निय्यत की है, तो वह इसे तरह से कहेगा : (ऐ अल्लाह मैं उपस्थित हूँ उमरा एवं हज्ज के लिए)। उतम यह है कि इसे उस समय कहा जाए, जब वह अपनी सवारी के जानवर, गाड़ी या अन्य किसी वाहन पर स्थिर हो जाए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी सवारी पर स्थिर होने एवं मीकात से चलने के लिए तैयार होने के बाद इसे कहा था। (इस विषय पर) विद्वानों के अनेक कथनों में से यह सबसे सही कथन है।

तथा इहराम को छोड़ कर किसी अन्य इबादत (उपासना) में निय्यत को जुबान से उच्चारण करना मशरूअ (वैध) नहीं है, क्योंकि ऐसा ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वर्णित है।

जहाँ तक नमाज़, तवाफ़ एवं अन्य इबादतों का संबंध है, तो उन इबादतों को अंजाम देते समय निय्यत को जुबान से बोल कर अदा नहीं किया जाएगा, अतः वह यह नहीं कहेगा : 'मैंने इस-इस प्रकार की नमाज़ पढ़ने की निय्यत की' अथवा 'मैंने इस प्रकार का तवाफ़ करने की निय्यत की', क्योंकि ऐसा करना नव-उदभूत बिदातों में से है, तथा इसे जोर से कहना और भी अधिक बुरा एवं संगीन पाप है, क्योंकि यदि निय्यत का जुबान से इज़हार करना मशरूअ होता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसे स्पष्ट रूप से समझाया होता तथा अपने कर्म या कथन से इसे उम्मत के लिए स्पष्ट किया होता, इसके साथ-साथ सलफ़-ए-सालेहीन इसे पहले ही अपना चुके होते।

किंतु जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या उनके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से ऐसा करना वर्णित नहीं है, तो इस से यह स्पष्ट है कि यह एक बिदात है, तथा नबी

<sup>37</sup> 1 -यहां, "नकाब" शब्द का तात्पर्य प्रसिद्ध नकाब से नहीं है, बल्कि यहाँ "नकाब" शब्द का तात्पर्य कपड़े के उस टुकड़े से है जिसे स्त्रियाँ अपने चेहरे को ढकने के लिए इस्तेमाल करती हैं और जिसमें आंखों की जगह पर छेद किया होता है।

<sup>38</sup> सहीह बुखारी : 1, सहीह मुस्लिम : 1907.

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है : "सबसे बुरी बात बिद्अत (दीन के नाम पर की गई नई चीज़) है एवं प्रत्येक बिद्अत गुमराही (पथभ्रष्टता) है।"<sup>39</sup> इसे इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह में रिवायत किया है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है : "जिसने हमारे इस धर्म में कोई ऐसी चीज़ पैदा की, जो धर्म का भाग नहीं है, तो वह अमान्य एवं अस्वीकृत है।"<sup>40</sup> इस सहदीस को इमाम बुखारी तथा इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। जबकि सहीह मुस्लिम की एक रिवायत में है : "जिसने कोई ऐसा कार्य किया, जिसके संबंध में हमारा आदेश नहीं है, तो वह अमान्य है।"<sup>41</sup>

## अध्याय

### स्थानीय मीकात एवं उनकी सीमाओं के बारे में

(स्थानीय) मीकात पाँच हैं :

प्रथम : जुल-हलैफ़ा, जो मदीना के निवासियों के लिए मीकात है, तथा आज-कल इसे लोग 'अबियार'-ए-अली' के नाम से जानते हैं।

द्वितीय : अल-जुहफ़ह, जो शाम (सीरिया आदि) के निवासियों की मीकात है, यह एक खंडहर गाँव है जो राबिग के पास है, और आजकल लोग राबिग से इहराम बाँधते हैं, एवं जिसने राबिग से इहराम बाँधा, उसने वास्तव में मीकात से ही इहराम बाँधा, क्योंकि राबिग उससे थोड़ा ही पहले है।

तृतीय : कर्न अल-मनाज़िल, जो नज्द के निवासियों का मीकात है, इसे आजकल 'अस-सैल' के नाम से जाना जाता है।

चतुर्थ : यलमलम, जो यमन के निवासियों की मीकात है।

पंचम : ज़ात-ए-इर्क, यह इराक के निवासियों की मीकात है।

ये मवाक़ीत (स्थानीय सीमाएँ) नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन लोगों के लिए निर्धारित की हैं जिनका हमने पूर्व में उल्लेख किया है, तथा उन लोगों के लिए भी जो हज या उमरा करने की नीयत से इनमें से किसी मीकात से गुज़रें।

इन मीकातों से गुज़रने वालों पर वाज़िब है कि वे वहीं से इहराम बाँधें तथा यदि वे हज अथवा उमरा करने के उद्देश्य से मक्का जाने की इच्छा रखते हों, तो उनके लिए यह हराम (वर्जित) है कि वे बिना इहराम के उन्हें पार करें, चाहे उनका इन मवाक़ीत से गुज़रना ज़मीन के रास्ते से हो या हवाई मार्ग से, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इन मवाक़ीत को निर्धारित करते समय फ़रमाया था : "ये इन (स्थानों) के

<sup>39</sup> सहीह मुस्लिम : 867.

<sup>40</sup> सहीह बुखारी : 2697, सहीह मुस्लिम : 1718.

<sup>41</sup> सहीह बुखारी : 2550, सहीह मुस्लिम : 1718.

निवासियों) के लिए हैं तथा उनके लिए भी जो यहाँ के निवासी नहीं हैं, परंतु इन (मार्गों) से हज और उमरा के इरादे से गुजरते हैं"।<sup>42</sup>

और जो व्यक्ति हज या उमरा की नीयत से हवाई मार्ग से मक्का जा रहा हो, उसके लिए शरीयत सम्मत यह है कि वह उड़ान से पहले ही इसके लिए स्नान एवं इस प्रकार की अन्य तैयारियां कर ले। ऐसे में जब मीकात पहुँचे तो अपना इज़ार (लुंगी) और रिदा (चादर) पहन ले। फिर यदि पर्याप्त समय हो तो उमरा के लिए लब्बैक कहे तथा यदि समय कम हो, तो हज के लिए लब्बैक कहे। यदि इज़ार और रिदा को सवारी पर चढ़ने के पूर्व ही अथवा मीकात के पास पहुँचने से पहले पहन लिया, तो इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है। परंतु इबादत में प्रवेश करने की नीयत नहीं करेगा और न ही लब्बैक कहेगा, जब तक कि मीकात न पहुँच जाए अथवा उसके निकट न आ जाए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मीकात से ही इहराम बाँधा था। उम्मत पर वाजिब है कि वह अल्लाह के इस कथन को सामने रखते हुए अन्य धार्मिक मामलों की तरह इस मामले में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को ही अनुसरण करे :

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}

"तुम्हारे लिए अवश्य अल्लाह के रसूल में उत्तम आदर्श है।"<sup>43</sup> तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज्जतुल वदा के अवसर पर फ़रमाया था : "मुझसे अपने मनासिक (हज के कार्य) सीख लो।"<sup>44</sup>

जहाँ तक बात है उस व्यक्ति की जो मक्का की ओर जा रहा हो परंतु उस का इरादा हज्ज या उमरा करने का न हो, जैसे व्यापारी, लकड़हारा, डाकिया एवं इसी तरह के अन्य लोग, तो उसके लिए इहराम बाँधना आवश्यक नहीं है जब तक कि वह स्वयं इसका इरादा न करे, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने पिछली हदीस में मीकात का वर्णन करते हुए फ़रमाया है : "ये इन्ने (स्थानों के निवासियों) के लिए हैं तथा उनके लिए भी जो यहाँ के निवासी नहीं हैं, परंतु इन (मार्गों) से हज और उमरा के इरादे से गुजरते हैं"।<sup>45</sup> इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति इस मीकात से गुजरता है परंतु इसका इरादा हज्ज अथवा उमरा करने का नहीं है, तो उस पर इहराम बाँधना वाजिब नहीं है।

यह अल्लाह की अपने बंदों पर दया एवं आसानी में से है, अतः इस पर उसके लिए हम्द (प्रशंसा) एवं शुक्र (धन्यवाद) है, इस बात की पुष्टि इस से भी होती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फ़तह (विजय) के साल मक्का आए, तो आपने इहराम नहीं बाँधा, बल्कि आप मक्का में मिग़फ़र (लोहे की टोपी) पहनकर दाखिल हुए, क्योंकि

<sup>42</sup> सहीह बुखारी : 1524, सहीह मुस्लिम : 1181, वर्णनकर्ता अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा।

<sup>43</sup> सूरा अल-अहज़ाब : 21

<sup>44</sup> सहीह मुस्लिम : 1297.

<sup>45</sup> इसके हवाले पीछे गुज़र चुके हैं।

उस समय आपका इरादा हज्ज या उमरा का नहीं था, बल्कि मक्का को फ़तह करना एवं उसमें मौजूद शिर्क को मिटाना था।

तथा जो लोग मीकात के अंदर रहते हों, जैसे जेददा, उम्म अस-सलम, बहरा, अश-शराइय, बद्र, मस्तुरा एवं इसी तरह के अन्य स्थानों के निवासी, उन्हें उन पूर्वोक्त पांच मीकातों में से किसी पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनका निवास स्थान ही उनका मीकात है और वे वहीं से हज या उमरा का इरादा करके इहराम बांध सकते हैं। किंतु यदि उसके पास मीकात से बाहर एक अन्य निवास स्थान हो, तो उसके लिए दो विकल्प हैं। यदि वह चाहे तो मीकात से इहराम बांधे या फिर अपने उस निवास स्थान से जो मीकात की तुलना में मक्का से अधिक निकट है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लेम ने इब्न-ए-अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु द्वारा वर्णित हदीस में मीकात का वर्णन करते हुए फ़रमाया है : **"तथा जो कोई इस के अंदर रहता हो उसे इहराम बांधना है, अपने निवास स्थान से, यहाँ तक कि मक्का के निवासी मक्का से ही इहराम बाँधेंगे।"**<sup>4647</sup> इस हदीस को बुखारी एवं मुस्लिम ने रिवायत किया है।

किंतु हरम (की सीमा) के अंदर उपस्थित व्यक्ति यदि उमरा करना चाहता हो तो उसे हिल्ल (हरम की सीमा के बाहर) जाना होगा तथा वह वहाँ से उमरा के लिए इहराम बांधेगा, क्योंकि जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लेम से उमरा की अनुमति मांगी, तो आपने उनके भाई अब्दुर्रहमान को आदेश दिया कि वह उन्हें हिल्ल ले जाएँ और वह वहाँ से इहराम बांधे, इस से यह प्रमाणित होता है कि हरम के अंदर से उमरा के लिए इहराम नहीं बांधा जाएगा, बल्कि हिल्ल से बांधा जाएगा।

यह हदीस इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हमा की पूर्वोक्त हदीस को खास (उस के अर्थ को सीमित) करती है, तथा यह दर्शाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लेम की मंशा उनके इस कथन में : **"यहाँ तक कि मक्का के निवासी मक्का से ही इहराम बाँधेंगे।"**<sup>48</sup> यह है कि इस से अभिप्राय हज्ज लिए इहराम बांधना है न कि उमरा के लिए, क्योंकि यदि हरम (की सीमा) के अंदर से उमरा के लिए इहराम बांधना वैध होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लेम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को इसकी अनुमति देते तथा उन्हें हिल्ल तक जाने का कष्ट नहीं देते, यह बात स्पष्ट है, एवं अधिकांश विद्वानों का मत भी यही है, अल्लाह उन सब पर दया करे, मोमिनों के लिए इसका पालन करना अधिक सुरक्षित है, क्योंकि इसमें दोनों हदीसों पर अमल हो जाता है, और अल्लाह ही तौफ़ीक़ (अनुग्रह) देने वाला है।

जो लोग हज के बाद तनईम या जइराना अथवा अन्य स्थानों से बार-बार उमरा करते हैं, जबकि उन्होंने हज से पहले उमरा कर लिया होता है, तो इसके शरई होने का कोई प्रमाण नहीं है, अपितु प्रमाण यह दर्शाते हैं कि इसे छोड़ना बेहतर है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लेम और आपके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हम ने हज पूरा करने के बाद उमरा नहीं किया है। आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तनईम से उमरा इसलिए

<sup>46</sup> पिछली हदीस का एक भाग।

<sup>47</sup> (हदीस में वर्णित शब्द) फ़मुहल्लुहु का अर्थ है : इहराम बाँधने के स्थान से तलबिया के साथ उसका इहराम बांधना।

<sup>48</sup> इसके हवाले पीछे गुज़र चुके हैं।



किया था, क्योंकि मक्का में प्रवेश के समय उन्हें हैज (माहवारी) आ जाने के कारण वह लोगों के साथ उमरा नहीं कर पाई थीं। अतः उन्होंने नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम से अनुरोध किया कि (उन्हें अनुमति दें कि) वह उस उमरा के बदले एक उमरा कर लें, जिसके लिए उन्होंने मीकात से इहराम बांधा था। चुनावचे नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। इस प्रकार उन्हें दो उमरे मिले : एक वह उमरा जो उन्होंने हैज के साथ किया था, तथा यह एकल उमरा। अतः जो कोई आइशा रजियल्लाह अन्हा की स्थिति में हो, उसके लिए हैज के बाद उमरा करने में कोई आपत्ति नहीं है। इससे सभी प्रमाणों पर अमल भी हो जाएगा और मुसलमानों को आसानी भी होगी।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि हज्ज के बाद हाजियों का एक और उमरा करना, उस उमरा के अलावा जिसके लिए उन्होंने मक्का में प्रवेश किया था, सभी के लिए कठिनाई पैदा करता है, एवं अधिक भीड़ और हादसों का कारण बनता है, इसके साथ-साथ इसमें नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के दंग और सुन्नत का विरोध भी है। और अल्लाह ही तौफ़ीक़ देने वाला है।

## अध्याय

जो हज्ज के महीनों के अतिरिक्त अन्य समय में मीकात पर पहुँचे उसके हुक्म के संबंध में

जान लें कि मीकात पर पहुँचने वाले की दो स्थितियां होती हैं :

पहली स्थिति : वह हज्ज के महीनों के अलावा के समय में मीकात पर पहुँचे, जैसे कि रमजान और श'अबान में, इस स्थिति में सुन्नत यह है कि वह उमरा के लिए इहराम बांधे और अपने दिल में इसकी निय्यत करें तथा अपनी ज़बान से कहे : "लब्बैक उमरतन" (मैं उपस्थित हूँ उमरा के लिए) या "अल्लाहुम्मा लब्बैक उमरतन" (ऐ अल्लाह मैं उपस्थित हूँ उमरा के लिए), फिर नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का तलबिया कहे, जो कि यह है : "लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लकु लब्बैक, इन्नल-हम्दा वनु-निअमता लक वल मुल्क, ला शरीक लकु।" (मैं उपस्थित हूँ। ऐ अल्लाह! मैं उपस्थित हूँ। तेरा कोई साझी नहीं है, मैं उपस्थित हूँ। सारी प्रशंसा, सारी नेमतें और सारा राज्य तेरा है। तेरा कोई साझी नहीं है।")<sup>49</sup> तथा वह अधिकाधिक इस तलबिया को एवं अल्लाह के ज़िक्र को करता रहे, यहाँ तक कि वह काबा पहुँच जाए, जब वह काबा तक पहुँच जाए, तो तलबिया कहना छोड़ दे और काबा के चारों ओर सात तवाफ़ (चक्कर) करे, फिर मक़ाम -ए- इब्राहीम के पीछे दो रकात नमाज़ पढ़े, इसके बाद सफ़ा की ओर जाए तथा सफ़ा और मरवा के बीच सात चक्कर लगाए, तत्पश्चात अपने सिर के बाल मुँडवाए या छोटे करवाए। इस प्रकार उसका उमरा पूरा हो जाएगा और इहराम के कारण जो भी चीज़ उसके लिए हराम थी, अब वह हलाल हो जाएगी।

दूसरी स्थिति : वह हैज के महीनों में मीकात पर पहुँचे, जो कि शव्वाल, जुल-कादा तथा जुल-हिज्जा के पहले दस दिन हैं।

<sup>49</sup> सहीह बुखारी : 1549, सहीह मुस्लिम : 1184, वर्णनकर्ता अब्दुल्लाह बिन उमर रजियल्लाह अनहुमा।

ऐसे व्यक्ति के पास तीन विकल्प होते हैं : केवल हज करना, केवल उमरा करना, या दोनों को एक साथ करना, क्योंकि नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम जब हज्जतुल वदा के समय जूल-कादा महीने में मीकात पर पहुंचे, तो आप सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने अपने साथियों को हज की इन तीनों नुसुक (पद्धतियों) में से किसी एक को चुनने की स्वतंत्रता दी थी। किंतु यदि उसके पास कुर्बानी का जानवर नहीं हो, तो सुन्नत यह है कि वह उमरा के लिए इहराम बांधे, तथा वहीं करे जो हमने हज के अतिरिक्त अन्य महीनों में मीकात पर पहुंचने वाले के लिए उल्लेख किया है। क्योंकि नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने अपने सहाबा को मक्का के करीब पहुंचते ही इहराम को उमरा में बदलने का आदेश दिया तथा मक्का में इस पर जोर दिया। अतः उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के आदेश का पालन करते हुए तवाफ किया, सर्ई की और अपने बाल छोटे किए एवं इहराम से बाहर आ गए। सिवाय उन लोगों के जिन्होंने कुर्बानी का जानवर साथ रखा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने उन्हें आदेश दिया कि वे इहराम में रहें, जब तक कि कुर्बानी का दिने (दस ज़ि-लहिज्जा) न आ जाए। और जो व्यक्ति हृदय (कुर्बानी के जानवर) लेकर हज्ज कर रहा हो, उसके लिए सुन्नत यह है कि वह हज्ज और उमरा दोनों का इहराम बांधे, क्योंकि नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने ऐसा ही किया था, कारण यह था कि आप हृदय लेकर आए थे, और आपने अपने उन सहाबा को भी आदेश दिया जो हृदय लेकर आए थे और उमरा का इहराम बांधा था, कि वे हज्ज का भी इहराम बांधें और यौम अन-नहर तक दोनों से बाहर नु आएं। और जो अपने साथ हृदय ले कर आए थे परंतु उन्होंने केवल हज्ज का इहराम बांधा था, तो वह भी यौम अन-नहर तक इहराम में ही रहेंगे, हज्ज -ए- किरान करने वाले व्यक्ति के समान।

इस से यह ज्ञात हुआ कि : जिसने केवल हज्ज का इहराम बांधा हो, या हज्ज और उमरा दोनों का इहराम बांधा हो परंतु उसके पास हृदय नहीं है, तो उसे अपने इहराम में बाकी नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसके लिए सुन्नत यह है कि वह अपने इहराम को उमरा में बदल दे, तवाफ करे, सर्ई करे, बाल छोटे करवाए और इहराम से बाहर आ जाए, जैसा कि नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने अपने उन साथियों को आदेश दिया था जो हृदय लेकर नहीं आए थे, सिवाय इसके कि देर से पहुंचने के कारण ऐसा करने से हज्ज के छूट जाने का डर हो, तो इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है कि वह अपने इहराम में ही रहे। और अल्लाह ही बेहतर जानता है।

यदि इहराम बांधने वाले व्यक्ति को यह भय हो कि वह अपने नुसुक (हज अथवा उमरा) को पूर्ण नहीं कर पाएगा, किसी रोग के कारण अथवा उसे किसी शत्रु का भय हो, तो उसके लिए इहराम बांधते समय यह कहना मुस्तहब (पसंदीदा) है : "फ़इन हबसनी हाबिसन फ़महिल्ली हैस हबसतनी" (यदि कोई रोकने वाला मुझे रोक दे, तो मेरे इहराम खोलने का स्थान वही होगी जहां तू मुझे रोकेगा।) क्योंकि जबाआ बिन ज़बैर रज़ियल्लाह अनहा की हदीस में है कि उन्होंने पूछा : हे अल्लाह के रसूल! मैं हज करना चाहती हूँ परंतु मैं बीमार हूँ, तो नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने उनसे कहा : "हज करो और यह शर्त रख लो कि मेरे इहराम खोलने का स्थान वही होगा, जहाँ ऐ अल्लाह! तू मुझे रोक देगा।"<sup>50</sup> बुखारी एवं मुस्लिम।

<sup>50</sup> सहीह बुखारी : 5089, सहीह मुस्लिम : 1207.

इस शर्त का लाभ यह है : कि अगर इहराम बाँधने वाले को ऐसा कुछ हो जाए जो उसे उसकी नुसक (इबादत) पूरी करने से रोक दे, जैसे कि बीमारी या दुश्मन का सामना, तो वह इहराम से बाहर आ सकता है और उस पर कोई दंड नहीं होगा।

## अध्याय

क्या छोटे बच्चे का हज्ज करना, बड़ा होकर उस पर फर्ज हज्ज के लिए पर्याप्त होगा?

छोटे लड़के एवं छोटी लड़की का हज सही है, जैसा कि सहीह मुस्लिम में, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हमा से वर्णित है कि एक महिला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ओर एक बच्चे को उठाया और कहा : हे अल्लाह के रसूल! क्या इसके लिए हज है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : **"हाँ है, और तुम्हारे लिए प्रतिफल है।"**<sup>51</sup>

तथा सहीह बुखारी में, साइब बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, वह कहते हैं : **"मुझे (हजतुल वदा के अवसर पर) अल्लाह के रसूल- सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम- के साथ हज कराया गया, जबकि उस समय मेरी आयु सात साल थी।"**<sup>52</sup> किंतु यह हज्ज, हज्जतुल इस्लाम (इस्लामी हज्ज, अर्थात वयस्क होने पर अनिवार्य होने वाला हज्ज) के स्थान पर उसके लिए काफ़ी नहीं होगा।

इसी प्रकार, दास एवं दासी का हज्ज सही है, किंतु यह इस्लामी हज्ज की जगह पर उनके लिए काफ़ी नहीं होगा, जैसा कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हमा की हदीस में वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : **"जो भी बच्चा हज करे और फिर वयस्क हो जाए, तो उसे एक और हज करना होगा। तथा जो भी दास हज करे और फिर उसे मुक्त कर दिया जाए, तो उसे भी एक और हज करना होगा।"**<sup>53</sup> इस हदीस को इब्ने इबी शैबा एवं बैहकी ने हसन सनद के साथ रिवायत किया है।

फिर बच्चा यदि विवेक की उम्र से कम आयु का हो, तो उसका अभिभावक उसकी ओर से इहराम की नीयत करेगा, उसके सिले हुए कपड़े उतार देगा और उसकी ओर से तलबिया कहेगा। इस प्रकार बच्चा मुहरिम हो जाएगा, तथा उसे उन चीज़ों से रोका जाएगा जिनसे बड़ी आयु के इहराम बाँधने वाले लोगों को रोका जाता है। इसी तरह, जो लड़की विवेक की उम्र से कम आयु की हो, तो उसका अभिभावक उसकी ओर से इहराम की नीयत करेगा, उसकी ओर से तलबिया कहेगा, और इस प्रकार वह मुहरिम हो जाएगी, तथा उसे उन चीज़ों से रोका जाएगा जिनसे बड़ी आयु की इहराम बाँधने वाली महिलाओं को रोका जाता है। यह आवश्यक है कि तवाफ़ के दौरान दोनों के कपड़े एवं शरीर पवित्र हों, क्योंकि तवाफ़ नमाज़ के समान है तथा पवित्रता उसके लिए शर्त है।

<sup>51</sup> सहीह मुस्लिम : 1336.

<sup>52</sup> सहीह बुखारी : 1858.

<sup>53</sup> इब्न-ए-अबू शैबा 4/444.

यदि बालक एवं बालिका विवेक की उम्र के हो गए हों, तो वे अपने अभिभावक की अनुमति से इहराम बांधेंगे तथा इहराम बांधते समय वही कार्य करेंगे जो बड़े लोग करते हैं। जैसे स्नान एवं इत्र लगाना आदि। उनका वली (अभिभावक) उनकी देखभाल और उनके हितों का ध्यान रखेगा। चाहे वह उनका पिता हो, माता हो या कोई अन्य व्यक्ति। यदि वे किसी कार्य को करने में असमर्थ हो जाएं तो उनका अभिभावक उनके लिए उन कार्यों को पूरा करेगा। जैसे कंकड़ मारना आदि। तथा उन दोनों पर हज के अन्य सभी कार्यों का पालन करना अनिवार्य होगा। जैसे अरफा में रुकना, मिना और मजदलिफा में रात बिताना तथा तवाफ़ और सई करना। यदि वे तवाफ़ और सई करने में असमर्थ हो जाएं तो उन्हें उठाकर तवाफ़ और सई कराई जाएगी, तथा उत्तम यह है कि उन्हें उठाने वाला तवाफ़ और सई को उनके और अपने बीच साझा न करे, बल्कि केवल उनके लिए तवाफ़ और सई की निय्यत करे, और अपने लिए अलग से तवाफ़ और सई करे, इबादत में सतर्कता बरतते हुए तथा इस हदीस शरीफ़ का पालन करते हुए : **"जिस कार्य में तुझे संदेह हो, उसे छोड़कर वह कार्य करो, जिसमें तुझे संदेह न हो।"**<sup>54</sup> यदि बालक अथवा बालिका को उठाने वाला तवाफ़ और सई में अपने और उठाए गए दोनों की नीयत कर ले, तो सही कथन के अनुसार यह (दोनों के लिए) काफी होगा। क्योंकि नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने उस महिला को, जिसने बच्चे के हज के बारे में पछा था, यह नहीं कहा कि वह केवल बच्चे के लिए तवाफ़ करे। यदि यह अनिवार्य होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह स्पष्ट कर दिया होता। अल्लाह ही तौफ़ीक़ देने वाला है।

तथा विवेकशील लड़के एवं विवेकशील लड़की को तवाफ़ आरंभ करने के पूर्व बड़ी आयु के लोगों के इहराम बांधने की तरह ही, हृदय (अदृश्य एवं अनुभव न की जाने वाली अपवित्रता) एवं नजस (दृश्य एवं अनुभव की जाने वाली अपवित्रता) से पवित्र होने का आदेश दिया जाएगा, छोटे बच्चे और छोटी लड़की के लिए इहराम उनके अभिभावक पर वाजिब (अनिवार्य) नहीं है, बल्कि यह नफ़ल (निवार्य) है, यदि अभिभावक इसे करें, तो उसे अज़्र (पुण्य) मिलेगा, और यदि छोड़ दें, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। और अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है।

## अध्याय

**मुहज़रात -ए- इहराम (इहराम की अवस्था में वर्जित चीज़ें) तथा इहराम बांधने वाले के लिए जिन चीज़ों का करना वैध है, उसकी व्याख्या के संबंध में**

इहराम की निय्यत करने के बाद -चाहे वह पुरुष हो या महिला- उसके लिए यह उचित नहीं है कि वह अपने बाल या नाखून काटे अथवा इत्र लगाए।

विशेष रूप से, किसी पुरुष के लिए ऐसे कपड़े पहनना जायज़ नहीं है जो उसके पूरे शरीर के अनुरूप सिले गए हों, जैसे शर्ट, या जो उसके शरीर के कुछ हिस्सों के अनुरूप सिले गए हों, जैसे बनियान, पायजामा, मोज़े आदि। सिवाय इसके कि अगर उसे इज़ार

<sup>54</sup> सुनन तिर्मिज़ी : 2518.

(तहमद) न मिले, तो उसके लिए पायजामा पहनना जायज़ है। जिस व्यक्ति के पास जूते न हों, उसके लिए बिना काटे हुए (चमड़े के) मोज़े पहनना जायज़ (वैध) है, क्योंकि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की सहीहैन में वर्णित हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है : **"जो जूता न पाए, वह चमड़े का मोज़ा पहन ले और जो तहबंद न पाए, वह पाजामा पहन ले।"**<sup>55</sup>

जहां तक इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की उस हदीस की बात है जिसमें वर्णित है कि जूतों के अभाव में चमड़े के मोज़े पहनने की आवश्यकता होने पर उन्हें काटने का आदेश दिया गया है, तो यह मंसूख (निरस्त) है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मदीना में इसके बारे में पूछे जाने पर ऐसा करने का आदेश दिया था। फिर जब अरफ़ा में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लोगों को संबोधित किया, तो जूतों के अभाव में चमड़े का मोज़ा पहनने की अनुमति दी और उन्हें काटने का आदेश नहीं दिया। यह उपदेश उन लोगों ने भी सुना था, जिन्होंने मदीना में इसका उत्तर नहीं सुना था, जबकि आवश्यकता के समय बयान एवं स्पष्टता को विलंबित करना अनचित है। जैसा कि हदीस और फ़िक़ह के उसल (मूल सिद्धांतों) में ज्ञात है। अतः इससे काटने वाले आदेश के मंसूख (निरस्त) होने की पुष्टि होती है। यदि यह अनिवार्य होता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इसे स्पष्ट कर देते। अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है।

इहराम बाँधने वाले के लिए ऐसे चमड़े के मोज़े पहनना जायज़ है, जिनकी लम्बाई टखनों से नीचे तक हो। क्योंकि ये जूतों की श्रेणी में आते हैं।

इज़ार को धागे या इसी तरह की किसी अन्य चीज़ से बांधना भी जायज़ है। क्योंकि इस से रोकने का कोई प्रमाण नहीं है।

इहराम बाँधने वाले के लिए स्नान करना, सिर धोना तथा यदि आवश्यकता हो, तो उसे धीरे-धीरे ख़ुलाना जायज़ है, और यदि इस कारण से उसके सिर से कुछ बाल गिर जाएं, तो उसपर कोई हर्ज नहीं है।

इहराम बाँधने वाली महिला के लिए यह हराम है कि वह चेहरे के लिए सिला हुआ कपड़ा, जैसे बुरका और नकाब 1, या हाथों के लिए, जैसे दस्ताने, पहने, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है :<sup>56</sup> **"महिला नकाब नहीं पहनेगी और न ही दस्ताने पहनेगी।"**<sup>57</sup> इसे बुखारी ने रिवायत किया है। दस्ताने : इससे अभिप्राय वह चीज़ें हैं जो ऊन या कपास या अन्य सामग्रियों से हाथों के नाप के अनुसार सिले या बुने जाते हैं।

महिलाओं को सिले हुए कपड़ों में से अन्य चीज़ें पहनने की अनुमति है, जैसे कमीज़, पायजामा, जूते, मोज़े आदि।

<sup>55</sup> सहीह बुखारी : 1841, सहीह मुस्लिम : 1179

<sup>56</sup> 1- यहाँ, "बुर्का" और "नकाब" शब्द प्रसिद्ध "बुर्का" और "निकाब" को संदर्भित नहीं करते हैं, बल्कि, "बुर्का" शब्द यहाँ एक सिर कवर को संदर्भित करता है जो सिर के साथ-साथ चेहरे को भी ढकता है और इसमें आंखों के स्थान पर छेद होते हैं, जबकि "निकाब" शब्द यहाँ एक कपड़े को संदर्भित करता है जो केवल चेहरे को ढकता है और इसमें आंखों के स्थान पर छेद होते हैं।

<sup>57</sup> सहीह बुखारी : 1838, वर्णनकर्ता अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा।

तथा इसी प्रकार, यदि आवश्यकता हो, तो वह बिना पट्टी के अपने चेहरे पर दुपट्टा डाल सकती है, और अगर दुपट्टा उसके चेहरे को छूता है, तो हर्ज की कोई बात नहीं है, क्योंकि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस में वर्णित है : "राहगीर हमारे पास से गुजरते थे और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ इहराम बाँधे हुए थे। जब वे हमारे पास आते, तो हम लोग अपने सर की चादर से चेहरा ढक लेते तथा जब वे हमें पार कर जाते, तो हम उसे हटा देते थे।"<sup>58</sup> इस हदीस को अबू दावूद और इब्ने माजह ने रिवायत किया है, तथा दारकुत्नी ने उम्मे सलमा की हदीस के रूप में इसी तरह वर्णित किया है।

इसी प्रकार, उसके लिए अपने हाथों को कपड़े या किसी अन्य चीज़ से ढकने में आपत्ति की कोई बात नहीं है, तथा उसके लिए अपने चेहरे एवं हाथों को ढकना अनिवार्य है यदि वह गैर-महरम (अजनबी) पुरुषों की उपस्थिति में हो, क्योंकि वे पर्दा के योग्य हैं, जैसा कि पवित्र व सर्वोच्च अल्लाह ने फ़रमाया है :

{وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ}

"और वे अपनी शोभा का प्रदर्शन न करें सिवाय अपने पतियों के लिए।"<sup>59</sup> और इसमें कोई संदेह नहीं है कि चेहरा एवं हाथ सबसे अधिक शोभा के भाग होते हैं।

इसमें भी चेहरा सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा है। अल्लाह तआला ने फ़रमाया है :

{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}

"और यदि तुम उनसे कोई सामान माँगो, तो पर्दे के पीछे से माँगो, यही तुम्हारे दिलों और उनके दिलों के लिए अधिक पवित्र का कारण है।"<sup>60</sup>

कई महिलाओं की यह आदत है कि वे अपने दुपट्टे को ऊपर उठाने के लिए दुपट्टे के नीचे पट्टी रखती हैं, तो हमारे ज्ञान के अनुसार, इसका शरीअत में कोई आधार नहीं है, और अगर यह धार्मिक रूप से वैध होता, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी उम्मत के लिए इसको अवश्य स्पष्ट कर देते तथा इसके बारे में चुप नहीं रहते।

इहराम बाँधने वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए, जिन कपड़ों में उन्होंने इहराम बाँधा है, उन कपड़ों को गंदा हो जाने अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य आवश्यकता के कारण, धोना जायज़ है, तथा इसको बदल कर कोई इहराम का दूसरा वस्त्र धारण करना भी जायज़ है।

<sup>58</sup> सुन्नन अबू दाऊद : 1833,

<sup>59</sup> सूरा अल-नूर : 31.

<sup>60</sup> सूरा अल-अहज़ाब : 53

उसके लिए ऐसा कोई कपड़ा पहनना जायज़ (वैध) नहीं है जो ज़ाफ़रान (केसर) या वरस (एक प्रकार का सुगंधित पौधा) से रंगा गया हो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस में इससे मना किया है।

तथा मुहरिम (इहराम बाँधने वाले व्यक्ति) के लिए वाजिब (अनिवार्य) है कि वह अश्लील बातें, पाप एवं विवाद से बच कर रहे, क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया है :

{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْتٌ وَلَا فُسُوقٌ وَلَا جِدَالٌ فِي الْحَجِّ}

"हज के महीने ज्ञात हैं। जो इन महीनों में हज का निश्चय कर ले तो (हज के बीच) काम वासना तथा अवज्ञा एवं झगड़े की बातें न करे।"<sup>61</sup>

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सही (सनद से) प्रमाणित है कि आप ने फ़रमाया है : "जिसने हर्ज किया तथा हज के दिनों में बरी बात एवं बुरे कार्यों से बचा एवं अवज्ञा से दूर रहा, वह उस दिन की तरह लौटेगा, जिस दिन उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था।"<sup>62</sup> तथा 'रफ़स' का शब्द : सहवास के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तथा शब्दों एवं कर्मों में अश्लीलता के अर्थ में भी बोला जाता है। तथा फ़सक से अभिप्राय : पाप (अवज्ञा) के कार्य हैं। एवं जिदाल का अर्थ : असत्य के लिए झगड़ना है अथवा ऐसी चीज़ों के लिए जिनमें कोई लाभ नहीं हो, परंतु झगड़ना यदि सत्य को प्रमाणित करने तथा झूठ को खारिज करने के लिए उत्तम ढंग से हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि ऐसा करने का आदेश दिया गया है, जैसा कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया है :

{ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}

"अपने रब के मार्ग की ओर तत्त्वदर्शिता एवं सदुपदेश के साथ बुलाएँ और उनसे ऐसी शैली में शास्त्रार्थ करें, जो उत्तम हो।"<sup>63</sup>

और इहराम बाँधने वाले पुरुष के लिए अपने सिर को किसी ऐसे वस्त्र से ढकना हराम है जो उससे सटा हुआ हो, जैसे टोपी, गुत्रा (शिमाग), पगड़ी आदि, इसी प्रकार चेहरा भी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अराफ़ात के दिन अपनी सवारी से गिरकर मरने वाले के बारे में कहा था : "इसे जल एवं बैरी के पत्ते से स्नान कराओ, तथा दो कपड़ों में कफ़न दो और इसके सर एवं चेहरे को न ढाँपो, क्योंकि यह क़यामत के दिन तलबिया पढ़ता हुआ उठाया जाएगा।"<sup>64</sup> बुखारी एवं मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है, तथा उपरोक्त शब्द मुस्लिम द्वारा वर्णित हैं।

<sup>61</sup> सूरा अल-बकरा : 197

<sup>62</sup> सहीह बुखारी : 1521, सहीह मुस्लिम : 1350, वर्णनकर्ता अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु।

<sup>63</sup> सूरा अल-नहल : 125.

<sup>64</sup> सहीह बुखारी : 1521, सहीह मुस्लिम : 1350, वर्णनकर्ता अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा।

कार की छत या छाते या इसी प्रकार की चीजों, जैसे तंब और पेड़ की छाया प्राप्त करने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि सहीह हदीस में प्रमाणित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम जब जमरा अक़बा पर कंकड़ी मार रहे थे तो आपके ऊपर कपड़ा डालकर छाया की गई थी। इसी प्रकार एक अन्य सहीह हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के लिए नमिरा में एक खेमा लगाया गया था और आप अरफ़ा के दिन का सूरज ढलने तक इसके अंदर रुके रहे।

तथा इहराम बाँधे हुए पुरुषों एवं महिलाओं के लिए थल के शिकार को मारना, इसमें सहायता करना, या उसे उसके स्थान से भगाना हराम है। इसी प्रकार, निकाह करना, सहवास करना, महिलाओं को विवाह का संदेश देना, तथा शहवत (कामवासना) के साथ महिलाओं को छुना हराम है, क्योंकि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है : **"इहराम बाँधने वाला व्यक्ति न तो निकाह करे, न निकाह कराए, और न ही निकाह का संदेश भेजे।"**<sup>65</sup> इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है।

"और यदि इहराम बाँधने वाले ने सिलाई किए हुए कपड़े पहने, या अपने सिर को ढका, या इत्र लगाया भूल से या अज्ञानता में, तो उस पर कोई जुर्माना नहीं है। और जब भी उसे याद आए या उसे ज्ञान हो, तो उसे तुरंत हटा दे। इसी प्रकार, जो व्यक्ति अपने सिर के बाल काटे, या अपने बालों में से कुछ निकाले, या अपने नाखून काटे भूल से या अज्ञानता में, तो सही बात यह है कि उस पर कोई जुर्माना नहीं है।"

मुसलमान के लिए, चाहे वह इहराम में हो या न हो, चाहे वह पुरुष हो अथवा महिला, हरम के शिकार को मारना, उसे मारने में किसी उपकरण या संकेत द्वारा सहायता करना हराम है।

शिकार को उसकी जगह से भगाना भी हराम है। हरम के पेड़ों और हरे पौधों को काटना भी हराम है। वहाँ पड़ी हुई चीजों को उठाना भी हराम है। हाँ, अगर कोई वहाँ पड़ी हुई किसी वस्तु को उसका एलोन करके उसके मालिक तक पहुँचाने के लिए उठाए, तो बात अलग है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है : **"इस नगर, अर्थात् मक्का, को अल्लाह ने क़यामत के दिन तक के लिए हराम (सम्मानित) घोषित कर रखा है। न तो इसके पेड़ों को काटा जाएगा, न इसके शिकार को भगाया जाएगा और न ही इसकी गिरी हुई वस्तुओं को उठाया जाएगा। हाँ, अगर कोई वहाँ पड़ी हुई किसी वस्तु को उसका एलोन करके उसके मालिक तक पहुँचाने के लिए उठाए, तो बात अलग है।"**<sup>66</sup> सहीह बुखारी एवं सहीह मुस्लिम।

हदीस में वर्णित शब्द : अल-मुंशिद से अभिप्राय : वह व्यक्ति है जो पहचान करवाए, और अल-खला से अभिप्राय : हरी घास है, तथा मिना और मुजदलिफ़ा हरम का हिस्सा हैं, जबकि अरफ़ा हरम के बाहर है।

<sup>65</sup> सहीह मुस्लिम : 1409, वर्णनकर्ता उसमान बिन अफ़फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु।

<sup>66</sup> सहीह बुखारी : 1834, सहीह मुस्लिम : 1353, वर्णनकर्ता अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा।



मक्का में हाजी के प्रवेश करते समय, तथा मस्जिद -ए- हराम में प्रवेश करने के पश्चात् किए जाने वाले कार्य, जैसे तवाफ़ एवं उसकी विधि के बारे में

जब इहराम बाँधने वाला व्यक्ति मक्का पहुँचे तो उसके लिए मक्का में प्रवेश करने से पहले स्नान करना मुस्तहब (पसंदीदा) है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा किया है। जब वह मस्जिद -ए- हराम पहुँचे तो अपने दाहिने पैर को आगे बढ़ाना एवं यह कहना सुन्नत है : "बिस्मिल्लाहि, वस्सलातु वस्सलामु अला रसलिल्लाह, अऊज़ बिल्लाहिल अजीम व बिवजहिहिल करीम व सुलतानिहिल कदीम मिन्शै-शैतानिर-रजीम, अल्लाहुम्म इफ्तह ली अबवाब रहमतिक।" (अल्लाह के नाम से आरंभ करता हूँ, तथा नबी -सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम- पर प्रशंसा एवं शांति अवतरित हो, मैं महान् अल्लाह की और उसके महिमामय चेहरे तथा उसके महा प्राचीन राज्य की शरण लेता हूँ धिक्कारित शैतान से। हे अल्लाह! मेरे लिए अपनी दया के द्वार खोल दे।" यह दुआ सभी मस्जिदों में प्रवेश करते समय पढ़ेगा। मेरे ज्ञान के अनुसार मस्जिद -ए- हराम में प्रवेश के लिए ऐसा कोई विशिष्ट जिक्र (प्रार्थना) नहीं है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रमाणित हो।

फिर जब काबा के पास पहुँचे तो तवाफ़ शुरू करने से पहले तलबिया बंद कर दे, यदि हज-ए-तमतो या उमरा कर रहा हो। फिर हजर-ए-अस्वद (काले पत्थर) की ओर जाए और उसे सामने करके खड़ा हो जाए। फिर उसे अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करे और यदि संभव हो तो उसे चूमे। परंतु लोगों को धक्का देकर कष्ट ना पहुँचाए। उसे स्पर्श करते समय 'बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर' या 'अल्लाह अकबर' कहे। यदि चूमना कठिन हो, तो उसे हाथ या किसी छड़ी या अन्य चीज़ से स्पर्श करे और उस वस्तु को चूमे, जिससे उसे स्पर्श किया हो। अगर स्पर्श करना भी कठिन हो, तो उसकी ओर इशारा करे और 'अल्लाह अकबर' कहे। इस अवस्था में जिस वस्तु से इशारा किया हो, उसे ना चूमे। तवाफ़ के सही होने के लिए तवाफ़ करने वाले को छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की नापाकियों से پاک होना शर्त है। क्योंकि तवाफ़ नमाज़ के समान है। अंतर इतना है कि इसमें बात करने की अनुमति दी गई है। तवाफ़ करते समय काबा को अपने बाएँ तरफ रखना होता है। अगर वह अपने तवाफ़ की शुरुआत में यह कहे : "अल्लाहुम्म ईमानान बिक, व तस्दीकन बिकिताबिक, व वफाअन बिअहिदक, व इतिबाअन बिस्न्नति नबियिक मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।" (हे अल्लाह! तुझपर ईमान रखते हुए, तेरी किताब की पुष्टि करते हुए, तेरे साथ किए गए वादे को निभाते हुए और तेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पालन करते हुए हम तवाफ़ कर रहे हैं।" तो बेहतर है। क्योंकि ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वर्णित है। तवाफ़ के सात चक्कर लगाए। प्रथम तवाफ़ के पहले तीन चक्करों में रमल करे (अर्थात्: तेज़ गति से चले)। यह वही तवाफ़ है जो मक्का पहुँचने के बाद सबसे पहले किया जाता है। पहुँचने वाला चाहे वह उमरा करने वाला हो, हज-ए-तमतो करने वाला हो, केवल हज करने वाला हो या उमरा और हज को मिलाकर (हज-ए-किरान) करने वाला हो। बचे हुए चार चक्करों में सामान्य चाल चले। हर चक्कर हजर-ए-असवद से आरंभ करे तथा उसी पर समाप्त करे।

और रमल कहते हैं : तेज़ गति से चलने को, जिसमें कदमों के बीच की दूरी कम हो, तथा उसके लिए मुस्तहब (वांछित) है कि समस्त तवाफ़ के दौरान इज़्तिबाअ करे। इज़्तिबा से अभिप्राय यह है कि चादर के मध्य भाग को दाहिने कंधे के नीचे रखा जाए तथा उसके दोनों सिरों को अपने बाएँ कंधे पर रखा जाए। यदि चक्करों की संख्या में संदेह हो, तो यकीन को आधार बनाए, जिस का अर्थ है कि दो भ्रमित संख्याओं में से जो कम हो उस को आधार माने। उदाहरणस्वरूप यदि उसे संदेह हो कि उसने तीन चक्कर लगाए हैं या चार, तो तीन माने। सई में भी यही करे।

इस तवाफ़ को समाप्त करने के पश्चात, तवाफ़ की दो नमाज़ पढ़ने से पहले वह अपनी चादर पहने, उसे अपने दोनों कंधों पर रखे, और इसके दोनों किनारों को अपने सीने पर रखे।

महिलाओं को विशेष रूप से जिन चीज़ों से रोका जाना चाहिए एवं उन्हें सावधान करना चाहिए उन में से यह भी है कि तवाफ़ के दौरान वे बनाव-सिंघार एवं सुगंध का प्रयोग न करें, तथा पर्दा का ध्यान रखें क्योंकि वह ढकने की चीज़ है, अतः उन्हें पर्दे में रहना चाहिए चाहे यह तवाफ़ के दौरान हो या अन्य परिस्थितियों में जहाँ पुरुष और महिलाएं मिलते हैं, क्योंकि वे पर्दे की चीज़ एवं फ़ितना व फ़साद का कारण हैं, तथा महिला की शोभनीय वस्तुओं में उसका चेहरा उसका सबसे प्रमुख भाग है, अतः उन्हें इसे केवल अपने महरमों के सामने ही दिखाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने फ़रमाया है :

{وَلَا يَبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ}

"और वे अपनी शोभा का प्रदर्शन न करें सिवाय अपने पतियों के लिए।"<sup>67</sup> पूरी आयत, अतः उनके लिए हजर-ए-असवद को चूमते समय अपना चेहरा खोलना जायज़ नहीं है यदि कोई पुरुष उन्हें देख रहा हो तो। अगर उनके लिए हजर-ए-असवद को छूने और चूमने की जगह नहीं हो, तो उन्हें पुरुषों के साथ धक्का-मुक्की नहीं करनी चाहिए। बल्कि पुरुषों के पीछे से तवाफ़ करना चाहिए। यह उनके लिए बेहतर और अधिक पुण्यकारी है। बजाय इसके कि वे पुरुषों के साथ धक्का-मुक्की करके काबा के करीब तवाफ़ करें। तेज़ गति से चलना तथा चादर के बीच वाले भाग को दाहिने कंधे पर रखकर दोनों किनारों को बाएँ कंधे पर डाल लेना इस तवाफ़ को छोड़ किसी अन्य तवाफ़ में शरीयत सम्मत नहीं है। सफ़ा एवं मर्वा के बीच सई करते समय भी नहीं। महिलाओं को भी इसकी अनुमति नहीं है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केवल अपने उस पहले तवाफ़ में यह दोनों काम किए थे, जो मक्का में प्रवेश करते समय किया था। तवाफ़

<sup>67</sup> सूर अल-नूर : 31.

करते समय तवाफ़ करने वाले व्यक्ति को हर प्रकार की नापाकी से पाक होना चाहिए।  
विनम्रता और विनयशीलता झलकनी चाहिए।

उसके लिए तवाफ़ के दौरान अधिकाधिक अल्लाह का ज़िक्र एवं दुआ करना मुस्तहब (पसंदीदा) है, यदि वह इस दौरान कुरआन की कुछ तिलावत भी करे तो यह अति उत्तम है, इस तवाफ़ में, या अन्य किसी तवाफ़ में, या सई में किसी विशेष ज़िक्र या विशेष दुआ को पढ़ना अनिवार्य नहीं है।

कुछ लोगों द्वारा तवाफ़ या सफ़ा-मर्वा के बीच सई के हर चक्कर के लिए विशेष ज़िक्र या विशेष दुआ निर्धारित कर लिया जाना निराधार है। बल्कि जो भी ज़िक्र और दुआ आसानी से हो सके, पर्याप्त है। जब रुक्न-ए-यमानी (यमनी कोना) के सामने हो, तो उसे अपने दाहिने हाथ से छूए और "बिस्मिल्लाहि, वल्लाहु अकबर" कहे। उसे चूमने नहीं। यदि छूना कठिन हो, तो इसे छोड़ दे और अपने तवाफ़ में आगे बढ़ जाए। न तो उसकी ओर इशारा करे और न ही उसके सामने "अल्लाहु अकबर" कहे। क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार ऐसा करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रमाणित नहीं है। रुक्न-ए-यमानी एवं हजर-ए-असवद के बीच यह कहना मुस्तहब (पसंदीदा) है :

{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}

"ऐ हमारे रब! हमें दुनिया में भी भलाई प्रदान कर और आखिरत में भी भलाई प्रदान कर और हमें आग की यातना से बचा।"<sup>68</sup> और जब भी वह हजरे असवद के सामने हो तो उसे छूए एवं चूमने और "अल्लाहु अकबर" कहे, यदि उसे छूना और चूमना संभव न हो, तो वह हर बार जब उसके सामने हो तो उसकी ओर इशारा करे और "अल्लाहु अकबर" कहे।

जमज़म तथा मक़ाम -ए- इब्राहीम के पीछे से तवाफ़ करने में कोई आपत्ति नहीं है, विशेष रूप से भीड़-भाड़ के समय में, पूरी मस्जिद तवाफ़ का स्थान है, तथा यदि कोई मस्जिद के छज्जों में भी तवाफ़ करे तो भी वह मान्य होगा, किंतु काबा के निकट तवाफ़ करना उत्तम है, यदि यह संभव हो सके तो।

जब तवाफ़ समाप्त हो जाए, तो यदि संभव हो तो मक़ाम-ए-इब्राहीम के पीछे दो रकात नमाज़ पढ़े। अगर भीड़-भाड़ या किसी और कारण से यह संभव न हो, तो वह मस्जिद में किसी भी स्थान पर यह नमाज़ पढ़े। सुन्नत यह है कि इन रकातों में सूरह फ़ातिहा के बाद

{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}

<sup>68</sup> सूरा अल-बकरा : 201.

"(ऐ नबी!) आप कह दीजिए : ऐ काफ़िरो!"<sup>69</sup> अर्थात सूरा अल-काफ़िरून, पहली रकात में और

{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

"(ऐ रसूल!) आप कह दीजिए : वह अल्लाह एक है।"<sup>70</sup> अर्थात सूरा अल-इख़लास दूसरी रकात में पढ़े। यही बेहतर है। कुछ और भी पढ़ ले, तो कोई बात नहीं है। फिर हजर-ए-असवद की ओर बढ़े और यदि संभव हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण करते हुए उसे अपने दाहिने हाथ से छूए।

फिर सफ़ा के द्वार से निकल कर सफ़ा पहाड़ी की ओर जाए, और उस पर चढ़ जाए अथवा उसके पास खड़ा हो जाए, और यदि संभव हो तो सफ़ा पर चढ़ना उत्तम है, तथा प्रथम चक्कर आरंभ करते समय अल्लाह तआला के इस कथन का पाठ करे :

{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}

"निश्चित रूप से सफा और मरवा अल्लाह के शआइर (प्रतीकों) में से हैं।"<sup>71</sup>

सफ़ा पर क़िबला की ओर मुँह करके खड़े होकर अल्लाह की प्रशंसा एवं बड़ाई बयान करना और यह दुआ पढ़ना मुसतहब है : "अल्लाह के अतिरिक्त कोई सत्य पूज्य नहीं है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं है, वह अकेला है, उसका कोई साझी नहीं है, उसी की बादशाहत है तथा उसी की समस्त प्रशंसा है, वह हर चीज़ पर सक्षम है, अल्लाह के सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं है, वह अकेला है, उसने अपने वादे को पूरा किया, अपने बंदे की सहायता की, तथा अकेले सेनाओं को परास्त कर दिया।" फिर दोनों हाथों को उठाकर जो दुआ हो सके, करे। इस दुआ तथा अन्य दुआओं को तीन-तीन बार दोहराए। फिर नीचे उतर कर मरवा की ओर चले और जब प्रथम (हरे) निशान पर पहुँचे तो वहाँ से दूसरे (हरे) निशान तक पुरुष तेज़ गति से चले। किंतु महिलाओं के लिए इन दोनों निशानों के मध्य दौड़ना शरीयत सम्मत नहीं है। क्योंकि उन्हें पर्दे का ध्यान रखना है। सफ़ा एवं मरवा के बीच की पूरी दौड़ के अंदर उनके लिए चलना ही शरीयत सम्मत है। फिर चल कर मरवा पहाड़ी पर चढ़ जाए अथवा उसके पास खड़ा हो जाए। चढ़ा जा सके, तो पहाड़ी पर चढ़ना उत्तम है। मरवा पहाड़ी पर चढ़ कर वही कार्य करे एवं वही कुछ कहे, जो सफ़ा पहाड़ी पर कर चुका एवं कह चुका है। बस इस आयत को छोड़कर :

{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}

<sup>69</sup> सूरा अल-काफ़िरून : 1.

<sup>70</sup> सूरा अल-इख़लास : 1.

<sup>71</sup> सूरा अल-बकरा : 158

“निश्चित रूप से सफा और मरवा अल्लाह के शआइर (प्रतीकों) में से हैं।”<sup>72</sup> नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनुसरण करते हुए, यह केवल पहले चक्कर में सफा पर चढ़ते समय पढ़ा जाना चाहिए, फिर नीचे उतरे एवं उस स्थान पर चले जहाँ सामान्य रूप से चला जाता है, तथा उस स्थान पर तेज़ी से चले जिस स्थान पर तेज़ चला जाता है, यहाँ तक कि सफा तक पहुँच जाए, और ऐसा सात बार करे, जाना एक चक्कर है, और वापस आना एक चक्कर है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया था, और आप का फ़रमान है : “मुझसे अपने मनासिक (हज के कार्य) सीख लो।”<sup>73</sup> सई के दौरान जहाँ तक संभव हो अधिकाधिक ज़िक्र एवं दुआ करना चाहिए, उसे छोटी एवं बड़ी हर प्रकार की अपवित्रता से पवित्र होना चाहिए, यदि बिना वुजू के सई करे तो यह मान्य होगा, इसी प्रकार यदि तवाफ़ के बाद महिला को मासिक धर्म आ जाए या वह निफास (प्रसव) की स्थिति में हो, तो वह सई कर सकती है और यह मान्य होगा, क्योंकि सई में तहारत (पवित्रता) शर्त नहीं है, बल्कि यह मुस्तहब (वांछनीय) है, जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है।

जब सफ़ा-मर्वा के बीच दौड़ने का कार्य पूरा कर ले तो सर के बाल मंडवाए अथवा छोटा करवा ले। पुरुषों के लिए बाल मंडवाना उत्तम है। परंतु यदि इस समय बाल छोटे करवा ले, ताकि हज में मंडवाए, तो यह भी अच्छा है। यदि मक्का आना हज के समय के निकट हुआ हो, तो बाल छोटे करवाना उत्तम है, ताकि हज में शेष बाल मंडवा ले। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एवं आप के सहाबा जब 4 ज़िल-हिज्जा को मक्का आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन लोगों को, जो अपने साथ कुर्बानी का जानवर नहीं लाए थे, आदेश दिया कि वह हलाल हो जाए तथा बाल छोटे करवा लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें बाल मंडवाने का आदेश नहीं दिया था। बाल छोटा कराते समय पूरे सर का बाल छोटे कराना आवश्यक है। केवल कुछ हिस्से का छोटा करना मान्य नहीं है। इसी प्रकार सर के कुछ भागों को मंडवाना एवं कुछ भागों को छोड़ देना भी मान्य नहीं है। महिला के लिए केवल बाल छोटे कराना ही शरीयत सम्मत है। उसे अपनी चोटी से उंगली के पोर के बराबर या उससे कम बाल काटना है। पोर उंगली के सिरा को कहते हैं। महिला इस से अधिक बाल न काटे।

महरिम (वह व्यक्ति जो एहराम की स्थिति में है) उपर्युक्त सभी कार्य कर ले, तो उसको उमरा पूरा हो गया और अब उसके लिए वह समस्त चीज़ें हलाल हो गईं जो एहराम में होने के कारण उसके लिए हराम थीं। परंतु जो व्यक्ति कुर्बानी का जानवर

<sup>72</sup> सूरा अल-बक्रा : 158,

<sup>73</sup> इसके हवाले पीछे गुज़र चुके हैं।

अपने साथ लाया हो, वह अपने एहराम में ही बाकी रहेगा तथा हज एवं उमरा दोनों पूरा करने के बाद हलाल होगा।

किंतु जिस व्यक्ति ने केवल हज्ज का अथवा हज्ज एवं उमरा दोनों का इहराम बांधा हो उसके लिए सुन्नत यह है कि अपने इहराम को उमरा में बदल दे तथा जिस प्रकार हज्ज -ए- तमूतअ करने वाला करता है वह भी वैसा ही करे, परंतु हाँ, यदि जानवर साथ लाया हो तब नहीं, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लेम ने अपने सहाबा को इसी का आदेश देते हुए फ़रमाया था : **"यदि मैं कुर्बानी का जानवर साथ नहीं लाया होता, तो मैं भी तुम सब के साथ हलाल हो जाता।"**<sup>74</sup>

यदि कोई स्त्री इहराम बाँधने के बाद माहवारी या प्रसव के कारण अपवित्र हो जाए, तो वह तवाफ़ (काबा की परिक्रमा) और सई (सफा और मरवा के बीच चलना) नहीं करेगी, जब तक कि वह पवित्र न हो जाए। पवित्र होने के बाद तवाफ़ और सई करेगी, अपने सिर के बाल छोटे कराएगी और इस प्रकार उसका उमरा पूरा हो जाएगा। यदि वह यौम-ए-तर्विया (हज के लिए मिना जाने के दिन) से पहले पवित्र न हो, तो अपने ठहरने के स्थान से ही इहराम बाँधकर हज का इरादा कर लेगी और लोगों के साथ मिना की ओर निकल जाएगी। इस स्थिति में वह हज और उमरा दोनों को मिलाकर (हज्ज-ए-किरान) कर लेगी और हाजी के सभी कार्य, जैसे कि अरफ़ा में रुकना, मुज़दलिफ़ा और मिना में समय बिताना, जमरा (शैतान के प्रतीकों) को कंकड़ मारना, जानवर की कुर्बानी करना तथा बाल छोटे करना, आदि करेगी। फिर जब वह पवित्र हो जाएगी, तो वह काबा का तवाफ़ करेगी और सफा-मरवा के बीच सई करेगी। एक ही तवाफ़ और एक ही सई हज और उमरा दोनों के लिए पर्याप्त होगी। जैसा कि आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से प्रमाणित हदीस में है कि उन्हें उमरा के इहराम के बाद माहवारी आ गई थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लेम ने उनसे फ़रमाया था : **"जो कार्य हज करने वाला करता है, वह सब करो, सिवाय इसके कि तुम पाक हो जाने तक तवाफ़ न करो।"**<sup>75</sup> सहीह बुखारी एवं सहीह मुस्लिम।

और जब मासिक धर्म या प्रसव के कारण अपवित्र महिला यौमन नह'र (हज्ज के दिन) को जमरा (कंकड़ मारने का स्थान) पर कंकड़ मार ले और अपने बाल काट ले, तो उसके लिए हर वह चीज़ हलाल हो जाती है, जो इहराम की स्थिति में उसके लिए हराम थी, जैसे सुगंध एवं इसके समान अन्य चीज़ें, सिवाय अपने पति के, जब तक कि वह अपना हज्ज पूरा न कर ले, तथा जब वह पवित्र होने के बाद तवाफ़ और सई कर लेती है, तो उसके लिए पति के पास जाना भी हलाल हो जाता है।

<sup>74</sup> सहीह बुखारी : 1568, वर्णकर्ता जाबिर रज़ियल्लाहु अनहु।

<sup>75</sup> सहीह बुखारी : 305, सहीह मुस्लिम : 1211.

## आठवीं ज़िल-हिज्जा को हज्ज का इहराम बांधने तथा मिना के लिए निकलने के नियम के संबंध में

जब यौम-ए-तर्विया (आठवीं ज़िलहिज्जा) आए तो उमरा से हलाल हो कर मक्का में ठहरे हुए एवं मक्का वासियों में से जो लोग हज करने की इच्छा रखते हों, उनके लिए मुस्तहब यह है कि अपने घरों से ही हज का इहराम बांधें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम जो अबतह (मक्का के पास एक स्थान) में ठहरे हुए थे, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के आदेश पर यौम-ए-तर्विया को उसी स्थान से हज का इहराम बांधा था। तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें यह आदेश नहीं दिया था कि वे बैतुल्लाह (काबा) जाएं और वहां से इहराम बांधें, अथवा मीज़ाब के पास से इहराम बांधें। इसी प्रकार, जब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम मिना की ओर निकल रहे थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उन्हें तवाफ़े-ए-वदा (विदाई तवाफ़) करने का आदेश नहीं दिया। यदि यह कार्य शरीयत सम्मत होता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अवश्य उन्हें इसकी शिक्षा देते। सच्चाई यह है कि सारी भलाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उनके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के अनुसरण में है।

यह मुस्तहब (पसंदीदा) है कि हज्ज का इहराम बांधने से पहले व्यक्ति स्नान करे, स्वच्छता अपनाए एवं सुगंध का उपयोग करे, जैसे कि वह मीकात से इहराम बांधते समय करता है। हज का इहराम बांधने के बाद, उनके लिए सुन्नत यह है कि यौम-ए-तर्विया (आठवीं ज़िलहिज्जा) को सूरज ढलने से पहले या बाद में मिना की ओर प्रस्थान करें और अधिक से अधिक तलबिया पढ़ें, जब तक कि वे जमरतुल अक़बा (शैतान को कंकड़ मारने) का कार्य पूरा न कर लें। मिना में उन्हें जुहुर, अस्त्र, मग्निब, इशा और फ़ज्र की नमाज़ें पढ़नी चाहिए। सुन्नत यह है कि हर नमाज़ को जमा किए बिना उसके समय पर अदा करें और उसे कस कर के पढ़ें, सिवाय मग्निब और फ़ज्र की नमाज़ों के, जिन्हें कस नहीं किया जाएगा।

इस संबंध में मक्का के निवासियों और अन्य लोगों के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मिना, अरफ़ा और मज़दलिफ़ा में मक्का के निवासियों और अन्य लोगों को नमाज़ पढ़ाई और इसे कस (संक्षिप्त) किया, आप ने मक्का के निवासियों को नमाज़ पूरी (इतमाम) करने का आदेश नहीं दिया, यदि यह उनके लिए अनिवार्य होता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उन्हें अवश्य इसकी सूचना देते।

फिर अरफ़ा के दिन (नौवीं ज़िलहिज्जा) सूरज निकलने के बाद, हज्ज करने वाले मिना से अरफ़ा की ओर प्रस्थान करेंगे, तथा सुन्नत यह है कि वे ज़वाल (सूरज ढलने) तक निमरा नामक स्थान पर ठहरे रहें, यदि यह संभव हो तो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा ही किया था।

जब सूरज ढल जाए, तो सुन्नत यह है कि इमाम या उसका प्रतिनिधि लोगों को एक ऐसा खुत्बा (भाषण) दे, जो परिस्थिति के अनुकूल हो। इसमें हज के दिन और इसके बाद

के कार्यों का वर्णन किया जाए, उन्हें अल्लाह से डरने, उसकी तौहीद (एकेश्वरवाद) पर अडिग रहने और हर कार्य में उसके लिए इखलास (निष्ठा) बरतने का आदेश दिया जाए, उन्हें अल्लाह की मना की हुई चीज़ों से बचने को कहा जाए, अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत को थामे रहने, एवं हर मामले में उनको ही निर्णायक मानने की प्रेरणा दी जाए, ताकि इन समस्त बातों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण हो। इसके बाद, ज़ुहर और अस्त्र की नमाज़ को क़स और जमा करके पहले समय में एक अज़ान और दो इक़ामतों के साथ पढ़ें। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा ही किया था, इसे इमाम मुस्लिम ने जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है।

फिर लोग अरफ़ा में ठहरेंगे। याद रहे कि अरफ़ा का पूरा क्षेत्र ठहरने के लिए उपयुक्त है, सिवाय "बतन-ए-उरना" नामक स्थान के। यदि संभव हो तो मुस्तहब यह है कि लोग क़िबला तथा जबल-ए-रहमत की ओर मुंह करके खड़े हों। लेकिन यदि दोनों की ओर मुंह करना संभव न हो, तो केवल क़िबला की ओर मुंह करना काफी है। भले ही जबल-ए-रहमत की ओर मुंह न किया जाए। इस वुक़फ़ (अरफ़ा में ठहरने) पर, हाज़ियों के लिए मुस्तहब यह है कि अल्लाह का अधिकाधिक ज़िक्र करें, उससे दुआ करें, गिड़गिड़ाएँ और विनम्रता दिखाएँ, दुआ करते समय अपने हाथ उठाएँ। यदि तेलबिया पढ़ें या करआन का कुछ हिस्सा पढ़ें, तो यह भी अच्छा है। सुन्नत है कि इस दौरान यह वाक्य बार-बार कहें : "लाइलाह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल-मुल्कु व लहुल-हम्दु यह'यी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर।" (अल्लाह के सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं है, वह अकेला है, उसका कोई साझेदार नहीं, राज्य उसी का है, प्रशंसा उसी की है, वह जीवित करता है, वही मारता है, और हर चीज़ पर सक्षम है।) क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वर्णित है कि आपने फ़रमाया है : "सबसे अच्छी दुआ, अरफ़ा के दिन की दुआ है, और सबसे श्रेष्ठ बात, जिसे मैंने और मुझसे पहले के नबीयों ने कहा है, यह है : "अल्लाह के सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं है, वह अकेला है, उसका कोई साझेदार नहीं है, राज्य उसी का है, प्रशंसा उसी की है, वही जीवित करता है, वही मारता है और वह हर चीज़ पर सक्षम है।"<sup>76</sup> एक अन्य सहीह हदीस में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : "अल्लाह के निकट सबसे प्रिय शब्द चार हैं : 'सुब्हानल्लाहु (अल्लाह पवित्र है), अल्हम्दु लिल्लाहु (तमाम प्रशंसा अल्लाह के लिए है), ला इलाहा इल्लल्लाहु (अल्लाह के सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं है), एवं अल्लाहु अकबर (अल्लाह सब से बड़ा है)।"<sup>77</sup>

इस ज़िक्र को अधिक से अधिक निर्बाध रूप से विनम्रता और दिल की हाज़िरी के साथ बार-बार पढ़ना चाहिए। इसी तरह, शरई तौर पर वर्णित ज़िक्र और दुआओं को हर समय, विशेष रूप से इस स्थान (अरफ़ा) और इस महान दिन (यौम-ए-अरफ़ा) में अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। आदमी को चाहिए कि वह ज़िक्र और दुआ में से व्यापक एवं अर्थपूर्ण वाक्यों को चुने। जैसे :

\* "सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।" (मैं अल्लाह की पवित्रता बयान करता हूँ उसकी प्रशंसा के साथ। मैं महान अल्लाह की पवित्रता बयान करता हूँ।)

<sup>76</sup> सुनन तर्मिज़ी : 3585,

<sup>77</sup> सहीह मुस्लिम : 2137, वर्णनकर्ता समुरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु।



"तेरे सिवा कोई वास्तविक पूज्य नहीं है। तू पवित्र है। निःसंदेह मैं ही ज़ालिमों में से था।"<sup>78</sup>

\* "अल्लाह के सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं है। हम सब उसके सिवा किसी और की उपासना नहीं करते हैं। उसी की नेमत है, उसी का अनुग्रह है और उसी की अच्छी प्रशंसा है। अल्लाह के सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं है। हम विशुद्ध रूप से उसी की इबादत करते हैं, चाहे अविश्वासियों को बुरा ही क्यों न लगे।" \*

"अल्लाह की तौफ़ीक़ के बिना पाप से बचने की शक्ति है, न पुण्य की क्षमता।"<sup>79</sup>

\*

{ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار}.

"ऐ हमारे रब! हमें दुनिया में भी भलाई प्रदान कर और आखिरत में भी भलाई प्रदान कर और हमें आग की यातना से बचा।"<sup>80</sup>

\* "ऐ अल्लाह मेरे लिए मेरे धर्म को सुधार दे जिसमें मेरी सुरक्षा है, और मेरे लिए मेरे संसार को सुधार दे जिसके अन्दर मेरा रहना-सहना है, और मेरे लिए मेरी आखिरत को सुधार दे जिसकी ओर मुझे लौटकर जाना है, मेरे लिए जीवन को प्रत्येक भलाई में वृद्धि का कारण बना दे, तथा मृत्यु को मेरे लिए प्रत्येक बुराई से मुक्ति का साधन बना दे।"<sup>81</sup>

\* "मैं अल्लाह की शरण लेता हूँ, कठिन परीक्षा, दुखद भाग्य, बुरे फैसले और शत्रुओं के हँसने से।"<sup>82</sup>

\* "हे अल्लाह! मैं तेरी शरण माँगता हूँ, दुख: एवं चिंता से, कमजोरी एवं आलस्य से, कायरता एवं कंजसी से, पाप और कर्ज़ से तथा तेरी शरण माँगता हूँ कर्ज़ के प्रभाव एवं लोगों के दबाव से।"<sup>83</sup>

\* "ऐ अल्लाह! मैं सफ़ेद दाग़, पागलपन, कुष्ठ और सभी बुरी बीमारियों से तेरी शरण माँगता हूँ।"<sup>84</sup>

<sup>78</sup> सूरा अल-अंबिया : 87.

<sup>79</sup> सहीह मुस्लिम : 594, वर्णनकर्ता अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अनहुमा।

<sup>80</sup> सूरा अल-बक्रा : 201,

<sup>81</sup> सहीह मुस्लिम : 2720, वर्णनकर्ता अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अनहु।

<sup>82</sup> सहीह बुखारी : 6347, वर्णकर्ता अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अनहु।

<sup>83</sup> सुनन अबू दाऊद : 1554, वर्णकर्ता अबू उमामा अंसारी, यह शब्दावली सुनन अबू दाऊद की है। लेकिन उसमें "पाप और कर्ज़ से" के शब्द नहीं हैं।

<sup>84</sup> सुनन अबू दाऊद : 1554, वर्णनकर्ता अनस रज़ियल्लाहु अनहु।

\* "हे अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में माफ़ी और स्वास्थ्य (अच्छी स्थिति) की दुआ करता हूँ।

\* "हे अल्लाह, मैं तुझसे, अपने धर्म, संसार, परिवार एवं संपत्ति में माफ़ी और आफ़ियत (अच्छी स्थिति) की दुआ करता हूँ।"

\* "ऐ अल्लाह, मेरे दोष को छुपा ले, और मुझे भय से सुरक्षित रख। ऐ अल्लाह! मुझे मेरे सामने, पीछे, दाहिने, बाएँ, तथा ऊपर से सुरक्षित रख। और मैं तेरी महानता की शरण माँगता हूँ कि मैं नीचे से उचक लिया जाऊँ।"<sup>85</sup>

\* "ऐ अल्लाह! मेरी गंभीरता से, मज़ाक से, गलती से और जान-बुझकर की गई गलती, सभी को माफ़ कर दे, तथा ये सब ही मेरे पास हैं। ऐ अल्लाह! जो कुछ मैंने पहले किया और जो बाद में किया, जो मैंने छुपा कर किया और जो मैंने सार्वजनिक रूप से किया, और जो कुछ तू मुझसे अधिक जानता है, उसे माफ़ कर दे। तू ही आगे करने वाला है और तू ही पीछे करने वाला है और तू हर वस्तु पर सक्षम है।"<sup>86</sup>

\* "ऐ अल्लाह! मैं तुझसे इस बात की दुआ करता हूँ कि तू मुझे कामों में स्थिरता दे और सही मार्ग पर चलने की इच्छा शक्ति दे, और तेरी नेमतों का आभार प्रकट करने तथा अच्छे ढंग से तेरी इबादत (उपासना) करने की शक्ति दे। मैं तुझसे साफ़ दिल और सच्ची ज़बान की दुआ करता हूँ, और मैं तुझसे उस अच्छाई की दुआ करता हूँ जो तू जानता है, और मैं तुझसे उस बुराई से शरण माँगता हूँ जो तू जानता है, और मैं तुझसे उस बात के लिए माफ़ी माँगता हूँ जो तू जानता है। निश्चय ही, तू ही ग़ैब (परोक्ष) का जानने वाला है।"<sup>87</sup>

\* "हे अल्लाह! नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के रब, मेरे पापों को माफ़ कर दे, मेरे दिल के गुस्से को दूर कर दे, और मुझे गुमराह करने वाले फितनों से बचा ले, जब तक तू मुझे ज़िन्दा रख।"<sup>88</sup>

\* "ऐ अल्लाह! आकाशों के रब, धरती के रब, महान सिंहासन के रब, हमारे रब और हर चीज़ के रब, दाने एवं गूठली को फाड़ने वाले और तौरात, इंजील तथा क़ुरआन उतारने वाले! मैं हर उस चीज़ की बुराई से तेरी शरण माँगता हूँ, जिसकी पेशानी को तू पकड़े हुए है। ऐ अल्लाह! तू अव्वल (प्रथम एवं आदि) है, तुझसे पहले कोई चीज़ नहीं, तू आखिर (अंत एवं अनादि) है, तेरे बाद कोई चीज़ नहीं, तू ज़ोहिर (प्रत्यक्ष व उच्च) है, तेरे ऊपर कोई चीज़ नहीं और तू बातिन (अप्रत्यक्ष व गुप्त) है, तेरे परे कोई चीज़ नहीं। हमारे कर्ज़ अदा कर दे और हमें निधनता से मुक्ति प्रदान कर।"<sup>89</sup>

<sup>85</sup> सुनन अबू दाऊद : 5074, वर्णनकर्ता अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अनहुमा।

<sup>86</sup> सहीह मुस्लिम में मौजूद एक हदीस (हदीस संख्या 2719) का एक अंश। वर्णनकर्ता अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अनहु।

<sup>87</sup> सुनन तर्मिज़ी : 3407, वर्णनकर्ता शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु अनहु।

<sup>88</sup> मुस्नद-ए-अहमद 6/301, वर्णनकर्ता उम्म-ए-सलमा रज़ियल्लाहु अनहा।

<sup>89</sup> सहीह मुस्लिम : 2713, वर्णनकर्ता अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अनहु।

\* "ऐ अल्लाह! मेरी आत्मा को परहेजगारी दे, और इसे शद्ध कर, तू ही इसे सबसे बेहतर शद्ध करने वाला है, तू ही इसका दोस्त और मददगार है। ऐ अल्लाह! मैं विवशता एवं आलस्य से तेरी शरण मांगता हूँ, और कायरता, अति वृद्धावस्था एवं संकोच से तेरी शरण मांगता हूँ, तथा मैं तुझसे कब्र के अज़ाब से शरण मांगता हूँ।"<sup>90</sup>

\* "ऐ अल्लाह! मैंने तेरे समक्ष समर्पण कर दिया, तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर ही भरोसा किया, तेरी ओर ही मैंने रुख किया, और तेरे ही सहारे लड़ा, मैं तेरी महानता के साथ शरण मांगता हूँ कि तू मुझे गुमराह न कर दे, तेरे सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं है, तू वह अमर है जो कभी नहीं मरता, जबकि जिन्न और इंसान मर जाते हैं।"<sup>91</sup>

\* "ऐ अल्लाह, मैं तेरी शरण मांगता हूँ उस ज्ञान से जो लाभकारी न हो, उस दिल से जो विनम्र न हो, उस आत्मा से जो संतुष्ट न हो, और उस दुआ से जो स्वीकार न हो।"<sup>92</sup>

\* "ऐ अल्लाह! मुझे बुरे व्यवहार, कर्मों, आकांक्षाओं और बीमारियों से बचा।"<sup>93</sup>

\* "ऐ अल्लाह! मुझे सही मार्ग दिखा, और मेरी आत्मा के बुरे प्रभाव से मेरी सुरक्षा कर।"<sup>94</sup>

\* "ऐ अल्लाह! मुझे अपनी हलाल चीज़ों के द्वारा अपनी हराम चीज़ों से बचा ले, और मुझे अपने अनुग्रह से अपने अतिरिक्त अन्य लोगों से बेनियाज़ कर दे।"<sup>95</sup>

\* "ऐ अल्लाह! मैं तुझसे हिदायत, तक्रवा, पवित्रता और बेनियाज़ी मांगता हूँ।"<sup>96</sup>

\* "ऐ अल्लाह! मैं तुझसे मार्गदर्शन एवं सही मार्ग पर स्थिरता मांगता हूँ।"<sup>97</sup>

\* "ऐ अल्लाह! मैं तुझसे जल्द तथा देर से मिलने वाली हर प्रकार की भलाई मांगता हूँ, जो मैं जानता हूँ और जो नहीं जानता। और मैं जल्द तथा देर से आने वाली हर प्रकार की बुराई से तेरी शरण चाहता हूँ, जो मैं जानता हूँ और जो नहीं जानता। ऐ अल्लाह! मैं तुझसे उस भलाई का प्रश्न करता हूँ, जो तेरे बंदे और तेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तुझसे तलब की है, और मैं उस बुराई से तेरी शरण चाहता हूँ जिससे तेरे बंदे और तेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने शरण चाही है। ऐ अल्लाह! मैं तुझसे जन्नत तथा उससे निकट करने वाले कार्य एवं कथन मांगता हूँ, तथा

---

<sup>90</sup> सहीह मुस्लिम : 2722, वर्णनकर्ता ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अनहु।

<sup>91</sup> सहीह मुस्लिम : 2717, वर्णनकर्ता अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अनहुमा।

<sup>92</sup> यह ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अनहु से वर्णित एक हदीस का टुकड़ा है, जिसका हवाला पहले हदीस संख्या 2722 के तहत दिया जा चुका है।

<sup>93</sup> सुनन तिमिज़ी : 3591, वर्णनकर्ता ज़ियाद बिन अलाका रज़ियल्लाहु अनहु।

<sup>94</sup> सुनन तिमिज़ी : 3483, वर्णनकर्ता इम्रान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अनहु।

<sup>95</sup> सुनन तिमिज़ी : 3563, वर्णनकर्ता अली रज़ियल्लाहु अनहु।

<sup>96</sup> सहीह मुस्लिम : 2721, वर्णनकर्ता अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अनहु।

<sup>97</sup> सहीह मुस्लिम : 2725, वर्णनकर्ता अली रज़ियल्लाहु अनहु।

में जहन्नम और उससे निकट कर देने वाले कार्य एवं कथन से तेरी शरण चाहता हूँ। और मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि तूने मेरे लिए जो भी फैसला किया है, उसे बेहतर कर दे।”<sup>98</sup>

\* "अल्लाह के सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं है, वह अकेला है, उसका कोई साझी नहीं है, पूर्ण स्वामित्व बस उसी को प्राप्त है, सारी प्रशंसा उसी की है और वह हर चीज़ करने में सक्षम है। अल्लाह पाक है, समस्त प्रशंसाएँ अल्लाह के लिए हैं, और अल्लाह के सिवा कोई भी सत्य पूज्य नहीं है। अल्लाह सबसे बड़ा है और उच्च एवं महान अल्लाह के अतिरिक्त न किसी के पास भलाई के मार्ग पर लगाने की शक्ति है, न बुराई से रोकने की क्षमता।”<sup>99</sup>

"ऐ अल्लाह! मुहम्मद एवं उनके परिवार पर उसी प्रकार अपनी रहमत भेज, जिस प्रकार से तूने इब्राहीम एवं उनके परिवार पर अपनी रहमत भेजी थी। निस्संदेह, तू प्रशंसापात्र तथा सम्मानित है। एवं मुहम्मद तथा उनके परिवार पर उसी प्रकार से बरकतों की बारिश कर, जिस प्रकार से तूने इब्राहीम एवं उनके परिवार पर की थी। निस्संदेह, तू प्रशंसापात्र तथा सम्मानित है।”<sup>100</sup>

\*

{رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}

"ऐ हमारे रब! हमें दुनिया में भी भलाई प्रदान कर और आखिरत में भी भलाई प्रदान कर और हमें आग की यातना से बचा।”<sup>101</sup>

अरफ़ा के इस महान अवसर पर, हाजी के लिए मुस्तहब (वांछनीय) यह है कि वह पूर्वोल्लिखित ज़िक्रों एवं दुआओं को बारबार पढ़ता रहे, तथा इसी अर्थ के अन्य ज़िक्र एवं दुआएँ भी पढ़े और नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दुरूद भेजे, दुआ में आग्रह करे एवं गिड़गिड़ाएँ, और अपने रब से लोक-परलोक का कल्याण मांगें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब दुआ करते थे, तो उसे तीन बार कहते थे, अतः हमें भी इस मामले में आप का अनुसरण करना चाहिए।

इस अवसर पर, मुसलमान को अपने रब के प्रति विनम्र, उसके सामने विनीत, उसके प्रति समर्पित और उसके सामने झुका हुआ होना चाहिए, उसकी दया और क्षमा की आशा करते हुए, उसके दंड और क्रोध से डरते हुए, अपने आप का आत्म-मल्यांकन करते हुए और सच्चे मन से तौबा करते हुए। यह एक महान दिन और बड़ी सभा है,

<sup>98</sup> सुनन इब्न-ए-माजा : 3846, वर्णनकर्ता आइशा रज़ियल्लाहु अनहा।

<sup>99</sup> सहीह बुखारी : 1154, वर्णनकर्ता उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अनहु।

<sup>100</sup> सहीह बुखारी : 3370, वर्णनकर्ता काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु अनहु।

<sup>101</sup> सूर अल-बकरा : 201

जिसमें अल्लाह अपने बंदों पर उदारता दिखाता है, अपने फ़रिश्तों के सामने उन पर गर्व करता है और इस दिन बहुत से लोगों को जहन्नम से मुक्त करता है। अरफ़ा के दिन के सिवा शैतान को कभी इतना घटिया, अपमानित एवं तूच्छ नहीं देखा गया जितना कि अरफ़ा के दिन वह होता है, सिवाय बद्र के दिन के। यह इसलिए क्योंकि शैतान देखता है कि अल्लाह अपने बंदों पर दया कर रहा है, उनके गुनाहों को क्षमा कर रहा है और उन्हें जहन्नम से आज़ाद कर रहा है।

तथा सहीह मुस्लिम में आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से वर्णित है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : "अरफ़ा के दिन से बढ़कर कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें अल्लाह अपने बंदों को जहन्नम से अधिक मुक्त करता हो। वह निकट आता है, फिर फ़रिश्तों के सामने उन पर गर्व करता है और कहता है : ये लोग क्या चाहते हैं?"<sup>102</sup>

अतः मुसलमानों को चाहिए कि अपनी ओर से अल्लाह को भलाई दिखाएँ, अपने शत्रु शैतान को अपमानित करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़िन्न, दुआ, तौबा और सभी गुनाहों व पापों से तौबा व क्षमा याचना करके दुखी करें। हज करने वाले लोग इस स्थान पर सूरज डूबने तक ज़िन्न, दुआ और गिड़गिड़ाते हैं व्यस्त रहें। जब सूरज डूब जाए, तो शांति एवं गंभीरता के साथ मुज़दलिफ़ा की ओर रवाना हों और तलबिया (लब्बैक) को अधिक से अधिक पढ़ें तथा खुली जगह में तेज़ चले, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा ही किया था। सूरज डूबने से पहले रवाना होना जायज़ नहीं है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम वहीं सूरज डूबने तक रुके रहे और आपने फ़रमाया : "मुझसे अपने हज़ के कार्य सीख लो।"<sup>103</sup>

जब मुज़दलिफ़ा पहुँचें, तो वहाँ मगरिब की तीन रकात और इशा की दो रूकातें पढ़ें। दोनों को एकत्र करके (जमा करके) एक अज़ान और दो इक़ामतों के साथ, वहाँ पहुँचते ही अदा किया जाए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा ही किया था। चाहे मुज़दलिफ़ा मगरिब के वक़्त में पहुँचें या इशा का वक़्त शुरू होने के बाद।

जो लोग मुज़दलिफ़ा पहुँचने के बाद नमाज़ से पहले जमरात (कंकड़) इकट्ठा करने लगते हैं तथा उनमें से कई का यह मानना होता है कि यह एक शरीयत सम्मत कार्य है, तो ऐसा करना ग़लत है और इसका कोई आधार नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मशअर के बाद मिना की ओर जाते हुए कंकड़ इकट्ठा करने का आदेश था। जिस स्थान से भी कंकड़ चुन लिया काफी है। कंकड़ मुज़दलिफ़ा से इकट्ठा करना अनिवार्य नहीं है, बल्कि इसे मिना से भी इकट्ठा किया जा सकता है। इस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण करते हुए केवल जमरा -ए- अक़बा को मारने हेतु सात कंकड़ इकट्ठा करना सुन्नत है। शेष तीन दिनों में मिना से ही प्रत्येक दिन इक्कीस कंकड़ इकट्ठा किए जाएँ और तीनों जमरात को मारी जाएँ।

कंकड़ों को धोना सुन्नत नहीं है। उन्हें बिना धोए फेंकना चाहिए। क्योंकि कंकड़ों को धोना न तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से साबित है एवं न ही आपके सहाबा से। परंतु कंकड़ को एक बार फेंक देने के बाद पुनः प्रयोग नहीं करना चाहिए।

<sup>102</sup> सहीह मुस्लिम : 1348, वर्णनकर्ता आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा।

<sup>103</sup> इसके हवाले पीछे गुज़र चुके हैं।

हज्ज करने वाला यह रात मुजदलिफा में बिताएगा। कमजोर लोग जैसे महिलाएँ, बच्चे और उनके जैसे लोग रात के अंतिम भाग में मिना की ओर रवाना हो सकते हैं, जैसा कि हदीस-ए-आइशा एवं उम्म-ए-सलमा इत्यादि में इस का वर्णन है। किंतु उनके अतिरिक्त अन्य हज्ज करने वालों के लिए यह जरूरी है कि वे मुजदलिफा में फजर की नमाज़ तक रहें, फिर मशअर-ए-हराम में रुक कर क़िबला की ओर मुँह करके अल्लाह का ज़िक्र, तक्रबीर और दुआ करते रहें जब तक दिन पूरी तरह उजला न हो जाए। तथा यहाँ दुआ के समय हाथ उठाना मुस्तहब (पसंदीदा) है, और मुजदलिफा में जहाँ भी वे ठहरें, वही पर्याप्त है, उनके लिए मेशअर के करीब जाना या उसे पर चढ़ना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : **"मैं यहाँ -अर्थात् मशअर पर- ठहरा हुआ हूँ, तथा पूरा मुजदलिफा ही ठहरने की जगह है।"**<sup>104</sup> इसे मुस्लिम ने अपनी सहीह में रिवीयत किया है, तथा हदीस के शब्द "जमअ" से अभिप्राय मुजदलिफा है।

जब भोर में पूर्णरूपेण उजाला हो जाए, तो वे सुरज के उगने से पहले मिना की ओर रवाना हो जाएँ और अपने सफ़र में तलबिया (लब्बैक) का अधिक से अधिक उच्चारण करें। जब मुहस्सिर की घाटी में पहुँचें, तो वहाँ थोड़ा तेज़ चलना मुस्तहब (पसंदीदा) है।

जब मिना पहुँचें, तो जमरा-ए-अक़बा के पास तलबिया पढ़ना बंद कर दें। फिर वहाँ पहुँचते ही जमरा को निर्बाध सात कंकड़ मारें। प्रत्येक कंकड़ को फेंकते समय हाथ उठाएँ और तक्रबीर कहें। मुस्तहब यह है कि काबा को अपनी बाईं ओर तथा मिना को दाईं ओर रख कर वादी के अंदर से कंकड़ मारें। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा ही किया था। यदि उसने कंकड़ को दूसरी ओर से भी मार दिया तथा कंकड़ लक्ष्य (मरमा) में गिर जाए, तो यह पर्याप्त है। यह शर्त नहीं है कि कंकड़ वहाँ रुके, बल्कि शर्त यह है कि कंकड़ वहाँ गिर जाए। अगर कंकड़ जमरे में गिर जाए और फिर वहाँ से बाहर निकल जाए, तो वह पर्याप्त होगा, जैसा कि उलेमा के कथनों से स्पष्ट होता है। और इमाम नववी ने अपनी किताब (शरह अल-मुहज्जब) में इसको स्पष्ट किया है। जमरों के लिए कंकड़ अंगूठे और तर्जनी के बीच रखकर फेंके जाने वाले कंकड़ों के बराबर होने चाहिए, जो चने से कुछ बड़े होते हैं।

फिर कंकड़ मारने के बाद, अपना कुर्बानी का जानवर जबह करे। जबह करते समय : "अल्लाह के नाम से आरंभ है तथा अल्लाह सब से बड़ा है। ऐ अल्लाह! यह तुझ से है और तेरे लिए है।" कहना मुस्तहब है। जानवर (के मुँह) को क़िबला की दिशा में रखना चाहिए। सुन्नत यह है कि ऊँट को खड़ा करके उसकी बायीं अगली टांग को बांधकर नहर किया जाए और गाय व बकरी को उनके बाएं पहलू पर लिटाकर जबह किया जाए। यदि जबह करते समय जानवर को क़िबला की ओर मुँह न कर के किसी दूसरी तरफ कर दिया, तो सुन्नत छूट जाएगी, किंतु उसका जबह सही माना जाएगा, क्योंकि जबह के समय क़िबला की ओर मुँह करना सुन्नत है, वाजिब (अनिवार्य) नहीं। मुस्तहब यह है कि अपने कुर्बानी के जानवर का मौस ख़ुद खाए, उपहार दे तथा दान करे, जैसा कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया है :

{فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}

<sup>104</sup> सहीह मुस्लिम : 1218, वर्णनकर्ता जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु।

“इस में स्वयं भी खाओ, तथा भूखे निर्धन को खिलाओ।”<sup>105</sup> ज़बह करने का समय इस्लामी विद्वानों के सब से सटीक कथन के अनुसार, तशरीक के दिनों के तीसरे दिन के सूर्यास्त तक रहता है, इस प्रकार, ज़बह की अवधि यौम-उन-नहर (कुर्बानी के दिन) और उसके बाद के तीन दिनों तक रहती है।

फिर हृदय (कुर्बानी का जानवर) ज़बह करने के बाद वह अपने सिर को मंडवाए या बाल छोटे करवाए। सिर मंडवाना बेहतर है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सिर मंडवाने वालों के लिए तीन बार रहमत और माफी की दुआ की, जबकि बाल छोटे करने वालों के लिए एक बार। केवल सिर के कुछ हिस्से के बाल काटना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे सिर के बाल छोटे करना अनिवार्य है, जैसे मंडवाने में होता है, तथा महिला अपनी चौटियों में से उंगली के पोर के बराबर या उससे कम काटे।

जमरह अक़बा को कंकड़ियां मारने और सिर मंडवाने या बाल छोटे करवाने के बाद, मुहरिम (इहराम की स्थिति में रहने वाला व्यक्ति) के लिए हर वह चीज़ हलाल (वैध) हो जाती है जो इहराम की वजह से उस पर हराम (अवैध) थी, सिवाय औरतों के, इस हलाल होने को "पहला तहल्लूल" कहा जाता है। इसके बाद सुन्नत यह है कि वह इत्र लगाए और मक्का की ओर रवाना हो, ताकि तवाफ़-ए-इफ़ाज़ा करे, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया है : "मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उनके इहराम के लिए खुशबू लगाती थी, इससे पहले कि आप इहराम बांधते तथा आपके हलाल होने लिए काबी को तवाफ़ करने के पूर्व खुशबू लगाया करती थी।"<sup>106</sup> इस हदीस को बुखारी एवं मुस्लिम ने रिवायत किया है।

इस तवाफ़ को: तवाफ़-ए-इफ़ाज़ा एवं तवाफ़-ए-ज़ियारत कहा जाता है, यह हज्ज के अरकान (स्तंभों) में से एक है, और इसके बिना हज्ज पूरा नहीं होता, यही वह तवाफ़ है जिसकी ओर अल्लाह तआला ने इस आयत में इशारा किया है :

{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}

“फिर अपना मैल-कुचैल दूर करें तथा अपनी मन्नतें पूरी करें और तवाफ़ करें प्राचीन घर का।”<sup>107</sup>

फिर तवाफ़ करने और मक़ाम-ए-इब्राहीम के पीछे दो रक़अत नमाज़ पढ़ने के बाद, यदि वह हज्ज -ए- तमत्तअ करने वाला है, तो वह सफा और मर्वा के बीच सई करेगा, यह सई हज्ज के लिए है, और प्रथम सई उसके उमरा के लिए थी।

सर्वश्रेष्ठ राय के अनुसार, एक सई पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं : "हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ निकले" फिर उन्होंने

<sup>105</sup> सूरा अल-हज : 28.

<sup>106</sup> सहीह बुखारी : 1539 तथा सहीह मुस्लिम : 1189.

<sup>107</sup> सूरा अल-हज्ज : 29.

पूरी हदीस बयान की, जिसमें है कि नबी सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने फरमाया : "और जो व्यक्ति अपने साथ क़र्बानी का जानवर लेकर आया हो, वह उमरा के साथ हज की नीयत करे। फिर तब तक हलाल नहीं होगा जब तक दोनों (उमरा और हज) से हलाल न हो जाए।" यहाँ तक कि आगे कहा : "फिर जिन्होंने उमरा के साथ हज का इहराम बांधा था, उन्होंने पहले काबा का तवाफ़ किया और सफ़ा और मर्वा के बीच सई की, फिर हलाल हो गए और फिर मिना से लौटने के बाद हज का दूसरा तवाफ़ किया।"<sup>108</sup> इस हदीस को बुखारी एवं मुस्लिम ने रिवायत किया है।

उमरा का इहराम बांधने वालों के बारे में आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा के कहे गए इस कथन : "फिर उन्होंने मिना से लौटने के बाद हज के लिए एक और तवाफ़ किया" में तवाफ़ से अभिप्राय सफ़ा और मर्वा के बीच की सई है। यही इस हदीस की व्याख्या में सबसे सही कथन है। जो लोग कहते हैं कि इससे उनका अभिप्राय "तवाफ़-ए-इफ़ाज़ा" है, वह सही नहीं है। क्योंकि तवाफ़-ए-इफ़ाज़ा, हज का एक रुकन (स्तंभ) है, जिसे सभी हाजियों ने किया था। अतः इससे अभिप्राय हज -ए- तमत्तो करने वाले का विशेष तवाफ़ है। यानी सफ़ा एवं मर्वा की दोबारा सई, जो हज पूरा हो जाने के बाद मिना से वापस लौटने के बाद की जाती है। मसला बिल्कुल स्पष्ट है और यही अधिकांश विद्वानों की राय भी है।

इस बात की सही होने की पुष्टि उस हदीस से भी होती है, जिसे इमाम बुखारी ने अपनी सहीह में पुष्टि वाले शब्द के साथ सनद के बिना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है कि उनसे हज्ज-ए-तमत्तो के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने उत्तर दिया : "मुहाजिरों और अंसारियों तथा नबी सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम की पत्नियों ने हज्जतुल-वदा में इहराम बांधा और हम लोगों ने भी इहराम बांधा। जब हम मक्का पहुँचे, तब नबी सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने फरमाया : अपने हज के इहराम को उमरा के इहराम में बदल दो, सिवाय उन लोगों के जो हृदय (अर्थात् क़र्बानी का जानवर) लेकर आए हों। फिर हमने काबा का तवाफ़ किया, सफ़ा तथा मर्वा के बीच सई की, हम अपनी पत्नियों के पास भी गए, (सिले हुए) कपड़े पहने। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम ने (उन लोगों के बारे में जिन के पास जानवर थे) फरमाया : जो क़र्बानी लेकर आया है, वह तब तक हलाल नहीं हो सकता, जब तक उसका हृदय निर्धारित स्थान तक न पहुँच जाए। फिर तर्विया (आठ जुल-हिज्जा के दिन) की शाम को हमें हज की नीयत करने का आदेश दिया। जब हम हज के कार्य पूरे कर चुके, तो फिर से काबा का तवाफ़ किया और सफ़ा और मर्वा के बीच सई की।"<sup>109</sup> इस स्पष्टिकरण से हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, और वह यह कि इस में हज्ज -ए- तमत्तुअ करने वाले के दो बार सई करने का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। और अल्लाह ही बेहतर जानता है।

जहाँ तक उस रिवायत की बात है जिसे मुस्लिम ने जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि : "अल्लाह के नबी नबी सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम और उनके सहाबा ने सफ़ा और मर्वा के बीच केवल एक ही तवाफ़ किया था।"<sup>110</sup> जो उनका पहला

<sup>108</sup> सहीह बुखारी : 1556, सहीह मुस्लिम : 1211.

<sup>109</sup> सहीह बुखारी : 1572.

<sup>110</sup> सहीह मुस्लिम : 1215.



तवाफ़ था, तो यह उन सहाबा पर लागू होता है जिन्होंने कर्बानी का जानवर साथ लाया था। क्योंकि वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ अपने इहराम में ही बने रहे, यहाँ तक कि हज और उमरा दोनों से एक साथ हलाल हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज और उमरा दोनों की नीयत की थी। जो लोग कर्बानी का जानवर साथ लाए थे, उन्हें आदेश दिया था कि वे उमरा के साथ हज की भी नीयत करें और तब तक हलाल न हों जब तक दोनों से एक साथ हलाल न हो जाएं। हज्ज एवं उमरा को एक साथ करने वाले (कारिन) के ऊपर एक ही सई है, जैसाकि जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की इस हदीस से तथा दूसरी सहीह हदीसों से प्रमाणित होता है।

इसी प्रकार जिसने केवल हज की नीयत की हो और अपने इहराम में यौम-ए-नहर तक बाकी रहा हो, उस पर केवल एक ही सई वाजिब है। अतः यदि कारिन (हज और उमरा दोनों की नीयत करने वाला) और मुफ़्रिद (सिर्फ हज की नीयत करने वाला) तवाफ़-ए-कुदूम के बाद सई कर ले, तो यह तवाफ़-ए-इफ़ाज़ा के बाद की सई के लिए पर्याप्त होगा। यही आइशा, इब्न-ए-अब्बास और जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हुम की हदीसों के बीच सामंजस्य बैठाने का तरीका है। इस प्रकार सभी हदीसों पर अमेल किया जा सकता है और उनमें कोई विरोध भी नहीं रहेगा।

इस सामंजस्य की पुष्टि इस बात से होती है कि आइशा और इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीसें सही हैं और इन दोनों हदीसों ने मतमत्तिअ (जो उमरा और हज्ज अलगे-अलगे करता है) के लिए दूसरी सई को साबित किया है, जबकि जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस का जाहिरी (ऊपरी) अर्थ इसे नकारता है, तथा पुष्टि करने वाली हदीसों को नेकारने वाली हदीस पर वरीयता मिलती है, जैसा कि उसल-ए- हदीस विज्ञान में यह बात तय है, पवित्र और महान अल्लाह ही सही मार्गदर्शन देने वाला है, और अल्लाह की मदद के बिना किसी बुराई से फिरने और किसी नेकी के करने की किसी में ताकत और शक्ति नहीं।

## अध्याय

हज्ज करने वाले के लिए यौम अन-नहर (कर्बानी के दिन) किए जाने वाले श्रेष्ठ कार्यों के बारे में स्पष्टीकरण

हज करने वाले के लिए बेहतर यह है कि कर्बानी के दिन इन चार कार्यों को उसी क्रम में करे, जैसा बताया गया है : सबसे पहले जमरा-ए-अक़बा को कंकड़ी मारना, फिर कर्बानी करना, उसके बाद सर मुंडवाना या बाल कटवाना, फिर बैतुल्लाह का तवाफ़ और उसके बाद हज्ज-ए-तमत्तो करने वाले के लिए सई करना। इसी तरह मुफ़्रिद और कारिन के लिए भी, यदि उन्होंने कुदूम के तवाफ़ के साथ सई नहीं की हो। लेकिन यदि इनमें से किसी कार्य को दूसरे से पहले कर लिया, तो वह भी मान्य होगा। क्योंकि इस मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रुख़सत (छूट) साबित है। इसमें सई को तवाफ़ से पहले करना भी शामिल है। क्योंकि यह भी कर्बानी के दिन किए जाने वाले कार्यों में से एक कार्य है। अतः यह सहाबी के इस कथन में शामिल होगा कि उस दिन आपसे जिस चीज़ के भी आगे-पीछे करने के बारे में पूछा गया, आपने उत्तर में बस इतना कहा : "तुम

कर लो, कोई हर्ज नहीं है।"<sup>111</sup> साथ ही यह कि यह उन मामलों में से एक है जिनमें भूल या अज्ञानता हो सकती है, इसलिए यह इस आम छूट के दायरे में आ जाता है। क्योंकि इसमें आसानी और सुविधा रखी गई है।

अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से तवाफ़ से पहले सई के बारे में पूछा गया, तो फ़रमाया : "इसमें कोई हर्ज नहीं है।"<sup>112</sup> इसे अबू दाऊद ने उसामा बिन शरीक के हवाले से सहीह सनद से रिवायत किया है। अतः इससे स्पष्ट है कि यह निस्संदेह व्यापकता के अंदर दाखिल है। अल्लाह ही तौफ़ीक़ देने वाला है।

हज करने वाले के पूरे तौर पर हलाल होने के लिए तीन कार्य आवश्यक हैं : जमरा-ए-अक़बा को कंकड़ मारना, सर मुंडवाना या बाल कतरवाना और इफ़ाज़ा के तवाफ़ के साथ-साथ सई करना। इन तीनों कार्यों को कर लेने के बाद वह सब कुछ हलाल हो जाता है जो इहराम के कारण हराम था। जैसे स्त्रियाँ तथा इत्र आदि। लेकिन यदि वह इनमें से केवल दो कार्य करता है, तो उसके लिए वह सब कुछ हलाल हो जाता है जो इहराम के कारण हराम था, सिवाय स्त्रियों के, और इसे "तहल्लुल-ए-अव्वल" कहा जाता है।

हज करने वाले के लिए यह मुस्तहब (पसंदीदा) है कि वह ज़मज़म के पानी को पिए और जी भर कर तथा जितनी हो सके पिए, लाभकारी दुआएं करे। क्योंकि "ज़मज़म का पानी उस उद्देश्य के लिए होता है, जिसके लिए उसे पिया जाए।"<sup>113</sup> जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से रिवायत किया गया है। सहीह मुस्लिम में अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्ह से वर्णित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ज़मज़म के पानी के बारे में फ़रमाया है : "यह खाने के लिए भोजन है।"<sup>114</sup> अबू दावूद में इतना अधिक है : "और यह बीमारी का इलाज है।"<sup>115</sup>

इफ़ाज़ा का तवाफ़ और जिन लोगों पर सई वाजिब है, उनके सफ़ा-मर्वा की सई करने के पश्चात, हाजी लोग मिना लौट जाएं, तथा वहाँ तीन दिन और तीन रातें बिताएं, और तीनों दिन सूरज ढलने के बाद हर दिन तीनों जमरों को क्रमवार ढंग से कंकड़ी मारें, तथा कंकड़ी मारने में क्रम का पालन करना अनिवार्य है।

सबसे पहले जमरा-ए-ऊला (शैतान को कंकड़ मारने का पहला स्थान) से आरंभ करे, जो मस्जिद अल-खैफ़ के पास है। उसे लगातार सात कंकड़ी मारे और हर कंकड़ी मारने के साथ अपने हाथ उठाए। सुन्नत यह है उसे मारने के बाद थोड़ा आगे बढ़ जाए, उसे अपनी बाईं ओर कर ले, किबला की ओर मुंह करे और अपने हाथ उठाकर तल्लीनता के साथ दुआ करे और रोए गिड़गिड़ाए।

<sup>111</sup> सहीह बुखारी : 83, सहीह मुस्लिम : 1306.

<sup>112</sup> सहीह बुखारी : 2015.

<sup>113</sup> सुनन इब्न-ए-माजा : 3062, वर्णनकर्ता जाबिर रज़ियल्लाहु अन्ह।

<sup>114</sup> सहीह मुस्लिम : 2473.

<sup>115</sup> यानी अबू दाऊद तयालिसी। इन्होंने इस हदीस को अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्ह के इस्लाम ग्रहण करने के क्रिस्से के तहत नक़ल किया है। देखिए : मुस्नद अबू दाऊद तयालिसी 1/364, हदीस संख्या 459.

फिर दूसरे जमरा को पहले ही की तरह कंकड़ी मारे। सुन्नत यह है कि कंकड़ी मारने के बाद थोड़ा आगे बढ़े और उसे अपनी दाहिनी तरफ रखे, किबला की दिशा में मुह करके अपने हाथ ऊपर उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करे।

फिर तीसरे जमरे को कंकड़ी मारे। किंतु, वहाँ ठहरे नहीं।

फिर वह अय्याम -ए- तशरीक के दूसरे दिन सभी जमरों को सूरज ढलने के बाद वैसे ही कंकड़ी मारे जैसे पहले दिन मारा था, तथा जिस प्रकार से पहले एवं दूसरे जमरे के पास किया था वैसे ही दूसरे दिन करे, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण पूरा हो सके।

तशरीक के पहले दो दिनों में जमरा को कंकड़ी मारना हज्ज के वाजिबात (आवश्यक कार्यों) में से एक है, और इसी तरह पहली और दूसरी रात मिना में रहना वाजिब है, सिवाय पानी पिलाने वालों एवं चरवाहों के तथा जो इन दोनों के समान हों, उनके लिए मिना में रात बितना वाजिब नहीं है।

फिर इन दो दिनों में रमी (कंकड़ी मारने) के बाद, जो मिना से जल्दी निकलना चाहे, उसके लिए यह जायज़ है, किंतु उसको सूर्यास्त से पहले निकलना होगा, और जो देर तक रुके और तीसरी रात मिना में बिताए एवं तीसरे दिन जमरा को कंकड़ी मारे, तो यह उत्तम एवं अधिक पुण्यदायक है, जैसा कि अल्लाह ने कहा है :

{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى}

"तथा गिनती के कुछ दिनों में अल्लाह का स्मरण करो। फिर जो व्यक्ति जल्दी करते हुए दो ही दिन में (मिना से) चल दे, उस पर कोई दोष नहीं और जो विलंब करे उसपर भी कोई दोष नहीं, उस व्यक्ति के लिए जो अल्लाह से डरा।"<sup>116</sup> (विलंब करना इसलिए भी उत्तम है) क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लोगों को जल्दी लौटने की अनुमति दी, किंतु आप ने स्वयं जल्दी नहीं की, बल्कि आप मिना में रहे और तीसरे दिन, तेरहवीं ज़िल्हिज्जा को सूरज ढलने के बाद जमरात को कंकड़ी मारा, फिर जुहर पढ़ने के पूर्व मिना से निकले।

और छोटे बच्चे, जो खुद से कंकड़ी नहीं मार सकते, उनके लिए उनके वली (अभिभावक) को यह अनुमति है कि वह उनकी तरफ से जमरा-ए-अक़बा और अन्य जमरात को कंकड़ी मारें, लेकिन पहले वह खुद के लिए कंकड़ी मारेंगे, इसी तरह, जो छोटी बच्ची कंकड़ी नहीं मार सकती, उसके लिए भी उसके अभिभावक को कंकड़ी मारने की अनुमति है, और यह जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की गई हदीस से प्रमाणित है, जिसमें उन्होंने कहा है : "हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ हज किया। हमारे साथ महिलाएं और छोटे बच्चे भी मौजू थे। हमने बच्चों की तरफ से

<sup>116</sup> सूरा अल-बकरा : 203.

तलबिया (लब्बैक) कहा और उनकी तरफ से कंकड़ी मारे।"<sup>117</sup> इसे इब्ने माजह ने रिवायत किया है।

तथा जो व्यक्ति अपनी बीमारी अथवा बढ़ापा के कारण या जो महिला गर्भावस्था की वजह से कंकड़ नहीं मार सकती, वह अपनी ओर से कंकड़ मारने के लिए किसी अन्य को नियुक्त कर सकते हैं, जैसा कि अल्लाह तआला का फ़रमान है :

{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}

"जहां तक तुम से हो सके, अल्लाह से डरते रहो।"<sup>118</sup> चूँकि ये लोग जमरा को कंकड़ी मारने के स्थान पर लोगों की भीड़ को झेल नहीं सकते तथा कंकड़ी मारने का समय निकल जाएगा और इसे कज़ा (बाद में करना) शरीयत सम्मत नहीं है, अतः उनके लिए अपने स्थान पर किसी को नियुक्त करना जायज़ है। जबकि हज के अन्य कार्यों को अदा करने के लिए अपने स्थान पर किसी दूसरे को नियुक्त करना जायज़ नहीं है। हज चाहे नफ़ली ही क्यों न हो। क्योंकि, जिसने भी हज या उमरा का एहराम बाँधा है, चाहे वह नफ़ली ही क्यों न हों, उसे पूरा करना आवश्यक है, जैसा कि अल्लाह ने कहा है :

{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

"हज और उमरा को अल्लाह के लिए पूरा करो।"<sup>119</sup> तवाफ़ और सई का समय सीमित न होने के कारण यह छूटता नहीं है, जबकि कंकड़ मारने का समय सीमित होने के कारण छूट सकता है।

जहाँ तक अरफा में खड़े होने, मज़दलिफा और मिना में रात बिताने की बात है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका समय सीमित है और गुजर जाता है, किंतु इन स्थानों पर अक्षम व्यक्ति का उपस्थित होना संभव है, चाहे कठिनाई के साथ ही क्यों न हो, रमी (कंकड़ मारने) के विपरीत, इसके अतिरिक्त रमी के लिए सक्षम न होने की स्थिति में सलफ़ (सदाचारी पूर्वजों) के यहाँ अपने स्थान पर किसी दूसरे को नियुक्त करने की प्रथा रही है।

और इबादत (उपासना) तौकीफ़ी (निर्धारित) हैं, किसी के लिए यह उचित नहीं है कि वह बिना किसी प्रमाण के उनमें कुछ भी नया जोड़े, नायब (प्रतिनिधि) के लिए यह

<sup>117</sup> सुनन तिर्मिज़ी : 927.

<sup>118</sup> सूरा अल-तगाबुन : 16

<sup>119</sup> सूरा अल-बकरा : 196

जायज़ है कि वह पहले अपनी ओर से रमी (कंकड़ मारने का कार्य) करे और फिर उसी स्थान पर खड़े होकर अपने मुवक्किल के लिए तीनों जमरात में से प्रत्येक पर कंकड़ मारे, यह आवश्यक नहीं है कि पहले वह अपनी तरफ से तीनों जमरा की रमी पूरी करे इसके बाद फिर अपने मुवक्किल के लिए रमी करने हेतु वापस लौटे, विद्वानों के दो कथनों में से सब से सही कथन यही है, क्योंकि इसके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं है, और इसमें कठिनाई एवं परेशानी भी है, जबकि सर्वोच्च व पवित्र अल्लाह तआला फरमाता है :

{وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}

"और अल्लाह ने तुमपर दीन के बारे में कोई कठिनाई नहीं रखी।"<sup>120</sup> अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है : "आसानी करो, कठिनाई में मत डालो।"<sup>121</sup> और क्योंकि यह बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबा से नहीं आई जब उन्होंने अपने छोटे बच्चों और बीमार लोगों की ओर से कंकड़ मारे, और अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो वह हमें अवश्य ही बताई जाती, क्योंकि ऐसी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रसारण लोगों के बीच आसानी से होता है। और अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है।

## अध्याय

हज्ज-ए-तमत्तुअ एवं किरान करने वालों पर रक्त (अर्थाथ: जानवर की कुर्बानी) के अनिवार्य होने के बारे में

यदि हीजी मतम्मिअ अथवा कारिन हो और वह मस्जिद हुराम का निवासी न हो- तो उसपर रक्त (जानवर की कुर्बानी) अनिवार्य है, और दम चाहे : एक बकरा हो, अथवा ऊट या गाय का सातवां भाग, और अनिवार्य है कि यह कुर्बानी शुद्ध एवं पवित्र ढंग से कमाए गए माल में से हो, क्योंकि अल्लाह तआला पाक है और वह केवल पाक (शुद्ध) चीज़ ही स्वीकार करता है।

और मुसलमानों को चाहिए कि वह लोगों से, चाहे वे राजा हों या अन्य, कुछ भी दान या अन्य कोई चीज़ मांगने से बचें, यदि अल्लाह तआला ने उसे इतना धन प्रदान किया हो जिससे वह अपनी जरूरतों को पूरी कर सकते हों और दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बच सकते हों, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वर्णित अनेक हदीसों में मांगने की निंदा और उसकी बुराई की गई है, तथा उसे छोड़ने वाले की प्रशंसा की गई है।

<sup>120</sup> सूरा अल-हज्ज : 78

<sup>121</sup> सहीह बुखारी 69, वर्णनकर्ता अनस रज़ियल्लाहु अनहु।

यदि मृतमतिअ और कारिन हृदय (कुर्बानी) देने में असमर्थ हों, तो उनपर हज्ज के दौरान तीन दिन रोज़ा रखना अनिवार्य है, और जब वे अपने घर लौटें तो और सात दिन रोज़ा रखें, तथा वह तीन दिनों के रोज़े में से, यदि चाहें तो नहर (कुर्बानी के दिन) से पहले रख सकते हैं, और यदि चाहें तो तश्रीक के तीन दिनों में से किसी भी दिन रख सकते हैं। अल्लाह तआला फरमाता है :

{فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}

"जो व्यक्ति हज (के एहराम बाँधने) तक उमरे से लाभ उठाए, तो कुर्बानी में से जो उपलब्ध हो, करे। फिर जिसके पास (कुर्बानी) उपलब्ध न हो, वह तीन रोज़े हज के दौरान रखे और सात दिन के रोज़े उस समय रखे, जब तुम (घर) वापस जाओ। ये पूरे दस रोज़े हैं। ये उसके लिए हैं, जिसके घर वाले मस्जिद-ए-हराम के निवासी न हों।"<sup>122</sup> पूरी आयत देखें।

तथा सहीह बुखारी में आइशा एवं इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है, दोनों कहते हैं : "(हज के दौरान) जुल-हिज्जा महीने की ग्यारहवीं, बारहवीं तथा तेरहवीं तारीखों को रोज़ा रखने वाली की अनुमति केवल उसे दी जाएगी, जिसके पास कुर्बानी का जानवर न हो।"<sup>123</sup> यह हदीस सीधे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वर्णित हदीस के समान मानी जाएगी। बेहतर यह है कि तीन दिनों का रोज़ा यौम-ए-अरफ़ा से पहले रख लिया जाए, ताकि हज कर रहा व्यक्ति अरफ़ा के दिन रोज़ा से न हो। क्योंकि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अरफ़ा के दिन रोज़ा नहीं रखा है और अरफ़ा में रोज़ा रखने से मना किया है। वैसे, इस दिन रोज़ा न रखना इन्सान को ज़िक्र और दुआ के लिए अधिक सक्षम बनाता है। तीन दिनों का रोज़ा लगातार या अलग-अलग रखा जा सकता है। इसी तरह सात दिनों का रोज़ा लगातार रखना आवश्यक नहीं है। बल्कि इन्हें एक साथ या अलग-अलग दोनों तरह से रखा जा सकता है। क्योंकि अल्लाह ने इनमें लगातार रखने की शर्त नहीं लगाई और न ही उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ऐसा बताया है। बेहतर यह है कि सात दिनों के रोज़े को तब तक टोल दे, जब तक कि व्यक्ति अपने घर न लौट जाए, जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया है :

{وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}

"और सात दिनों के रोज़े रखो जब तुम लौट आओ।"<sup>124</sup>

<sup>122</sup> सूरा अल-बकरा : 196.

<sup>123</sup> सहीह बुखारी : 1998.

<sup>124</sup> सूरा अल-बकरा : 196.

जो व्यक्ति कर्बानी देने में असमर्थ हो, उसके लिए रोजा रखना, राजा या अन्य लोगों से कर्बानी के लिए मदद मांगने से, बेहतर है। लेकिन जिसे बिना मांगे अथवा अपनी इच्छा जाहिर किए बिना कर्बानी का जानवर या अन्य चीज़ मिल जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। चाहे वह किसी और की तरफ़ से ही क्यों न कर रहा हो। लेकिन यह उस समय की बात है, जब प्रतिनिधि बनाने वाले व्यक्ति ने अपने दिए गए धन से ही कर्बानी का जानवर खरीदने की शर्त न रखी हो। जहाँ तक उन लोगों की बात है, जो सरक़ार या किसी और से किसी व्यक्ति का नाम लेकर झूठ बोलकर कर्बानी का जानवर मांगते हैं, तो निस्संदेह यह हराम है। क्योंकि यह झूठ बोलकर खाने का एक रूप है। अल्लाह हमें और मुसलमानों को इससे बचाए रखे।

## अध्याय

### हाजियों और अन्य लोगों पर अम्र बिल मारुफ़ (नेकी का आदेश) के अनिवार्यता के विषय में

हाजियों और अन्य लोगों पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक अम्र बिल मारुफ़ (नेकी का आदेश) और नहय अनिल मुन्कर (बुराई से रोकना) है, और पाँचों वक्त की नमाज़ों जमात के साथ पढ़ना है, जैसा कि अल्लाह ने अपनी किताब में आदेश दिया है, और अपने रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की जुबान से भी।

मक्का के निवासी तथा अन्य जगहों के बहुत से लोग जो अपने घरों में नमाज़ पढ़ते हैं, एवं मस्जिदों को छोड़ रखा है, यह उनकी बहुत बड़ी ग़लती एवं शरीअत का विरोध है, अतः इससे बचना अनिवार्य है, लोगों को इससे रोका जाना चाहिए और उन्हें मस्जिदों में पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ने का आदेश देना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित है कि जब इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हू ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह अनमति मांगी थी कि वे अपने घर में नमाज़ पढ़ लें क्योंकि वे अंधे थे और मस्जिद से उनके घर दूर था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : "क्या तुम नमाज़ की पुकार (अर्थात: अज़ान) सुनते हो?" उन्होंने कहा : हाँ। तो आपने फ़रमाया : "तो (अज़ान का) जवाब दो (अर्थात, मस्जिद आओ।)"<sup>125</sup> एक अन्य रिवायत के शब्द इस प्रकार हैं : "मैं तुम्हारे लिए कोई छुट नहीं पाता।"<sup>126</sup> तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह कथन भी है कि : "मैंने इरादा किया कि नमाज़ का आदेश दूँ और जब नमाज़ खड़ी हो जाए, तो किसी आदमी को आदेश दूँ कि वह लोगों को नमाज़ पढ़ाए। फिर मैं उन लोगों के पास जाऊँ, जो नमाज़ में शामिल नहीं होते तथा उनके घरों को आग से जला दूँ।"<sup>127</sup> तथा सुनन इब्ने माजह में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हूमा से हसन सनद के साथ वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : "जिसने अज़ान सुनी और (मस्जिद) नहीं आया, उसकी नमाज़ नहीं (होगी)। हाँ किसी के पास न आने का कोई उचित कारण हो, तो बात अलग है।"<sup>128</sup> तथा सहीह

<sup>125</sup> सहीह मुस्लिम : 653, वर्णनकर्ता अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हू।

<sup>126</sup> सुनन अबू दाऊद : 552, अब्दुल्लाह बिन उम्म-ए-मक्तूम।

<sup>127</sup> सहीह बुखारी : 2420, सहीह मुस्लिम : 651.

<sup>128</sup> सुनन अबू दाऊद : 551, वर्णनकर्ता अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हूमा।

मुस्लिम में इब्ने मसऊद रज़ियल्लाह अन्ह से वर्णित है, कहते हैं : "जो व्यक्ति चाहता है कि वह कल अल्लाह से मुसलमान होने की हालत में मिले, उसे चाहिए कि इन नमाज़ों को उस जगह (मस्जिद) में पढ़ने की पाबंदी करे, जहाँ उनके लिए अज़ान दी जाती है। क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे नबी के लिए हिदायत का तरीका मुकरर किया है और ये नमाज़ें हिदायत के तरीकों में से हैं। अगर तुम अपने घरों में नमाज़ पढ़ोगे, जैसे यह पीछे रहने वाला अपने घर में नमाज़ पढ़ता है, तो तुम अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे। और अगर तुम अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे, तो गुमराह हो जाओगे। जब भी कोई व्यक्ति वजू करता है और अच्छी तरह से वजू करता है, फिर इन मस्जिदों में से किसी मस्जिद की ओर चल देता है, अल्लाह उसके हर कदम पर एक नेकी लिखता है, एक दर्जा ऊँचा करता है और एक गुनाह माफ़ करता है। हमने देखा कि हममें से कोई भी इससे पीछे नहीं रहता था, सिवाय उसके जो खुले तौर पर मुनाफ़िक हो, जिसके निफ़ाक का सबको पता होता था। ऐसा भी होता था कि एक आदमी को (कमज़ोरी या बीमारी के कारण) दो आदमियों के सहारे लाकर कतार में खड़ा कर दिया जाता था।"<sup>129</sup>

हज करने वालों और अन्य लोगों के लिए आवश्यक है कि वे अल्लाह तआला के द्वारा हराम की गई चीज़ों से बचें और उन्हें करने से सावधान रहें। जैसे - व्यभिचार, समलैंगिकता, चोरी, सूद खाना, अनाथ का धन खाना, लेन-देन में धोखा देना, अमानत में खयानत करना, नशीली चीज़ों का सेवन करना, धूम्रपान करना, कपड़ों को टखनों के नीचे तक लटकाना, घमंड, जलन, दिखावा, पीठ पीछे बुराई करना, चुगली, मुसलमानों का मज़ाक उड़ाना, मनोरंजन के उपकरणों, जैसे रिकॉर्ड प्लेयर, वीणा, सारंगी, बांसुरी आदि का उपयोग करना, गाने सुनना, संगीत के उपकरणों का इस्तेमाल करना, चाहे वह रेडियो से हो या अन्य किसी माध्यम से, पासे (डाइस) खेलना, शतरंज खेलना, जुए के माध्यम से लेन-देन करना, और जानदारों (मानव या अन्य प्राणियों) की तस्वीरें बनाना और इस पर राजी होना। ये सारी चीज़ें उन मना की गई बुराइयों में शामिल हैं, जिन्हें अल्लाह ने अपने बंदों पर हर समय और हर स्थान में हराम ठहराया है। अतः हज करने वालों तथा मक्का के आस-पास रहने वालों को अन्य लोगों की तुलना में इन चीज़ों से अधिक बचर कर रहना चाहिए। क्योंकि, इस पवित्र स्थान में गलतियाँ करने का गुनाह ज्यादा बड़ा होता है और सज़ा भी अधिक होती है।

उच्च एवं महान अल्लाह ने कहा है :

{وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ}

"तथा जो उसमें अत्याचार से अधर्म का विचार करेगा, हम उसे दुःखदायी यातना चखायेंगे।"<sup>130</sup>

यदि अल्लाह ने काबा में अनीति और जुल्म करने की इच्छा रखने वालों को सज़ा की धमकी दी है, तो जो व्यक्ति ऐसा करेगा, उसकी सज़ा निश्चित रूप से अधिक और कठोर

<sup>129</sup> सहीह मुस्लिम : 654.

<sup>130</sup> सूरा अल-हज्ज : 25.



होगी, अतः इससे बचने और अन्य सभी गलतियों से दूर रहने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।

हज्ज करने वालों को हज्ज का सवाब और पापों की माफ़ी तभी मिलेगी जब वे इन गलतियों और अन्य उन चीज़ों से बचेंगे, जिन्हें अल्लाह ने उनपर हराम किया है, जैसा कि उस हदीस में आया है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है : **"जिसने हज किया तथा हज के दिनों में बुरी बात एवं बुरे कार्यों से बचा एवं अवज्ञा से दूर रहा, वह उस दिन की तरह लौटेगा, जिस दिन उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था।"**<sup>131</sup>

इन मना की गई चीज़ों से भी अधिक गंभीर और बड़ी बुराईयां हैं। जैसे : मरे हुए लोगों से दुआ मांगना, उनसे मदद की गृहार लगाना, उनके नाम पर मन्नतें मानना, तथा उनके लिए बलि चढ़ाना, यह उम्मीद करते हुए कि वे अपने से मांगने वाले लोगों के लिए अल्लाह के पास शफ़ाअत (सिफ़ारिश) करेंगे, या किसी के मरीज़ को ठीक करेंगे, या किसी के ग़ायब (लापता) को वापस लाएंगे, और इसी प्रकार की अन्य चीज़ें।

यह सबसे बड़ा शिर्क है, जिसे अल्लाह ने हराम किया है, यह जाहिलिय्यत (अज्ञानता) युग में मुशरिकों का धर्म था, अल्लाह ने इसी से रोकने एवं निषेध करने के लिए पैग़म्बर भेजे और किताबें उतारीं।

हरेक हज्ज करने वाले और अन्य सभी व्यक्तियों पर यह अनिवार्य है कि वे इससे सावधान रहें, और यदि उनसे ऐसा कुछ हुआ हो तो अल्लाह से तौबा करें तथा उससे तौबा करने के पश्चात एक नया हज्ज अदा करें, क्योंकि महा शिर्क सारे अमल (कर्म) को नष्ट कर देता है, जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया है :

{وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}

**"और अगर वे शिर्क करें तो उनके समस्त कर्म बर्बाद हो जाएंगे।"**<sup>132</sup>

तथा शिर्क -ए- असगर (छोटा शिर्क) का एक प्रकार : गैरुल्लाह की क़सम खाना भी है, जैसे नबी की क़सम खना, काबा की क़सम खाना तथा अमानत की क़सम खाना इत्यादि।

इसी प्रकार रियाकारी (दिखावा), प्रसिद्धि की लालसा, तथा यह कहना : जो अल्लाह और आप चाहें, तथा यदि अल्लाह और आप न होते, एवं यह अल्लाह और आप की ओर से है, तथा इसी प्रकार के अन्य बातें भी शिर्क-ए-असगर में से हैं।

इस तरह के समस्त शिर्क से संबंधित बुराईयों से बचना आवश्यक है, तथा इन्हें छोड़ने की नसीहत करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित है कि आप ने फ़रमाया : **"जिसने अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की क़सम**

<sup>131</sup> सहीह बुखारी : 1521, सहीह मुस्लिम : 1350, वर्णकर्ता अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु।

<sup>132</sup> सूरा अल-अनआम : 88.

खाई, उसने कुफ़्र अथवा शिर्क किया।" <sup>133</sup> इसे अहमद, अबू दावूद एवं तिर्मिज़ी ने सहीह सनद के साथ रिवायत किया है।

तथा सहीह में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : "जिसे क़सम खानी ही हो, उसे केवल अल्लाह की क़सम खानी चाहिए या फिर चुप रहना चाहिए।" <sup>134</sup> तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने यह भी फ़रमाया है : "जिसने अमानत की क़सम खाई, वह हममें से नहीं है।" <sup>135</sup> सुनन अबू दाऊद।

एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : "सबसे अधिक जिस चीज़ का मुझे तुम लोगों पर भय है, वह है छोटा शिर्क।" आपसे इसके बारे में पूछा गया, तो आपने फ़रमाया : "दिखावा।" <sup>136</sup> आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक और अवसर पर फ़रमाया है : "तुम 'जो अल्लाह चाहे एवं अमुक चाहे' न कहो, बल्कि 'जो अल्लाह चाहे फिर अमुक चाहे' कहो।" <sup>137</sup> इमाम नसाई ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अनहुमा से रिवायत किया है कि एक व्यक्ति ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! होगी वही, जो अल्लाह चाहे और आप चाहें। यह सुन आपने कहा : "क्या तुमने मुझे अल्लाह का समकक्ष बना दिया? केवल 'जो अल्लाह चाहे' कहो।" <sup>138</sup>

ये हदीसें इस बात का प्रमाण हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तौहीद (एकेश्वरवाद) की उत्तम सुरक्षा की और अपनी उम्मत को बड़े और छोटे शिर्क (बहुदेववाद) से सावधान किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी उम्मत के ईमान की सुरक्षा एवं अल्लाह के अज़ाब और ग़ज़ब (क्रोध) से उन्हें बचाने हेतु अत्यंत चिंतित रहते थे, अल्लाह तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इसका सर्वोत्तम बदुला प्रदान करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस्लाम का संदेश पूरी तरह पहुंचाया, चेतावनी दी, और अल्लाह तथा उसके बंदों के लिए ख़ैरख्वाही (शुभचिन्तेन) की, आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर क़यामत के दिन तक लगातार सलामती और रहमत (शांति व दया) नाज़िल होती रहे।

हज़ करने वाले एवं मक्का-मदीना में रहने वाले उलेमा (विदवानों) की ज़िम्मेदारी है कि लोगों को वह बातें सिखाएँ, जो उन्हें करना है और उन्हें विभिन्न प्रकार के शिर्क एवं गुनाह आदि उन चीज़ों से सावधान करें जो उन्हें नहीं करना है। उन्हें प्रमाणों के साथ स्पष्ट रूप से इन बातों को समझाना चाहिए, ताकि लोग अंधेरे से उजाले की ओर आ सकें और ख़ुद अल्लाह के दीन को पहुंचाने की ज़िम्मेवारी को सही ढंग से अदा कर सकें। अल्लाह तआला ने फ़रमाया है :

{وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ}

<sup>133</sup> सुनन अबू दाऊद : 3251.

<sup>134</sup> सहीह बुखारी : 2679, सहीह मुस्लिम : 1646, वर्णनकर्ता अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अनहु।

<sup>135</sup> सुनन अबू दाऊद : 3253.

<sup>136</sup> मुस्नद-ए-अहमद 5/428.

<sup>137</sup> सुनन अबू दाऊद : 4980.

<sup>138</sup> सुनन इब्न-ए-माजा : 2117.

"तथा (ऐ नबी! याद करो) जब अल्लाह ने किताब वालों से पक्का वचन लिया था कि तुम अवश्य इसे लोगों के सामने बयान करते रहोगे और इसे छुपाओगे नहीं।"<sup>139</sup>

इस (आयत) का उद्देश्य यह है कि इस उम्मत के उलमा (विद्वानों) को किताब वालों में से उन लोगों के रास्ते पर चलने से सावधान किया जाए जिन्होंने हक (सत्य) को छिपाया, संसार की तात्कालिक ज़िन्दगी को आखिरत (परलोक) पर वरीयता दी, चुनाँचे अल्लाह तआला ने फरमाया है :

{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ} (159) {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ}

"निःसंदेह जो लोग उसको छिपाते हैं जो हमने स्पष्ट प्रमाणों और मार्गदर्शन में से उतारा है, इसके बाद कि हमने उसे लोगों के लिए किताब में स्पष्ट कर दिया है, उनपर अल्लाह लानत करता है, और सब लानत करने वाले उनपर लानत करते हैं।

"लेकिन वे लोग जिन्होंने तौबा कर ली और सुधार कर लिया और खोलकर बयान कर दिया, तो ये लोग हैं जिनकी मैं तौबा स्वीकार करता हूँ और मैं ही बहुत तौबा क़बूल करने वाला, अत्यंत दयावान हूँ।"<sup>140</sup> कुरआनी आयतों और हदीसों ने इस बात की ओर इशारा किया है कि अल्लाह की ओर दावत देना और इंसानों को उनके उद्देश्य (अर्थात अल्लाह की इबादत) की ओर मार्गदर्शन करना, अल्लाह का नैकट्य प्राप्त करने का सबसे उत्कृष्ट माध्यम तथा सबसे महत्वपूर्ण फ़र्ज़ है, यह पैगम्बरों और उनके अनुयायियों का रास्ता है, जो क़यामत तक जारी रहेगा, जैसाकि अल्लाह तआला ने फरमाया है :

{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} ،

"और किस की बात उससे अच्छी होगी, जो अल्लाह की ओर बुलाए तथा सदाचार करे और कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ।"<sup>141</sup> एक अन्य स्थान में उसका फ़रमान है :

{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}

<sup>139</sup> सूरा आल-ए-इमरान : 187.

<sup>140</sup> सूरा अल-बक्रा : 160.

<sup>141</sup> सूरा फुस्सिलत : 33.

"आप कह दीजिए कि मेरा मार्ग यही है। मैं और मेरे मानने वाले विश्वास और भरोसे के साथ अल्लाह की ओर बुला रहे हैं तथा अल्लाह पाक है और मैं मुश्किों में से नहीं हूँ।"<sup>142</sup>

अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है : "जिसने किसी अच्छे काम की राह दिखाई, उसे उसके करने वाले के बराबर सवाब मिलेगा।"<sup>143</sup> इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सहीह में रिवायत किया है। और आपने अली रज़ियल्लाहु अनहु से फरमाया था : "यदि अल्लाह तुम्हारे द्वारा एक व्यक्ति को भी मार्गदर्शन दे दे, तो यह तुम्हारे लिए लाल रंग के ऊंटों से बेहतर है।"<sup>144</sup> सही बुखारी एवं सहीह मुस्लिम। इस आशय की आयतें और हदीसें बड़ी संख्या में मौजूद हैं।

अतः ज्ञान एवं ईमान वाले लोगों पर यह जिम्मेदारी है कि वे अल्लाह की ओर दावत देने में अपनी मेहनत को और भी बढ़ा दें, लोगों को मुक्ति के रास्तों की ओर मार्गदर्शन करें, और उन्हें विनाश के कारणों से सावधान करें, विशेष रूप से इस युग में जहां वासना का प्रभुत्व है, विध्वंसकारी सिद्धांत और भ्रामक नारे फैल चुके हैं, और जहां हिदायत की ओर बुलाने वाले लोग कम हो गए हैं तथा नास्तिकता और अश्लीलता की ओर बुलाने वाले बढ़ गए हैं, अल्लाह ही मदद करने वाला है, और उच्च एवं महान अल्लाह की मदद के बिना न बुराई से फिरने की कोई शक्ति है और न ही नेकी करने का सामर्थ्य।

## अध्याय

आज्ञाकारिता के कार्यों में अधिकाधिक लिप्त रहने के मुस्तहब (प्रिय) होने के विषय में

हज्ज करने वालों के लिए यह मुस्तहब है कि वे मक्का में अपने निवास की अवधि के दौरान अल्लाह का जिक्र, आज्ञाकारिता एवं सदाचारिता के कार्य को अधिकाधिक अंजाम दें, उन्हें नमाज़ और तवाफ़ (काबा के चारों ओर चक्कर लगाना) में अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए, क्योंकि हरम (पवित्र क्षेत्र) में अच्छे कर्मों का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है, और बुरे कर्मों का पाप भी बहुत बढ़ा होता है, साथ ही, यह भी मुस्तहब है कि वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर अधिकाधिक दुरुद व सलाम भेजते रहा करें।

जब हज्ज करने वाले लोग मक्का छोड़ने का इरादा करें, तो उनके लिए काबा का तवाफ़-ए-वदा करना वाजिब (अनिवार्य) है, ताकि काबा के साथ उनका आखिरी संबंध इस तवाफ़ के माध्यम से हो, किंतु जो महिलाएं हैज (माहवारी) या निफास (प्रसव) की स्थिति में हों, उन पर तवाफ़-ए-वदा अनिवार्य नहीं है, जैसा कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित हदीस में आया है कि : "लोगों को आदेश दिया गया है कि

<sup>142</sup> सूरू यूसुफ़ : 108.

<sup>143</sup> सहीह मुस्लिम : 1893.

<sup>144</sup> सहीह बुखारी : 3009, सहीह मुस्लिम : 2406.

उनका अंतिम कार्य काबा का तवाफ हो। हाँ, मगर माहवारी के दिनों वाली स्त्री के लिए आसानी रखी गई है।"<sup>145</sup> सहीह बुखारी एवं सहीह मुस्लिम।

जब वह काबा का तवाफ़-ए-वदा पूरा कर ले और मस्जिद से बाहर जाने का इरादा करे, तो उसे सीधे मुंह चालते हुए मस्जिद से निकल जाना चाहिए, उसके लिए कदापि उचित नहीं है कि उल्टे पांव चल कर मस्जिद से बाहर निकले, क्योंकि यह न तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से और न ही उनके सहाबा से प्रमाणित है, बल्कि यह एक नई चीज़ (बिद्'अत) है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है : "जिसने कोई ऐसा कार्य किया, जिसके संबंध में हमारा आदेश नहीं है, तो वह अग्रहणीय है।"<sup>146</sup> एक और हदीस में है : "दीन के मामले में नई चीज़ें आविष्कार करने से बचो, क्योंकि प्रत्येक नई चीज़ बिद्'अत है, एवं हर बिद्'अत गुमराही (पथभ्रष्टता) है।"<sup>147</sup>

दुआ है कि अल्लाह हमें अपने दीन पर सुदृढ़ तथा दीन विरोधी चीज़ों से सुरक्षित रखे। निश्चय ही वह दाता एवं कृपावान है।

## अध्याय

### मस्जिद-ए-नबवी की ज़ियारत (दर्शन) के अहकाम एवं उसके शिष्टाचार के विषय में

हज्ज से पहले या बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मस्जिद की ज़ियारत (दर्शन) करना सुन्नत है, जैसा कि सहीह बुखारी एवं सहीह मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "मेरी इस मस्जिद में पढ़ी गई एक नमाज़ मस्जिद-ए-हराम को छोड़ अन्य मस्जिदों में पढ़ी गई एक हज़ार नमाज़ों से बेहतर है।"<sup>148</sup> तथा इब्ने उमर -रज़ियल्लाहु अन्हुमा- का वर्णन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "मेरी इस मस्जिद में पढ़ी गई एक नमाज़ मस्जिद-ए-हराम को छोड़ अन्य मस्जिदों में पढ़ी गई एक हज़ार नमाज़ों से अफ़ज़ल (बेहतर) है।"<sup>149</sup> इसे मुसलिम ने रिवायत किया है, तथा अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, वह बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "मेरी इस मस्जिद (मस्जिद-ए-नबवी) में पढ़ी गई एक नमाज़, अन्य किसी मस्जिद में पढ़ी गई एक हज़ार नमाज़ों से बेहतर है, सिवाय मस्जिद-ए-हराम के, तथा मस्जिद-ए-हराम में पढ़ी गई एक नमाज़, मेरी इस मस्जिद में पढ़ी गई सौ नमाज़ों से बेहतर है।"<sup>150</sup> इस हदीस को इमाम अहमद, इब्ने खुज़ैमा एवं इब्ने हिब्बान ने रिवायत किया है।

<sup>145</sup> सहीह बुखारी : 1755, सहीह मुस्लिम : 1328.

<sup>146</sup> इसके हवाले पीछे गुज़र चुके हैं।

<sup>147</sup> सहीह मुस्लिम : 867, वर्णनकर्ता जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु।

<sup>148</sup> सहीह बुखारी : 1190, सहीह मुस्लिम : 1394.

<sup>149</sup> सहीह मुस्लिम : 1395.

<sup>150</sup> मुस्नद-ए-अहमद 4/5.

तथा जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु का वर्णन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : "मेरी इस मस्जिद (मस्जिद-ए-नबवी) में पढ़ी गई एक नमाज़, अन्य किसी मस्जिद में पढ़ी गई एक हजार नमाज़ों से बेहतर है, सिवाय मस्जिद-ए-हराम के, तथा मस्जिद-ए-हराम में पढ़ी गई एक नमाज़, अन्य किसी मस्जिद में पढ़ी गई एक लाख नमाज़ों से बेहतर है।"<sup>151</sup> इसे अहमद एवं इब्न-ए-माजा ने रिवायत किया है। हदीस की किताबों में इस आशय की बहुत-सी हदीसे मौजूद हैं।

ज़ियारत करने वाला जब मस्जिद-ए-नबवी पहुँचे, तो प्रवेश के समय पहले अपना दाया पाँव अंदर रखे और यह दुआ पढ़े : "मैं अल्लोह के नाम से प्रवेश करता हूँ, तथा अल्लाह की कृपा एवं शांति की बरखा बरसे उसके रसूल पर। मैं महान अल्लाह, उसके महिमामय चेहरे तथा उसके आदिम राज्य की शरण लेता हूँ धिक्कारित शैतान से। ऐ अल्लाह! मेरे लिए अपनी दया के द्वार खोल दे।"

यही दुआ अन्य मस्जिदों में प्रवेश करते समय भी पढ़ी जाती है। मस्जिद-ए-नबवी में प्रवेश करते समय कोई विशेष दुआ प्रमाणित नहीं है। फिर दो रकात नमाज़ पढ़े, तथा इन दो रकातों में अल्लाह से अपनी इच्छा के अनुसार दुनिया और आखिरत की भलाई मांगे। यदि इन दोनों रकातों को रौज़ा-ए-शरीफ़ा<sup>1</sup> में पढ़ें, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है :<sup>152</sup> "मेरे घर और मेरे मिनबर के बीच का भाग जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ है।"<sup>153</sup> फिर नमाज़ के बाद पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र की ज़ियारत करे, तथा उनके साथी अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की क़ब्रों की भी ज़ियारत करे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र के सामने आदर एवं धीमी आवाज़ के साथ खड़े हो कर उन्हें सलाम करे, कहे : 'अस्सलामु अलैका, या रसूलल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुह (हे अल्लाह के रसूल, आप पर अल्लाह की ओर से शांति, दया एवं कल्याण का अवतरण हो), जैसा कि सुनेन अबू दावूद में हसन सनद के साथ अबू हरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, वह कहते हैं कि : 'रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : "जब कोई बंदा मुझपर सलाम पढ़ता है, अल्लाह मुझे मेरी आत्मा लौटा देता है, ताकि मैं उसे सलाम का उत्तर दे दूँ।"<sup>154</sup> तथा यदि ज़ियारत करने वाला अपने सलाम में कहे : "शांति हो आप पर ऐ अल्लाह के नबी! शांति हो आप पर ऐ अल्लाह की सर्वोत्तम सृष्टि! शांति हो आप पर ऐ रसूलों के सरदार! मैं गवाही देता हूँ कि आप ने सदेश पहुँचा दिया है, अमानत अदा कर दी है, उम्मत का शुभचिंतन कर दिया है तथा अल्लाह के लिए उसी प्रकार का प्रयास किया है, जिस प्रकार का प्रयास होना चाहिए।", तो इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं है। क्योंकि यह सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के गुण हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर दरूद भेजे एवं आप के लिए दुआ करें, क्योंकि शरीयत में आप सल्लल्लाहु

<sup>151</sup> सुनन इब्न-ए-माजा : 1406.

<sup>152</sup> 1: रौज़ा-ए-शरीफ़ा: इससे अभिप्राय मस्जिद-ए-नबवी के अंदर वह स्थान है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के घर और आप के मिनबर के बीच स्थित है।

<sup>153</sup> सहीह बुखारी : 1195, सहीह मुस्लिम : 1390, वर्णनकर्ता अब्दुल्लाह बिन ज़ैद माज़िनी रज़ियल्लाहु अन्हु।

<sup>154</sup> सूरा अल-अहज़ाब : 56,

अलैहि व सल्लम पर दरूद एवं सलाम को एक साथ पढ़ने की वैधता स्पष्ट रूप से प्रमाणित है, जैसा कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया है :

{إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}

"अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी इन पर दरूद भेजो और अधिक से अधिक सलाम भेजते रहा करो।"<sup>155</sup> फिर अबू बक्र और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा पर सलाम भेजे तथा उन दोनों के लिए दुआ करे एवं उन दोनों के लिए अल्लाह से यह प्रार्थना करे कि अल्लाह उन से राज़ी हो जाए।

तथा इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उनके दोनों साथियों पर सलाम भेजते, तो प्रायः यह कहने से अधिक कुछ नहीं कहते : "अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा बक्र, अस्सलामु अलैका या अबताह" (अर्थात : आप पर सलाम हो, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर सलाम हो, ऐ अबू बक्र एवं आप पर सलाम हो, हे मेरे पिता।) फिर लौट जाते।

तथा यह ज़ियारत विशेष रूप से केवल पुरुषों के लिए मशरूअ (वैध) है, और जहां तक महिलाओं की बात है तो उनके लिए किसी भी क़ब्र की ज़ियारत करना वैध नहीं है, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित है कि आपने फ़रमाया : "क़ब्रों की बहुत ज़्यादा ज़ियारत करने वाली महिलाओं और क़ब्रों पर मस्जिदें बनाने वालों तथा चिराग जलाने वालों पर लानत (धिक्कार) है।"<sup>156</sup>

जहां तक मस्जिद -ए- नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में नमाज़ पढ़ने, दुआ करने तथा ऐसे सभी कार्यों को करने के उद्देश्य से मस्जिद -ए- नबवी की यात्रा करने की बात है, जो अन्य मस्जिदों में भी मशरूअ (वैध है) तो ऐसा करना सभी लोगों के लिए जायज़ है, जैसा कि इस संबंध में पूर्वोल्लेखित हदीस इस को प्रमाणित करती हैं।

ज़ियारत करने वाले के लिए सुन्नत है कि वह मस्जिद-ए-नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में पांचों वक़्त की नमाज़ें अदा करे, और वहां अधिक से अधिक ज़िक्र, दुआ और नफ़ल नमाज़ पढ़े, ताकि इस अमल के बड़े सवाब से लाभ उठा सके।

तथा यह मुस्तहब है कि वह रौज़ा शरीफ़ में अधिक से अधिक नफ़ल नमाज़ पढ़े, क्योंकि इससे पहले सही हदीस में इसकी फ़ज़ीलत का उल्लेख आ चुका है, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह फ़रमान है : "मेरे घर और मेरे मिनबरे के बीच का भाग जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ है।"<sup>157</sup>

<sup>155</sup> सुनन अबू दाऊद : 2041.

<sup>156</sup> सुनन अबू दाऊद : 3236.

<sup>157</sup> इसके हवाले पीछे गुज़र चुके हैं।

जहां तक फ़र्ज़ नमाज़ का सवाल है, तो ज़ियारत करने वाले तथा अन्य लोगों पर यह ज़िम्मेदारी है कि वे इन्हें अदा करने हेतु आगे बढ़ें, तथा जहां तक संभव हो पहले सफ़ (प्रथम पंक्ति) में नमाज़ पढ़ने का प्रयास करें, यद्यपि प्रथम पंक्ति वह हो जिसका क़िबला की ओर विस्तार हुआ है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से वर्णित सहीह हदीसों में आप ने पहली पंक्ति में रहने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया है, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह कथन है : "यदि लोग जानते कि अज़ान एवं पहली पंक्ति की क्या नेकी है, तो यदि इसे पाने के लिए उनको क़ुरआ (लॉटरी) निकालना पड़ता तो वह ऐसा भी करते।"<sup>158</sup> बुखारी व मुस्लिम, इसी प्रकार आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने सहाबा से फ़रमाया : "आगे बढ़ो तथा मेरा अनुसरण करो एवं तुम्हारा अनुसरण तुम्हारे बाद वाले करें। आदमी जब निरंतर नमाज़ में पीछे होता रहता है, तो अल्लाह भी उसे पीछे कर देता है।"<sup>159</sup> इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

अब दावूद ने आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा से हसन सनद के साथ रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : "आदमी पहली पंक्ति से लगातार पीछे होता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह उसे पीछे करके जहन्नम में डाल देगा।"<sup>160</sup> तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित है कि आप ने अपने सहाबा से फ़रमाया : "तुम उस प्रकार से पंक्ति क्यों नहीं बनाते जिस प्रकार से फ़रिश्ते अपने रब के पास बनाते हैं!? उन्होंने पूछा : "ऐ अल्लाह के रसूल! फ़रिश्ते अपने रब के पास कैसी पंक्तियाँ बनाते हैं!? नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : सर्वप्रथम पहली पंक्तियों को पूरा करते हैं, और पंक्तियों में एक दूसरे से मिल कर खड़े होते हैं।"<sup>161</sup> सहीह मुस्लिम।

इस संदर्भ में हदीसों बहुतायत से हैं, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मस्जिद एवं अन्य मस्जिदों, दोनों पर लागू होती हैं। विस्तार से पहले भी और बाद भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह भी प्रमाणित है कि आप अपने साथियों को सफ़ों के दाहिने हिस्सों में खड़ा होने के लिए प्रेरित करते थे तथा यह विदित है कि प्राचीन मस्जिद-ए-नबवी की पंक्तियों के दाहिने भाग रियाज़ुल जन्नत के बाहर हुआ करते थे। इससे पता चलता है कि प्रथम पंक्ति तथा पंक्तियों के दाहिने भागों में नमाज़ पढ़ने की पाबंदी करना, रियाज़ुल जन्नत में नमाज़ पढ़ने की पाबंदी करने से उत्तम है। जो व्यक्ति इस संबंध में वर्णित हदीसों पर विचार करेगा, उसके लिए यह बात स्पष्ट हो जाएगी। सुयोग तो बस अल्लाह ही प्रदान करता है।

और किसी को भी हज़रा (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के घर) से चिपकने, उसे चूमने या उसके चारों ओर तवाफ़ करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ऐसा करना सलफ़ सीलेह (सदाचारी पूर्वजों) से वर्णित नहीं है, बल्कि यह बिद्अत (नवाचार) है जो कि नकारने योग्य है।

<sup>158</sup> सहीह बुखारी : 615, सहीह मुस्लिम : 437.

<sup>159</sup> सहीह मुस्लिम : 438, वर्णनकर्ता अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अनहु।

<sup>160</sup> सुनन अबू दाऊद : 679, उसके शब्द हैं : "जब कुछ लोग लगातार पहली सफ़ से पीछे रहने लगते हैं, तो अल्लाह उनको पीछे करके जहन्नम में डाल देता है।"

<sup>161</sup> सहीह मुस्लिम : 430, वर्णनकर्ता जाबिर बिन समुरा रज़ियल्लाहु अनहु।



किसी के लिए जायज़ नहीं है कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से किसी आवश्यकता की पूर्ति, चिंता को दूर करने या बीमार के ठीके होने आदि की दुआ मांगे। क्योंकि यह चीज़ें केवल अल्लाह से मांगी जानी चाहिए। दरअसल मरे हुए लोगों से मांगना अल्लाह के साथ शिर्क (साझेदारी) करना और गैरुल्लाह की इबादत करना है। ध्यान रहे कि इस्लाम धर्म दो मूल सिद्धांतों पर कायम है :

एक यह कि : अल्लाह के अतिरिक्त किसी और की इबादत न की जाए।

और दूसरा यह कि इबादत केवल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बताए हुए तरीके के अनुसार की जाए।

तथा यही "ला इलाहा इलल्लाह" और "मुहम्मदुर रसूलुल्लाह" की गवाही का अर्थ है।

तथा इसी प्रकार, किसी को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से शफाअत (सिफारिश) की मांग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह अल्लाह के स्वामित्व में है, अतः उसे केवल अल्लाह से ही मांगा जा सकता है, जैसा कि अल्लाह तआला ने कहा है :

{قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا}

"कह दो कि सिफारिश सारी की सारी (केवल) अल्लाह के अधिकार में है।"<sup>162</sup>

किंतु आप इस प्रकार कह सकते हैं: "हे अल्लाह! अपने नबी को मेरा सिफारिशी बना, हे अल्लाह! अपने फ़रिश्तों को मेरा सिफारिशी बना, और अपने ईमानवाले बंदों को मेरा सिफारिशी बना, हे अल्लाह! मेरे बच्चों को मेरा सिफारिशी बना।" तथा इसी प्रकार के अन्य वाक्य कह सकता है। और जहां तक मृतकों का सवाल है, तो उनसे कुछ भी नहीं मांगा जा सकता, न शफाअत और न कुछ और, चाहे वे नबी हों या अन्य, क्योंकि यह शरीअत में वैध नहीं किया गया है, और इसलिए भी कि मृत व्यक्ति का कार्य समाप्त हो चुका है, सिवाय उसके जिसे शरीअत ने अपवाद के रूप में निर्धारित किया गया हो।

सहीह मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अनहु से वर्णित है, वह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया है : "जब इन्सान की मौत हो जाती है, तो तीन चीज़ों के अलावा उसके सारे कर्म रुक जाते हैं; जारी रहने वाला सदका, ऐसा ज्ञान जिससे लाभ उठाया जाए अथवा ऐसी नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे।"<sup>163</sup>

केवल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के जीवन काल में शफाअत का प्रश्न करना जायज़ था तथा कयोमत के दिन भी जायज़ होगा, क्योंकि उन्हें इसकी क्षमता प्राप्त है, वे आगे बढ़कर अपने रब से मांग सकते हैं, जहां तक इस ससार में आप से शफाअत (सिफारिश) की बात है तो यह स्पष्ट है, यह केवल आप के साथ विशिष्ट नहीं है, अपितु सभी के लिए है, अतः एक मुसलमान के लिए जायज़ है कि वह अपने भाई से

<sup>162</sup> सूरा अल-जुमर : 44.

<sup>163</sup> सहीह मुस्लिम : 1631, वर्णनकर्ता अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अनहु।

कह सकता है : 'मेरे लिए मेरे रब से ऐसी-ऐसी शफाअत कर दो, अर्थात : मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दो, और जिससे यह कहा जाए उसके लिए भी जायज़ है कि वह अल्लाह से दुआ कर सकता है और अपने भाई के लिए शफाअत कर सकता है, जब तक वह मांग उस चीज़ से संबंधित हो, जिसे अल्लाह ने मांगने की अनुमति दी है।

और जहां तक क़यामत के दिन की बात है, तो उस दिन किसी को भी सिफारिश करने की अनुमति नहीं होगी, सिवाय अल्लाह के अनुमति देने के बाद, जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया है :

{مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ}

"उसकी अनुमति के बिना कौन उसके पास सिफारिश कर सकता है?"<sup>164</sup>

जहां तक मृत्यु की स्थिति की बात है, तो यह एक विशेष स्थिति है जिसे मानव की मृत्यु से पहले या पैनरुत्थान एवं पुनः जीवित होने के बाद की स्थिति से नहीं जोड़ा जा सकता। क्योंकि मृतक का कार्य समाप्त हो जाता है, और उसका पारिश्रमिक उसकी कमाई पर आधारित होता है, सिवाय उन चीज़ों के जो शरीयत द्वारा इस दायरे से अलग रखे गए हैं। जबकि मृतकों से सिफारिश तलब करना उन चीज़ों में से नहीं है, जिन्हें शरीयत ने इस दायरे से अलग रखा है। अतः इसे उससे जोड़ना उचित नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अपनी मृत्यु के बाद बरज़खी (मध्यवर्ती) जीवन में जीवित हैं, जो शहीदों के जीवन से अधिक पूर्ण है। लेकिन यह जीवन उनके मौत से पहले के जीवन जैसा नहीं है, और न ही यह क़यामत के दिन के जीवन जैसा है। बल्कि, यह एक ऐसा जीवन है जिसकी वास्तविकता एवं स्थिति को केवल अल्लाह ही जानता है। यही कारण है कि एक हदीस आप पीछे पढ़ आए हैं, जिसमें है : "जब कोई बंदा मुझपर सलाम पढ़ता है, अल्लाह मुझे मेरी आत्मा लौटा देता है, ताकि मैं उसे सलाम का उत्तर दे दूँ।"<sup>165</sup>

इससे यह प्रमाणित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मृत्यु हो चुकी है तथा आपकी आत्मा आपके शरीर का साथ छोड़ चुकी है, किंतु वह सलाम के समय लौटाई जाती है। कुरआन एवं हदीस में आप की मृत्यु के प्रमाण स्पष्ट हैं, तथा यह विद्वानों के बीच सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है, परंतु यह आप के बरज़खी (मृत्यु के बाद की) जीवन के विरुद्ध नहीं है, जैसे शहीदों की मृत्यु उनके बरज़खी जीवन के विरुद्ध नहीं है, जैसा कि अल्लाह तआला ने कहा है :

{وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ}

"जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे गए हैं, उन्हें कदापि मृत न समझो, बल्कि वे जीवित हैं, अपने रब के पास रोज़ी दिए जाते हैं।"<sup>166</sup>

<sup>164</sup> सूरा अल-बकरा : 255.

<sup>165</sup> इसके हवाले पीछे गुज़र चुके हैं।

<sup>166</sup> सूरा आल-ए-इमरान : 169.

इस मसले को विस्तार से समझाने का उद्देश्य यह है कि इस संबंध में कई भ्रमित लोग मौजूद हैं, जो इस मुद्दे में गलती करते हैं और लोगों को अल्लाह के अलावा मृतकों की इबादत और शिर्क की ओर बलाते हैं। हम अल्लाह तआला से अपनी और सम्स्त मुसलमानों की सुरक्षा की दुआ करते हैं, ताकि हम सभी उस चीज़ से बच सकें जो उसकी शरीयत के विरुद्ध है।

और जहां तक कुछ जाइरीन (दर्शनकारियों) द्वारा नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की कब्र पर आवाज़ ऊंची करने और वहां लंबे समय तक खड़ा रहने की बात है, तो यह सही नहीं है, क्योंकि अल्लाह तआला ने उम्मत को नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की आवाज़ से ऊपर आवाज़ उठाने से मना किया है, और एक-दूसरे से बात करते समय जिस तरह वे आवाज़ ऊंची करते हैं उस तरह से नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के साथ ज़ोर से बात करने से भी रोका है, और उन्हें आदेश दिया है कि उनके सामने अपनी आवाज़ को नीची रखें, जैसा कि अल्लाह तआला ने इस आयत में फरमाया है :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ} (2) {إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ}

“ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! अपनी आवाज़, नबी की आवाज़ से ऊंची न करो और न आपसे ऊंची आवाज़ में बात करो, जैसे एक-दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात करते हो। ऐसा न हो कि तुम्हारे कर्म व्यर्थ हो जाएँ और तुम्हें पता (भी) न हो।

निस्संदेह, जो लोग अल्लाह के रसूल के सामने अपनी आवाज़ धीमी रखते हैं, वही लोग हैं, जिनके दिलों को अल्लाह ने परहेज़गारी के लिए जाँच लिया है। उन्हीं के लिए क्षमा तथा बड़ा प्रतिफल है।<sup>167</sup>

और क्योंकि नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम की कब्र पर लंबे समय तक खड़ा होना और सलाम को बार-बार दोहराना, भीड़-भाड़, शोर-शराबा एवं आवाज़ों के ऊँचे होने का कारण बनता है, जो उनकी कब्र के पास इस्लामिक शरीअत के अनुसार निर्धारित नियमों के विरुद्ध है, तथा नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम का सम्मान उनके जीवन और मरण दोनों में अनिवार्य है, अतः एक मोमिन व्यक्ति को उनकी कब्र के पास ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो शरई आचार-विचार के विरुद्ध हो।

और इसी तरह कुछ जाइरीन (दर्शनकारियों) तथा अन्य लोगों द्वारा उनकी कब्र के सामने खड़े होकर क़िबला की ओर मुँह करके हाथ उठाकर दुआ करना, यह सब नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम के सहोबा एवं उनके अच्छे अनुयायियों (ताबेईन) जैसे सलफ़ सलैह (सदाचारी पूर्वजों) के मार्ग के विरुद्ध है, अपितु यह एक आविष्कृत बिदअत (नया और गलत कार्य) है, तथा नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने फरमाया

<sup>167</sup> सूरा अल-हुजुरात : 2-3.

है : "तुम मेरी सुन्नत तथा सत्य के मार्ग पर चलने वाले मेरे खलीफा-गणों की सुन्नत का पालन करना। इसे मज़बूती से पकड़े रहना और दीन के नाम पर सामने आने वाली नित-नई चीज़ों से बचे रहना। क्योंकि दीन के नाम पर सामने आने वाली हर नई चीज़ बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है।"<sup>168</sup> इस हदीस को अबू दावूद एवं नसई ने हसन सनद के साथ रिवायत किया है,

आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक और अवसर पर फ़रमाया है : "जिसने हमारे इस धर्म में कोई ऐसी चीज़ पैदा की, जो धर्म का भाग नहीं है, तो वह अमान्य एवं अस्वीकृत है।"<sup>169</sup> सहीह बुखारी एवं सहीह मुस्लिम। तथा सहीह मुस्लिम की एक रिवायत में है : "जिसने कोई ऐसा कार्य किया, जिसके संबंध में हमारा आदेश नहीं है, तो वह अग्रहणीय है।"<sup>170</sup>

अली बिन हुसैन ज़ैन अल-आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र के पास एक आदमी को दूआ करते देखा, तो उन्होंने उसे ऐसा करने से मना किया और कहा : क्या मैं तुम्हें एक हदीस न बता दूँ, जो मैंने अपने पिता से सुनी है और उन्होंने उसे मेरे दादा से वर्णित किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है : "मेरी क़ब्र को मेला स्थान न बनाना, और न अपने घरों को क़ब्रिस्तान बनाना। हाँ, मुझपर दरूद भेजते रहना। क्योंकि तुम जहाँ भी रहो, तुम्हारा सलाम मुझे पहुँच जाएगा।"<sup>171</sup> इसे हाफ़िज़ मुहम्मद बिन अब्दुल-वाहिद मक़्दिसी ने अपनी किताब "अल-अहदीस अल-मुखतारा" में रिवायत किया है।

और इसी तरह कुछ ज़ाइरीन (दर्शनकारियों) द्वारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सलाम भेजते समय दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर सीने पर या उसके नीचे नमाज़ पढ़ने वाले की तरह रखने का जो तरीका अपनाया जाता है, वह न तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर सलाम भेजते समय और न ही किसी अन्य सम्राट, नेताओं या अन्य लोगों को सलाम करते समय सही है, क्योंकि यह तरीका एक प्रकार से आत्मसमर्पण, विनम्रता एवं उपासना का प्रतीक है जो केवल अल्लाह के लिए अपनाना ही उचित है, जैसा कि हाफ़िज़ इब्ने हजर रहिमहल्लाह ने "फ़तहलबारी" में उलमा से यह बयान किया है, तथा इस बारे में जो भी सोच-विचार करेगा उसके लिए यह मदद पूर्णतः स्पष्ट है, शर्त यह है कि उसका उद्देश्य सही तरीके से सलफ़ के मार्ग को अनुसरण करना हो।

और जो लोग अंध अनुकरण, पूर्वाग्रह, और दृष्ट मानसिकता से प्रेरित होकर सच्चे मार्गदर्शकों के प्रति बुरा सोचते हैं, उनका मामला अल्लाह के हाथ में है। हम अल्लाह से हमारे और उनके लिए सन्मार्ग पर चलने की प्रार्थना करते हैं और यह भी कि वह हमें सत्य को स्वीकारने का सामर्थ्य दे। वह सर्वोत्तम प्रश्नों का उत्तर देने वाला है।

<sup>168</sup> सुनन अबू दाऊद : 4607, वर्णनकर्ता इर्बाज़ बिन रासिया।

<sup>169</sup> इसके हवाले पीछे गुज़र चुके हैं।

<sup>170</sup> इसके हवाले पीछे गुज़र चुके हैं।

<sup>171</sup> ज़ैन अल-आबिदीन की रिवायत की निस्बत शैख ने हाफ़िज़ मक़्दिसी की ओर की है। लेकिन उन्होंने इस हदीस को उसके साथ मौजूद क़िस्से के बिना रिवायत की है। मुस्नद-ए-अहमद 2/367.

इसी तरह कुछ लोगो का (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की) पवित्र कब्र की ओर मुंह करके सलाम या प्रार्थना के लिए अपने हाँठ हिलाना भी पूर्व में उल्लेख की गई दीन में आने वाली नई चीजों की श्रेणी में आता है। मुसलमानों को धर्म में ऐसा कुछ भी नया जोड़ना नहीं चाहिए, जिसकी अनुमति अल्लाह नै नहीं दी है। इस कार्य से वह सच्ची निष्ठा और पवित्रता के बजाय, उदासीनता के करीब हो जाता है। इमाम मालिक ने इस प्रकार के कार्यों को एवं इस जैसे अन्य कार्यों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है : **"इस उम्मत (मुस्लिम समुदाय) के अंतिम लोगों का सुधार केवल उन्हीं चीजों के माध्यम से संभव है जिनसे इस उम्मत के आरंभिक लोगों का सुधार हुआ था"**।

तथा यह सर्वविदित है कि इस उम्मत (मुस्लिम समुदाय) के उम्मत के आरंभिक लोगों का सुधार, पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, उनके मार्गदर्शित उत्तराधिकारियों (खुलफ़ा -ए- राशिदीन), उनके साथियों (सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हम) एवं भलाई के साथ सहाबा की पैरवी करने वालों, के अनुकरण से हुआ था, और इस उम्मत के अंत का सुधार भी तभी संभव है जब वे इसी अनुकरण पर कोयम रहें और इस का पालन करें।

अल्लाह समस्त मुसलमानों को दुनिया और आखिरत (लोक-परलोक) में उनके उद्धार, सुख और सम्मान की ओर ले जाए। वह महान दानी है।

### चेतावनी

अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कब्र की ज़ियारत के बारे में शरई दृष्टिकोण

हज्ज के दौरान नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कब्र की ज़ियारत करना न तो अनिवार्य है और न ही हज्ज के सही होने की शर्त, उसके विपरीत जैसाकि कुछ आम लोग तथा उनके समान कुछ अन्य लोग समझते हैं, अपितु यह उन लोगों के लिए वांछित (मुसतहब) है जिन्होंने मस्जिद -ए- नबवी की यात्रा की हो या उसके आस-पास हों।

परंतु जो लोग मदीना से दूर हैं, उनके लिए विशेष रूप से कब्र की ज़ियारत के लिए यात्रा करना गलत है, परंतु मस्जिद -ए- नबवी की ज़ियारत के लिए यात्रा करना वांछित (मुस्तहब) है, और जब वे मस्जिद -ए- नबवी पहुंचें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कब्र एवं आप के दोनों साथियों की कब्रों की ज़ियारत भी कर लें, यह (नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कब्र एवं आप के दोनों साथियों की कब्रों) की ज़ियारत मस्जिद -ए- नबवी की यात्रा के अंतर्गत आती है, जैसा कि सही हदीस में उल्लेखित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है : **"केवल तीन मस्जिदों के लिए ही यात्रा करना उचित है : मस्जिद अल-हराम, मेरी यह मस्जिद तथा मस्जिद अल-अक्सा"**<sup>172</sup>

<sup>172</sup> सहीह बुखारी : 1189, वर्णनकर्ता अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, सहीह मुस्लिम : 1347.

तथा यदि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम या किसी अन्य व्यक्ति की कब्र की यात्रा करना सही होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इसे अपनी उम्मत (मुस्लिम समुदाय) को बताया होता, तथा उनके महत्व की ओर मार्गदर्शन किया होता, क्योंकि वे सबसे बड़े शुभचिंतक, अल्लाह के बारे में सबसे अधिक ज्ञानकार, और सबसे अधिक डरने वाले थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से धर्म को पहुँचा दिया, एवं अपनी उम्मत को हर भलाई की ओर मार्गदर्शन किया, तथा हर बुराई से सावधान किया। ऐसा क्यों न हो, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने तीन मस्जिदों के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान के लिए यात्रा करने से मना किया है, तथा फरमाया है : **"मेरी कब्र को त्योहार की जगह न बनाओ और अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, तथा मुझ पर दरुद भेजो, क्योंकि तुम्हारा दरुद मुझ तक पहुँचता है, तुम चाहे जहाँ कहीं भी रहो"**<sup>173</sup>

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कब्र की ज़ियारत के लिए यात्रा करने की अनुमति देने की बात, उनकी कब्र को त्योहार स्थल बनाने की ओर ले जाती है, और वही ख़तरा उत्पन्न करती है जिससे आप ने डराया था, अर्थात् अति श्रद्धा और अति प्रशंसा, जैसा कि कई लोग इस में पड़ चुके हैं, केवल इस विश्वास के कारण कि वह आप मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कब्र की ज़ियारत करने के लिए यात्रा करने को मशरूअ (वैध) समझते हैं।

जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की कब्र की ज़ियारत के लिए यात्रा करने की अनुमति देने का समर्थन करते हैं, तथा वे जिन हदीसों का हवाला देते हैं, वे हदीसों कमजोर संदर्भ वाली हैं, बल्कि कुछ तो गढ़ी गई हैं, जैसे कि दारक़तनी, बैहकी एवं हाफ़िज़ इब्ने हजर रहिमहुमुल्लाह जैसे विद्वानों ने उनकी कमजोरी की ओर इशारा किया है, इस कारण, इन कमजोर हदीसों को तीन मस्जिदों के अलावा किसी अन्य स्थान के लिए यात्रा करने की मनाही वाली सही हदीसों के विरुद्ध पेश नहीं किया जा सकता।

हे पाठक, यहाँ आपके लिए उन में से कुछ गढ़ी गई हदीसों प्रस्तुत हैं, ताकि आप उन्हें पहचान सकें और उन पर भरोसा करने से बच सकें :

प्रथम : "जिसने हज्ज किया और मेरी ज़ियारत नहीं की, उसने मेरी उपेक्षा की"।

द्वितीय : "जो मेरी मृत्यु के बाद मेरी (कब्र) की ज़ियारत करता है, गोया उसने मेरे जीवन में मेरी ज़ियारत की हो"।

तृतीय : "जो एक ही साल में मेरी (कब्र) और मेरे पिता इब्राहीम की (कब्र) की ज़ियारत करता है, उसके लिए मैंने अल्लाह से जन्नत की गारंटी ली है"।

चतुर्थ : "जो मेरी (कब्र) की ज़ियारत करता है, उसके लिए मेरी सिफारिश (अनुशंसा) अनिवार्य हो जाती है"।

यह हदीसों तथा इन जैसी अन्य हदीसों का कोई प्रमाण नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से नहीं मिलता है।

<sup>173</sup> इसके हवाले पीछे गुज़र चुके हैं।

हाफिज़ इब्न-ए-हजर ने "अल-तलखीस" में अकसर रिवायतों का ज़िक्र करने के बाद कहा है : इस हदीस की सारी वर्णन शृंखलाएँ दुर्बल हैं।

हाफिज़ अल-उकैली कहते हैं : इस विषय की कोई भी हदीस सहीह नहीं है।

तथा शैख़ल इस्लाम इब्ने तैमिय्यह रहमतुल्लाह अलैह ने दृढ़ता से कहा कि ये सारी हदीसें गढ़ी हुई हैं, और उनके ज्ञान, हिफ़ज़ (स्मरण शक्ति) एवं विस्तृत जानकारी को देखते हुए, उनके यह कथन इसे सत्यापित करने के लिए पर्याप्त है।

यदि इनमें से कोई भी बात सत्य होती, तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम सबसे पहले इस पर अमल करते, और उम्मत को इसके बारे में बताते तथा इस की ओर बुलाते, क्योंकि वे नबियों के बाद सबसे अच्छे लोग हैं, और अल्लाह के आदेशों एवं उसकी शरीअत के सर्वाधिक जानकार हैं, और अल्लाह एवं उसकी सृष्टि के सबसे बड़े शोधितक हैं, अतः जब उनके द्वारा इस तरह की कोई बात नहीं बताई गई, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यह शरई (धार्मिक) रूप से स्वीकृत नहीं है।

यदि इनमें से कोई भी बात सत्य होती, तो उसे केवल कब्र की ज़ियारत के इरादे से यात्रा करने के स्थान पर शरई (धार्मिक) यात्रा पर लागू किया जाना चाहिए था, ताकि सभी हदीसों के बीच सामंजस्य बना रहता। और अल्लाह ही सर्वाधिक जानने वाला है।

## अध्याय

### मस्जिद -ए- कुबा एवं बक़ीअ की ज़ियारत (दर्शन) के मुस्तहब (वांछित) होने के विषय में

मदीना की यात्रा करने वाले के लिए मस्जिद -ए- कुबा की ज़ियारत करना तथा उसमें नमाज़ पढ़ना मुस्तहब (वांछित) है, जैसा कि सहीहैन में इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत में है, वह कहते हैं : "अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सवार होकर एवं पैदल चलकर कुबा जाते और वहाँ दो रकात नमाज़ पढ़ते थे।"<sup>174</sup> तथा सहल बिन हनैफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णित है, वह बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया : "जो अपने घर में वज़ू करे, फिर मस्जिद-ए-कुबा जाए और वहाँ नमाज़ पढ़े, तो उसे उमरा के बराबर सवाब मिलेगा।"<sup>175</sup>

और उसके लिए बक़ीअ की कब्रों, शहदा (-ए- उहद) की कब्रों, तथा हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र की ज़ियारत करना सुन्नत है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उनकी ज़ियारत करते और उनके लिए दुआएं करते थे, तथा आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह कथन भी है : "कब्रों की ज़ियारत करो, क्योंकि ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाती हैं।"<sup>176</sup> इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

<sup>174</sup> सहीह बुखारी : 1193, सहीह मुस्लिम : 1399.

<sup>175</sup> सुनन इब्न-ए-माजा : 1412.

<sup>176</sup> सहीह मुस्लिम : 976.

अल्लाह के नबी सल्लल्लाह अलैहि वसल्लम अपने साथियों को यह दुआ सिखाते थे, कि जब वे कब्रों की ज़ियारत (भ्रमण) करें तो इसे पढ़ें : "ऐ मोमिन व मुसलमान कब्र वासियों! तुमपर शान्ति की जलधारा बरसे। यदि अल्लाह चाहे, तो हम तुमसे भेंट करने वाले हैं। हम अपने तथा तुम्हारे लिए शान्ति एवं सुरक्ष की दुआ करतें हैं।"<sup>177</sup> सहीह मुस्लिम, वर्णनकर्ता-सुलैमान बिन बुरैदा जो अपने पिता से रिवायत करते हैं।

तिर्मिजी ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाह अनहुमा से रिवायत किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम मदीने की कब्रों के पास से गुज़रे, तो उनकी ओर मुंह करके फ़रमाया : "ऐ कब्र वासियों! तुमपर शान्ति हो। अल्लाह हमें और तुम्हें माफ़ करे। तुम हमारे पूर्वज हो और हम तुम्हारे पौछे आ रहे हैं।"<sup>178</sup>

इन हदीसों से यह स्पष्ट होता है कि शरई (धार्मिक) रूप से कब्रों की ज़ियारत करने का उद्देश्य आखिरत (परलोक) को याद करना, मृतकों के प्रति भलाई करना, उनके लिए दुआएं करना और उन पर रहमत की दुआ करना है।

जहां तक बात है कब्रों की ज़ियारत उनसे दुआ करने, वहाँ ठहरने, उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति कराने, बीमारों के ठीक होने की दुआ करने अथवा अल्लाह से उनके माध्यम से मांगने या उनकी प्रतिष्ठा के माध्यम से मांगने का सवाल है, तो यह एक निन्दात्मक बिदअती यात्रा है जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने शरई रूप से स्वीकृत नहीं किया है, यह सलफ़ सालेह (धर्मी पूर्वजों) ने भी नहीं किया है, बल्कि यह उसी तरह की यात्रा है जिससे नबी सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम ने मना किया है, जैसे कि आप ने फरमाया है : "कब्रों की ज़ियारत करौ, तथा बेकार बातें मत कहो।"<sup>179</sup>

ये समस्त वर्णित चीज़ें बिदअत में शामिल हैं, किंतु उनकी श्रेणियां भिन्न-भिन्न हैं, इनमें से कुछ बिदअत तो हैं लेकिन शिर्क नहीं हैं, जैसे कि कब्रों के पास अल्लाह से दुआ करना और मृतक के हक और प्रतिष्ठा के माध्यम से उससे कुछ मांगना, जबकि कुछ बड़े शिर्क (महा बहुदेववाद) हैं, जैसे कि मृतकों से दुआ करना एवं उनसे मदद मांगना इत्यादि।

इसके संबंध में पूर्व में विस्तार से उल्लेख किया जा चुका है, अतः ध्यान दें और सावधान रहें, और अपने रब से सच्चे मार्गदर्शन और सफलता के लिए प्रार्थना करें। वह अल्लाह ही है जो सही मार्गदर्शन देने वाला है, उसके अलावा कोई अन्य सत्य पूज्य नहीं है, तथा उसके अतिरिक्त कोई अन्य रब नहीं है।

यह वह अंतिम बात है जो हम लिखवाना चाहते थे, और अल्लाह ही के लिए आरंभ तथा अंत में प्रशंसा है, और अल्लाह की ओर से प्रशंसा एवं कृपा हो उसके बंदे और रसूल मुहम्मद पर, और उनके परिवार और सहाबा (साथियों) पर, और उनपर जो भलाई के साथ क़यामत के दिन तक उनका अनुसरण करते रहेंगे।

<sup>177</sup> सहीह मुस्लिम : 975.

<sup>178</sup> सुन्नन तिर्मिजी : 1035.

<sup>179</sup> सहीह मुस्लिम : 977, इब्न-ए-बुरैदा ने इसे अपने पिता से रिवायत किया है।



हज, उमरा तथा ज़ियारत के अधिकांश मसलों का शोध एवं व्याख्या कुरआन एवं हदीस के आलोक में	3
लेखक का प्राक्कथन	3
अध्याय	6
हज्ज एवं उमरा के वाजिब (अनिवार्य) होने तथा शीघ्रातिशीघ्र इसे अदा करने के प्रमाण के संबंध में	6
अध्याय	9
पापों से तौबा करने एवं अत्याचारों से मुक्त होने की अनिवार्यता के संबंध में	9
अध्याय	14
जब मीकात (निर्धारित सीमा) पर पहुंचे, तो हाजी कौन से कार्य करे :	14
अध्याय	18
स्थानीय मीकात एवं उनकी सीमाओं के बारे में	18
अध्याय	23
जो हज्ज के महीनों के अतिरिक्त अन्य समय में मीकात पर पहुँचे उसके हुक्म के संबंध में	23
अध्याय	25
क्या छोटे बच्चे का हज्ज करना, बड़ा होकर उस पर फर्ज़ हज्ज के लिए पर्याप्त होगा?	25
अध्याय	28
महज़रात -ए- इहराम (इहराम की अवस्था में वर्जित चीज़ें) तथा इहराम बाँधने वाले के लिए जिन चीज़ों का करना वैध है, उसकी व्याख्या के संबंध में	28
अध्याय	34

मक्का में हाजी के प्रवेश करते समय, तथा मस्जिद -ए- हराम में प्रवेश करने के पश्चात किए जाने वाले कार्य, जैसे तवाफ़ एवं उसकी विधि के बारे में	34
अध्याय	42
आठवीं ज़िल-हिज्जा को हज्ज का इहराम बांधने तथा मिना के लिए निकलने के नियम के संबंध में	42
अध्याय	58
हज्ज करने वाले के लिए यौम अन-नह्र (कुर्बानी के दिन) किए जाने वाले श्रेष्ठ कार्यों के बारे में स्पष्टीकरण	58
अध्याय	63
हज्ज-ए-तमत्तुअ़ एवं क़िरान करने वालों पर रक्त (अर्थाथ: जानवर की कुर्बानी) के अनिवार्य होने के बारे में	63
अध्याय	66
हाजियों और अन्य लोगों पर अम्र बिल मारुफ़ (नेकी का आदेश) के अनिवार्यता के विषय में	66
अध्याय	73
आज्ञाकारिता के कार्यों में अधिकाधिक लिप्त रहने के मुस्तहब (प्रिय) होने के विषय में	73
अध्याय	74
मस्जिद-ए-नबवी की ज़ियारत (दर्शन) के अहकाम एवं उसके शिष्टाचार के विषय में	74
चेतावनी	86
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र की ज़ियारत के बारे में शरई दृष्टिकोण	86
अध्याय	89

मस्जिद -ए- कुबा एवं बक़ीअ की ज़ियारत (दर्शन) के मुस्तहब (वांछित) होने के विषय  
में

89